खण्ड-455, अंक-7
गुरुवार, 06 श्रावण, शक संवत् 1927
(28 जुलाई, 2005 ई0)

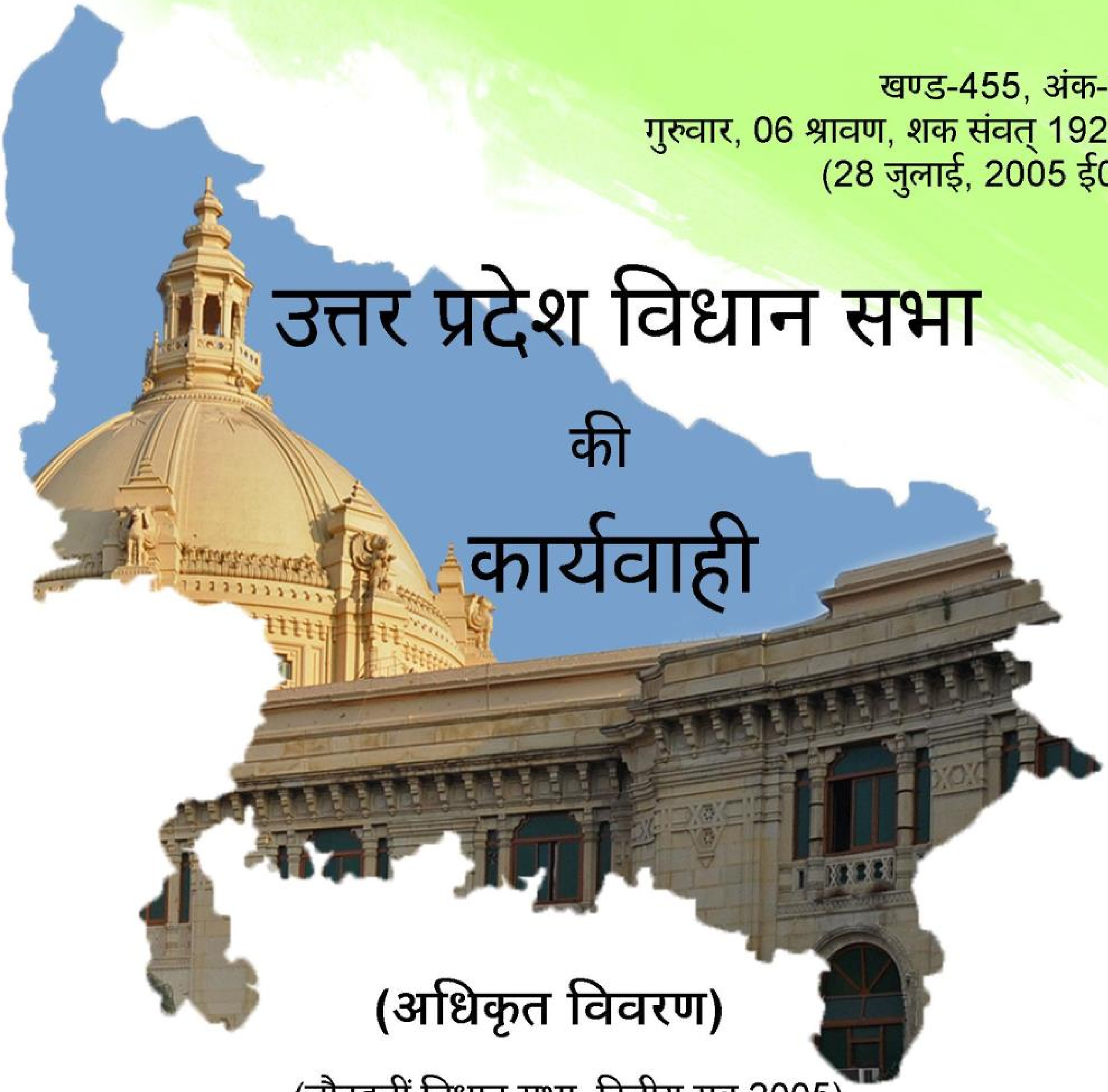

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2005)

खण्ड 455 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	च-ट
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	1-2
प्रश्नोत्तर	...	2-76
श्री इन्द्रजीत सरोज पर प्राण घातक हमला होने की सूचना तथा नि:शुल्क दूसरा गनर उपलब्ध कराने की मांग	...	77
टाण्डा अम्बेडकर नगर में एक विशेष बीमारी फैलने की सूचना तथा इलाज की व्यवस्था कराने की मांग	...	77
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	77
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की नियम समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	78
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन, नियमावली 1958 के नियम 311 के अन्तर्गत विधान सभा की नियम समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन से सम्बन्धित नियमावली के संगत प्रविधानों के निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	78
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति में कार्य करने के लिए 4 (चार) सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु उ0 प्र0 विधान परिषद से अनुरोध का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	79
उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 (पुर: स्थापित)	...	79-80
इलाहाबाद के पोस्टमार्टम स्थल का स्थानान्तरण संगम स्थल के पास किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	80
अनुपूरक बजट में विशेषतौर पर इटावा, मैनपुरी और रामपुर के लिए प्राविधान किये जाने पर आपत्ति	...	80-83
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा	...	83-91
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 01--आबकारी विभाग (स्वीकृत)	.	91-92
अनुदान संख्या 02--आवास विभाग (स्वीकृत)	...	92
अनुदान संख्या 03--उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)(स्वीकृत)	...	92
अनुदान संख्या 04--उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत)	...	92
अनुदान संख्या 05--उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत)	...	93
अनुदान संख्या 06--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत)	...	93
अनुदान संख्या 07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)	...	93

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 08--उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन-सामग्री) (स्वीकृत) . . .	93-94
अनुदान संख्या 09--उर्जा विभाग (स्वीकृत) . . .	94
अनुदान संख्या 10--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योनिक एवं रेशम विभाग) (स्वीकृत) . . .	94
अनुदान संख्या 11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) . . .	94
अनुदान संख्या 12--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास) एवं जल संसाधन, (स्वीकृत) . . .	95
अनुदान संख्या 13--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत). . .	95
अनुदान संख्या 14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत). . .	95
अनुदान संख्या 15--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) . . .	95-96
अनुदान संख्या 16--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) . . .	96
अनुदान संख्या 17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) . . .	96
अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत). . .	96
अनुदान संख्या 19--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) . . .	97
अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत) . . .	97
अनुदान संख्या 21--खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) . . .	97
अनुदान संख्या 22--खेल विभाग (स्वीकृत) . . .	97
अनुदान संख्या 23--गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) . . .	98
अनुदान संख्या 24--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) . . .	98
अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) . . .	98
अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) . . .	98-99
अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) . . .	99
अनुदान संख्या 28--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) . . .	99
अनुदान संख्या 30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) . . .	99
अनुदान संख्या 31--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) . . .	100
अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) . . .	100
अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत) . . .	100
अनुदान संख्या 34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) . . .	100-101
अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) . . .	101

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	...	101
अनुदान संख्या 37--नगर विकास विभाग (स्वीकृत)		101
अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	...	102
अनुदान संख्या 39--भाषा विभाग (स्वीकृत)	...	102
अनुदान संख्या 40--नियोजन विभाग (स्वीकृत)		102
अनुदान संख्या 41--निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	...	102-103
अनुदान संख्या 42--न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	103
अनुदान संख्या 43--परिवहन विभाग (स्वीकृत)	...	103
अनुदान संख्या 44--पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	...	103
अनुदान संख्या 45--पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	...	104
अनुदान संख्या 46--प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	...	104
अनुदान संख्या 47--प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	...	104
अनुदान संख्या 48--मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	...	104
अनुदान संख्या 49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	105
अनुदान संख्या 50--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	...	105
अनुदान संख्या 51--राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	...	105
अनुदान संख्या 52--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)		105-106
अनुदान संख्या 54--लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	...	106
अनुदान संख्या 55--लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)	...	106
अनुदान संख्या 57--लोक निर्माण विभाग(संचार साधन सेतु) (स्वीकृत)	...	106
अनुदान संख्या 58--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) (स्वीकृत)	...	107
अनुदान संख्या 59--लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	...	107
अनुदान संख्या 60--वन विभाग (स्वीकृत)	...	107
अनुदान संख्या 61--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...	107-108
अनुदान संख्या 62--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)	...	108
अनुदान संख्या 63--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	...	108
अनुदान संख्या 64--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	...	108
अनुदान संख्या 65--वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)	...	109
अनुदान संख्या 66--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	...	109
अनुदान संख्या 67--विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	...	109
अनुदान संख्या 68--विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	...	109-110
अनुदान संख्या 70--विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	...	110

विषय		पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 71--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	. . .	110
अनुदान संख्या 72--शिक्षा विभाग (माध्यमिक) (स्वीकृत)	. . .	110
अनुदान संख्या 73--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	. . .	111
अनुदान संख्या 75--शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	. . .	111
अनुदान संख्या 76--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	. . .	111
अनुदान संख्या 77--श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	. . .	111-112
अनुदान संख्या 78--सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	. . .	112
अनुदान संख्या 79--समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	. . .	112
अनुदान संख्या 80--समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	. . .	112
अनुदान संख्या 81--समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	. . .	113
अनुदान संख्या 82--सर्तकता विभाग (स्वीकृत)	. . .	113
अनुदान संख्या 83--समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	. . .	113
अनुदान संख्या 84--सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	. . .	113-114
अनुदान संख्या 85--सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	. . .	114
अनुदान संख्या 86--सूचना विभाग (स्वीकृत)	. . .	114
अनुदान संख्या 87--सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	. . .	114
अनुदान संख्या 88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत)	. . .	115
अनुदान संख्या 89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत)	. . .	115
अनुदान संख्या 90--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत).	. . .	115
अनुदान संख्या 91--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत).	. . .	115-116
अनुदान संख्या 92--संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	. . .	116
अनुदान संख्या 95--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	. . .	116
अनुदान संख्या 96--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	. . .	116
उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 (पुरः स्थापित एवं पारित)	. . .	116-123
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित)	. . .	123-125
उत्तर प्रदेश क्रीड़ा, (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित)	. . .	125-126

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (जारी) . . .	126-132
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) . . .	133-134
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित) . . .	134-138
उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 (पारित) . . .	139-171
जिलाधिकारी महाराजगंज, उप जिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी सदर, कोतवाल सदर, महाराजगंज एवं अराजकतत्वों के विरूद्ध श्री शिवेन्द्र सिंह आदि द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय . . .	171-173
नत्थियाँ . . .	174-180

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य--306

1--अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2--अक्षयबर लाल, श्री — बहराइच
3--अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4--अजय कुमार, डा0 — बागपत
5--अजय राय, श्री — वाराणसी
6--अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
7--अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
8--अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
9--अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10--अनिल कुमार पाण्डे श्री — सुल्तानपुर
11--अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
12--अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
13--अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
14--अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
15--अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
16--अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
17--अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
18--अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
19--अमरमणि, श्री — महराजगंज
20--अमर सिंह परमार, श्री — आगरा
21--अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
22--अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
23--अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
24--अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
25--अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26--अरविन्द गिरी, श्री — खीरी
27--अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
28--अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
29--अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
30--अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
31--अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्त कबीर नगर
32--अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
33--अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
34--अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
35--अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
36--आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
37--आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
38--आर0एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
39--आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
40--आलम बदी, श्री — आजमगढ़
41--आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
42--आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
43--आशीष यादव, श्री — बदायूं
44--आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
45--इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
46--इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
47--इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
48--इलम सिंह, श्री — सहारनपुर

49--उज्ज्वल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
50--उदयराज यादव, श्री उन्नाव
51--उमा किरन, श्रीमती मुजफ्फरनगर
52--ओइमवेश, स्वामी बिजनौर
53--ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
54--ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
55--ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
56--ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
57--कपिल देव यादव, श्री मऊ
58--कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
59--कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
60--काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
61--कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
62--कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
63--काशीराम, श्री रामपुर
64--किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
65--किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
66--किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
67--कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
68--कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
69--कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70--कैलाश, श्री गाजीपुर
71--कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72--कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
73--कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
74--कौशल किशोर, श्री खीरी
75--कौशल किशोर, श्री लखनऊ
76--खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री इलाहाबाद
77--गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
78--गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
79--गया चरन दिनकर, श्री बांदा
80--गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
81--घूरा राम, श्री बलिया
82--चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
83--चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
84--चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
85--छेदी राम, श्री गाजीपुर
86--छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
87--जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
88--जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
89--जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
90--जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
91--जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
92--जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
93--जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
94--जटा शंकर सिंह बहराइच
95--जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
96--जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
97--जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
98--जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
99--जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
100--जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
101--जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
102--तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
103--दयाराम, श्री कौशाम्बी
104--दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
105--दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
106--दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
107--दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
108--दुर्गाप्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
109--दुर्गाप्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
110--देवकी नन्दन, श्री हाथरस

111--देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
112--देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
113--द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्तकबीरनगर
114--धनंनजय सिंह, श्री — जौनपुर
115--धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
116--धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
117--धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
118--नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
119--नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्धनगर
120--नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
121--नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
122--नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
123--नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
124--नारद राय, श्री — बलिया
125--परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
126--पी0के0 राय, डा0 — कुशीनगर
127--पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
128--पीतम राम, श्री — पीलीभीत
129--पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
130--प्रदीप जैन आदित्य, श्री — झांसी
131--प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
132--प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
133--प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
134--प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
135--प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
136--प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
137--प्रेमपाल सिंह यादव, श्री — बदांयू
138--प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
139--फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
140--फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) — देवरिया
141--फागू, श्री — मऊ
142--बंशीधर राज, श्री — खीरी
143--बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
144--बाबू राम, एम0काम, श्री — जालौन
145--बाबू लाल, चौधरी — आगरा
146--बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
147--बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
148--बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
149--बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
150--भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
151--भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
152--भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
153--मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
154--मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
155--मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
156--मदन भैया, श्री — बागपत
157--मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
158--मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
159--महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूले-नगर
160--महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
161--महेन्द्र सिंह, चौधरी — अलीगढ़
162--महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
163--महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
164--महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
165--माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थ नगर
166--मान पाल सिंह, श्री — एटा
167--माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
168--मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
169--मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
170--मुकुल उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
171--मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
172--मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
173--मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर

174--मोख्तार अन्सारी, श्री मऊ
175--मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
176--मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
177--मोहम्मद आजम खाँ, श्री रामपुर
178--मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
179--मोहम्मद बशीर, चौधरी आगरा
180--मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
181--मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
182--मोहम्मद शफीर, श्री फतेहपुर
183--यशपाल चौधरी, श्री खीरी
184--यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
185--याकूब, हाजी मेरठ
186--योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
187--योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
188--रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
189--रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
190--रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
191--राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
192--राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
193--राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
194--राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
195--राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
196--राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
197--राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
198--राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
199--राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
200--राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
201--राजा राम, श्री प्रतापगढ़
202--राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
203--राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
204--राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
205--राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
206--राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
207--राजेश कुमार, श्री खीरी
208--राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
209--राबिया कलाम, श्रीमती वाराणसी
210--राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
211--रामकरन आर्य, श्री बस्ती
212--राम किशुन, श्री वाराणसी
213--राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
214--राम कृष्ण, श्री सीतापुर
215--राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
216--राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
217--रामजी शुक्ला, श्री औरैया
218--रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
219--रामपाल यादव, श्री सीतापुर
220--राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
221--रामबाबू हरित, डा0 आगरा
222--राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
223--राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
224--राम मगन, श्री बाराबंकी
225--राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
226--रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
227--रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
228--राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
229--राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
230--रामहेत भारती, श्री सीतापुर
231--रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
232--रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर

233--रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
234--लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
235--लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
236--लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
237--वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
238--वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
239--विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
240--विजय कुमार मिश्रा, श्री संतरविदास नगर, भदोही
241--विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
242--विजय सिंह, श्री सोनभद्र
243--विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
244--विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
245--विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री इटावा
246--विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
247--विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
248--विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
249--विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
250--विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
251--वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर
252--वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
253--वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
254--वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
255--वीरेन्द्र सिंह बुंदेला "भगत राजा", श्री ललितपुर
256--वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
257--शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री संतरविदास नगर, भदोही
258--शब्बीर, श्री बहराइच
259-शरदबीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
260--शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
261--शाकिर अली, श्री देवरिया
262--शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
263--शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
264--शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
265--शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
266--शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
267--शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
268--शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
269--शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
270--शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
271--शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
272--शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
273--श्यामदेव राय चौधरी, श्री वाराणसी
274--श्याम नारायण, श्री महराजगंज
275--श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
276--श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
277--श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
278--श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर
279--संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
280--संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
281--सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
282--सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
283--सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी
284--समरपाल सिंह, श्री बागपत
285--सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 मुरादाबाद
286--सलिल विशनोई, श्री कानपुर नगर
287--सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
288--सियाराम सागर, डा0 बरेली
289--सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
290-सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़

291--सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	299--सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
292--सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव	300--स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
293--सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	301--हरिओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
294--सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	302--हरी प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
295--सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	303--हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
296--सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	304--हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
297--सुल्तानबेग, श्री	बरेली	305--हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
298--सुशील चौधरी, डाक्टर	सहारनपुर	306--होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :--श्री मुन्ना सिंह चौहान, (सिंचाई मंत्री), श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) तथा श्री अजीत कुमार राजू (बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

पहले मद संख्या-6 में नत्थी-ख, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश ले लेते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 जुलाई, 2005 की बैठक में उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 28 जुलाई, 2005 से 4 अगस्त, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :--

1--दिनांक 28 जुलाई , 2005 के उपवेशन में प्रश्न प्रक्रिया नियमावली के नियम-41 के अन्तर्गत उत्तरित माने जायें तथा उस दिन नियम-51, 56, 300, 301, एवं 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायँ और 28 जुलाई , 2005 के लिए नियम-51 के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित वक्तव्य। केवल वक्तव्य दिनांक 4 अगस्त, 2005 को लिए जायँ।

2--दिनांक 28 जुलाई , 2005 से 4 अगस्त, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

जुलाई, 2005

28 गुरुवार

1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2--उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा।

3--उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा।

4--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा।

29 शुक्रवार
30 शनिवार } बैठक नहीं होगी।
31 रविवार

अगस्त, 2005

1 सोमवार
2 मंगलवार } बैठक नहीं होगी।
3 बुधवार

4 गुरुवार

1--निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

2--विधायी कार्य।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) --

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य मंत्रणा समिति की जिन सिफारिशों को आपने रखा है उसके क्रम में मेरा निवेदन है कि मद संख्या-8 में उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा लगा है। आज इसको पुर:स्थापित किया जाना है तो मेरा अनुरोध है कि कृपया आज ही इस पर विचार और इसको पारण के लिए रख दें।

श्री अध्यक्ष--

अभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला लेते हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

आज सारे प्रश्न उत्तरित माने जायेंगे।

प्रश्नोत्तर†

तारांकित प्रश्न

लखनऊ में गोमतीनगर आवासीय योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने की मांग

*1--श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में गोमतीनगर आवासीय विस्तार योजना फेज-III हेतु एक ही उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत मखदूमपुर खसरा क्रमश: 14, 162, 54, 16, 238, 239 आदि के अन्तर्गत निर्मित एक हजार मकानों में निवासरत परिवारों को राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-20 (6)/95-226-रा-13, दिनांक 29-2-96, संख्या-1995/1-13-1985 रा-13, दिनांक 14-9-85 तथा शासनादेश दिनांक 19-6-2002 एवं 7-6-2003 के अनुपालन में विस्थापित करने से पूर्व पीड़ित परिवारों को पुनर्वासित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

जी हां, भूमि खसरा संख्या-14, 162, 54 व 16 स्थित ग्राम-मखदूमपुर का अर्जन लखनऊ विकास प्राधिकरण की अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना में किया गया है, खसरा संख्या-238 व 239 की भूमि ग्राम समाज की भूमि होने के कारण अधिग्रहीत नहीं की गयी है। ग्राम-मकदूमपुर में 24 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं, जिनकी भूमि अर्जित की गयी है।

---

† उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

वर्तमान समय में प्रश्नगत योजना में करार नियमावली के अन्तर्गत प्रभावित भू-स्वामियों को आपसी समझौते के आधार पर भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11(2) के अन्तर्गत अभिनिर्णय घोषित किया जा रहा है। दिनांक 15-01-06 तक जो भू-स्वामी आपसी समझौता, प्रतिकर की दर एवं शर्तों के संबंध में, प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी भूमि का अभिनिर्णय भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11 (1) के अन्तर्गत करते समय सुसंगत शासनादेशों को संज्ञान में लिया जायेगा।

प्रदेश की समस्त चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान

*2--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेराई सत्र, 2003-04 एवं 2004-05 का प्रदेश की सभी चीनी मिलों द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितना गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकाया है और उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) --

पेराई सत्र 2003-04 तथा 2004-05 का प्रदेश की सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। दिनांक 25-7-2005 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2003-04 का निजी क्षेत्र की 3 चीनी मिलों मझावली, सरदारनगर एवं कप्तानगंज को छोड़कर शेष सभी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। इन 3 चीनी मिलों पर रु0 9.50 करोड़ बकाया है, जिनमें से मझावली चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा चुका है। सरदारनगर एवं कप्तानगंज चीनी मिलें बी0 आई0 एफ0 आर0 में पंजीकृत हैं।

दिनांक 25-7-2005 तक निजी क्षेत्र की 6 चीनी मिलों को छोड़कर शेष सभी चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2004-05 के गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। इस पेराई सत्र का अगौता, मझावली, अगवानपुर, मोदीनगर, बस्ती एवं वाल्टरगंज चीनी मिलों पर रु0 23.33 करोड़ गन्ना मूल्य का अवशेष है, जिसमें से अगौता चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है। शेष चीनी मिलों से गन्ना मूल्य के शीघ्र भुगतान कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रदेश की बीमार चीनी मिलों को पट्टे पर दिये जाने की नीति

*3--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बीमार चीनी मिलों को पट्टे पर देने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो वर्तमान सरकार द्वारा पट्टे पर दिये जाने हेतु कितनी चीनी मिलें चयनित की गयीं ? उनमें अब तक क्या प्रगति हुई है ? क्या शाहजहांपुर की पुवायां चीनी मिल भी पट्टे पर दी जायेगी ? यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

निजी एवं सहकारी क्षेत्र की बीमार चीनी मिलों को पट्टे पर दिये जाने की कोई नीति वर्तमान में विद्यमान नहीं है। केवल उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की 24 चीनी मिलों को पट्टे पर दिये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी।

इन चीनी मिलों को पट्टे पर दिये जाने की अनुमति मा0 बी0 आई0 एफ0 आर0 द्वारा न दिये जाने के कारण उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के द्वारा मा0 ए0ए0आई0एफ0आर0 में अपील दायर की गयी। मा0 ए0ए0आई0एफ0आर0 द्वारा दि0 8-7-05 को अपील को स्वीकार करते हुए मिलों को पट्टे पर दिये जाने की स्थिति में कतिपय प्रक्रिया संबंधी निर्देश/सुझाव दिये गये हैं जिनका परीक्षण कर प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

वर्तमान में सहकारी चीनी मिल, पुवायां को पट्टे पर दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण की कार्य योजना

*4--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सड़कों के रख-रखाव के लिए 3 अरब रुपये की योजना बनायी गयी है तथा राज्य स्तरीय राज्य सड़क निधि की प्रबन्धन समिति ने 5 अप्रैल, 2005 की बैठक में प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में 5 कि0 मी0 सड़क बनवाने की अनुमति प्रदान की है ? यदि हां, तो क्या जनपदों में 5 कि0 मी0 सड़क निर्माण हेतु सरकार ने धन अवमुक्त कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

दिनांक 5 अप्रैल, 2005 की बैठक में 3 अरब रुपये की सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण की कार्य योजना प्रबन्धन समिति के अनुमोदन हेतु तैयार की गई थी। उक्त बैठक में प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 5 कि0मी0 सड़क बनवाने का कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित चीनी मिलों को लीज पर देने का निर्णय

*5--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार द्वारा राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित चीनी मिलों को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण और उसका औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

शासनादेश दिनांक 30-6-2003 द्वारा उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की 5 बन्द चीनी मिलों यथा-बाराबंकी, छितौनी, घुघली, बरेली व महोली तथा 8 रुग्ण चीनी मिलों यथा-रामकोला, पिपराइच, लक्ष्मीगंज, बैतालपुर, देवरिया, भटनी, शाहगंज, बुढ़वल तथा शासनादेश दिनांक 10-7-2003 द्वारा अन्य 11 चीनी मिलों यथा-सहारनपुर, बुलन्दशहर, मोहिउद्दीनपुर, सखौती टान्डा, अमरोहा, बिजनौर, चांदपुर, जरवल रोड, सिसवा बाजार, खड्डा व रोहानाकलां अर्थात् कुल 24 चीनी मिलों को लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।

इन 24 चीनी मिलों को लीज पर देने का निर्णय निगम में हो रहे निरन्तर घाटे के फलस्वरूप नेटवर्क ऋणात्मक होने तथा रूग्णता के कारण इन चीनी मिलों का आधुनिकीकरण, पुनर्वासन एवं क्षमता विस्तारीकरण संभव न हो पाने की स्थिति के दृष्टिगत कृषकों के हितों के संरक्षण हेतु लिया

गया। पट्टे की शर्तों में इन चीनी मिलों को विस्तारीकृत एवं आधुनिकीकृत करते हुए पांच वर्षों के अन्दर वर्तमान पेराई क्षमता से तीन गुनी क्षमता तक विस्तारीकरण/सृजन करने की बाध्यता प्राविधानित थी।

इन चीनी मिलों को पट्टे पर दिये जाने की अनुमति मा0 बी0आई0एफ0आर0 द्वारा न दिये जाने के कारण उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के द्वारा मा0 ए0ए0आई0एफ0आर0 में अपील दायर की गयी। मा0 ए0ए0आई0एफ0आर0 द्वारा दि0 8-7-05 को अपील को स्वीकार करते हुए मिलों को पट्टे पर दिये जाने की स्थिति में कतिपय प्रक्रिया संबंधी निर्देश/सुझाव दिये गये हैं जिनका परीक्षण कर प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के किसानों को सूखे से राहत हेतु कार्य योजना

*6--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में विगत दो वर्षों से वर्षा न होने के कारण रबी तथा खरीफ की फसलें प्रभावित हो रही हैं ? प्रदेश के किसानों को सूखे से हुयी क्षति का आंकलन कराकर राहत देने हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

वर्ष 2003-04 में अवर्षण की स्थिति नहीं थी। वर्ष 2004-05 में अवर्षण से सूखे के कारण खरीफ की फसल प्रभावित हुई ।

सूखे से हुई क्षति का आंकलन कराकर भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रभावितों को कृषि निदेश अनुदान की राहत दिये जाने की कार्ययोजना प्रभावी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सूखे से प्रभावित जनपदों में सूखा राहत धन वितरण योजना

*7--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2004-2005 में प्रदेश में कितने जनपद सूखे से प्रभावित हुए हैं ? सरकार ने किसानों को सूखा राहत हेतु धन वितरित करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

65 जनपद।

जी हां।

राहत वितरण की योजना संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा पोषित मार्ग निर्माण परियोजना के फेज-2 में प्रस्तावित मार्गों एवं उनके चयन का आधार

*8--श्री हुकुम सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा पोषित मार्ग निर्माण परियोजना के फेज-2 का कार्यक्रम स्वीकृत कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के कौन-कौन से मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है तथा उक्त मार्गों के चयन का क्या आधार रखा गया है ?

---

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 174 पर।)

*श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

मार्गों की सूची संलग्न† है।

पर्यावरणीय, सामाजिकीय एवं तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गों के उच्चीकरण/वृहद रखरखाव के लिए आंकलित सम्भावित लागत के आर्थिक विश्लेषण के फलस्वरूप प्राप्त इकोनामिक इन्टर्नल रेट आफ रिर्टन (ई0आई0आर0आर0) का वरीयता क्रम मार्गों के चयन का आधार रहा है।

*9--डा0 सुशील चौधरी--

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

धामपुर चीनी मिल्स, रौजागांव, बाराबंकी के तत्कालीन केन मैनेजर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

1--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28 जुलाई, 2004 को गन्ना किसान श्री दल बहादुर सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट हसौर, जिला बाराबंकी द्वारा मुख्य मंत्री, उ0 प्र0, गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0, जिला अधिकारी, बाराबंकी तथा जिला गन्ना अधिकारी, बाराबंकी को प्रेषित पंजीकृत शिकायती-पत्र जो धामपुर चीनी मिल्स, रौजागांव, बाराबंकी के तत्कालीन केन मैनेजर के विरुद्ध किसानों के गन्ना तौल में घटतौली तथा गन्ना आपूर्ति में हेरा-फेरी किये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी, जिसमें शिकायतें निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

संस्कृति विभाग में लेखा संवर्ग की नियमावली बनाये जाने की मांग

2--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या संस्कृति विभाग में लेखा संवर्ग की नियमावली बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नियमावली कब तक बना दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सम्प्रति नहीं।

संस्कृति निदेशालय से पुरातत्व तथा संग्रहालय निदेशालय पृथक् हो जाने के बाद पदनामों में परिवर्तन तथा पदों के विभाजन पर कार्यवाही विचाराधीन है। कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् पृथक् निदेशालयों की नियमावलियां प्रकाशित करना सम्भव होगा।

---

†(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 175-176 पर।)

उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित होने के उपरान्त प्रश्नगत नियमावली बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संस्कृति विभाग के शासनादेश सं0 1237/चार-2004 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग

3--श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृति विभाग के शासनादेश सं0 1237/चार-2004 द्वारा लेखा संवर्ग के चार पदों को पदधारकों सहित संस्कृति निदेशालय से उ0 प्र0 संग्रहालय निदेशालय के संचालन हेतु हस्तान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त शासनादेश का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

शासनादेश संख्या 1237/चार-04, दिनांक 28-5-04 का अनुपालन कराये जाने हेतु निदेशक, संस्कृति को पुन: शासकीय पत्र दिनांक 27-6-05 द्वारा निर्देशित भी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

जनपद लखनऊ के आलमनगर वाया मोहान-बांगरमऊ जाने वाली सड़क को गड्ढा मुक्त एवं चौड़ीकरण कराने की मांग

4--श्री कौशल किशोर--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ के आलमनगर वाया मोहान-बांगरमऊ जाने वाली सड़क पर विगत वर्षों में कितने कि0मी0 सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया गया तथा कितने कि0मी0 शेष है ? क्या सरकार उक्त सड़क को गड्ढा मुक्त कराते हुए चौड़ीकरण का कार्य पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जनपद लखनऊ के आलमनगर वाया मोहान-बांगरमऊ जाने वाली सड़क पर विगत वर्षों में जनपद लखनऊ में 5.00 कि0मी0 तथा जनपद उन्नाव में 15.60 कि0मी0 कुल 20.60 कि0मी0 के चौड़ीकरण का कार्य किया गया।

अभी भी इस मार्ग का 50.40 कि0मी0 चौड़ीकरण हेतु शेष है।

प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण एस0आर0पी0-2 योजना के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की मण्डी समितियों के चुनाव कराने की मांग

5--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की मण्डी समितियों के चुनाव कब से नहीं कराये गये हैं तथा इसके क्या कारण हैं ? उक्त चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मण्डी समितियों की स्थापना से वर्तमान तक चुनाव नहीं हुए हैं। वर्तमान में मण्डी अधिनियम में चुनाव की व्यवस्था के स्थान पर नामांकन की व्यवस्था लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नदियों पर पुल बनाये जाने विषयक नीति तथा जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील के कोलाघाट पुल को शीघ्र बनाने की मांग

6--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नदियों पर पुल बनाये जाने की क्या कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या यह सही है कि जनपद शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील के कोलाघाट के पुल का शिलान्यास वर्ष 1990-91 में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो इस पुल के अब तक न बन पाने के क्या कारण हैं ? उक्त पुल कब तक बनवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रदेश में नदियों पर सेतुओं का निर्माण क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं तकनीकी संभाव्यता के आधार पर कराया जाता है।

जी हां।

सेतु के निर्माण हेतु आई0आई0टी0 कानपुर से माडल स्टडी करायी गयी थी। इसमें प्रस्तुत विकल्पों के चयन के लिए मुख्य अभियन्ता, बरेली की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी। समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर निर्णय लिये जाने की कार्यवाही शासन में विचाराधीन है।

7--श्री संजीव दरियाबादी--

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के नवीनीकरण की मांग

8--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत बारी कला-शेखपुर, आमापुर-ढाठर-अतरौरा, बधवा-उतरौली-खीरापुर खुर्द-पठखौली सलाहपुर मार्ग, पट्टी-बधवा मार्ग, बारीकला-भिवनी, मैसोनी-करैला, पट्टी-राजा बाजार, तारडीह-रामगंज नगर सराय भिटारी, ढखवा-बहरीपुर, ढखवा-इब्राहिमपुर, मगरौरा-कन्धई, कोड्डौर-किसुनगंज-कन्धई, फेन्हा, सरततपुर-नेवादा मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने हेतु क्या स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

आमापुर-ढाढा-अतरौला, ढकवा-बहरीपुर मार्ग तथा ढकवा-इब्राहिमपुर मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

पट्टी-बंधवा से सलाहपुर मार्ग, सारडीह-रामगंज मार्ग, बन्धई-मगरौरा मार्ग, कोहड़ौर-किसुनगंज कन्धई मार्ग तथा सरसतपुर सम्पर्क मार्ग पर नवीनीकरण कार्य किया जा चुका है।

शेष मार्गों पर नवीनीकरण का कार्य चक्रानुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग का चौड़ीकरण कराने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

9--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-3/132198, दिनांक 5-2-2004 पर मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश दिनांक 12-2-2004 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मुख्य मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने से संबंधित था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

पत्र में उल्लिखित करैला से बरहूपुर शेखपुर अधारगंज मार्ग एवं सैफाबाद ढिढुई बारीकलां मियूनी मगरौरा ग्रामीण मार्ग, मार्ग विकास नीति के अनुरूप न होने के कारण उनके आगणन गठित नहीं किये गये हैं। शेष 2 प्रमुख जिला मार्ग तथा 4 अन्य जिला मार्गों के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं जिन पर स्वीकृति की कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के सिसवां विकास खण्ड के ग्राम खेतरारी में सड़कों के निर्माण की मांग

10--श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद महाराजगंज के सिसवां विकास खण्ड के ग्राम खेतरारी में 6 कि0मी0 पक्का लेपन मार्ग स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त सड़क का कुछ भाग निर्माण हेतु शेष है ? यदि हां, तो उक्त शेष निर्माण कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के भौरहिया नदी के गड़ौरा-लक्ष्मीपुर मार्ग पर क्षतिग्रस्त सेतु के मरम्मत की मांग

11--श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के भौरहिया नदी के गड़ौरा-लक्ष्मीपुर मार्ग पर निर्मित सेतु क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त सेतु की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जनपद महाराजगंज के भौरहिया नदी के गड़ौरा-लक्ष्मीपुर मार्ग पर निर्मित सेतु के प्रथम स्पान के किनारे स्लैब के नीचे की एक बेयरिंग अपने स्थान से हटकर गिर जाने के कारण स्लैब लगभग 8 सेमी0 टिल्ट कर गया है।

सेतु की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महाराजगंज के तहसील निचलौल के ग्राम कोल्हुआ अर्जुनही, तथा सगरदीनही में चकबन्दी कराने की मांग

12--श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद महाराजगंज के तहसील निचलौल के ग्राम कोल्हुआ, अर्जुनही, सगरदीनही में चकबन्दी करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त ग्रामों में चकबन्दी कराने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

चकबन्दी कराने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

13--श्री दीनानाथ कुशवाहा--

[दिनांक 25-7-2005 को अता0 प्र0 सं0 171 द्वारा उत्तरित]

चकबन्दी अधिकारी मकबरा, फैजाबाद के निर्णय के अनुपालन में श्री भवानी प्रसाद एवं श्री भवानी भीख को गाटा सं0 1152, 296-मि0 992/9 पर नाम दर्ज करके कब्जा दिलाने की मांग

14--श्री पूर्णमासी देहाती--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुकदमा नम्बर-400 धारा 9 क (2) जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत भवानी प्रसाद एवं भवानी भीख पुत्रगण स्व0 बुद्धू आदि निवासी ग्राम घेड़वल, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद बनाम ग्राम समाज आदि का दिनांक 7 अप्रैल, 1992 की न्यायालय, चकबन्दी अधिकारी मकबरा, फैजाबाद द्वारा निर्णय देते हुए निस्तारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त आदेश के अनुपालन में श्री भवानी प्रसाद एवं श्री भवानी भीख को गाटा संख्या 1152, 296 मि0 992/9 पर नाम दर्ज करके मौके पर पैमाइश कराकर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत आदेश दिनांक 7-4-92 के विरुद्ध दिनांक 9-4-92 को उमादत्त आदि द्वारा अपील संख्या 3896 अन्तर्गत धारा 11 (1) प्रस्तुत कर दिनांक 10-4-92 को स्थगन प्राप्त कर लिया गया। दिनांक 1-2-99 को अपील का निस्तारण किया गया है। श्री भवानी भीख आदि द्वारा आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त चकबन्दी अधिकारी, कुचेरा के स्तर पर आदेश वाद संख्या 84, नियम 109 के अन्तर्गत दिनांक 14-7-2005 को पारित कर दिया गया है। आदेशों का अमलदरामद तहसील स्तर पर उपलब्ध खतौनी में दिनांक 19-7-2005 को कर दिया गया है। पट्टे की भूमि होने के कारण श्री भवानी भीख एवं भवानी प्रसाद को पहले से ही कब्जा प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

भवानी भीख, निवासी ग्राम घोड़वल, फैजाबाद के गाटा सं0 657 की पैमाइश हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

15--श्री पूर्णमासी देहाती--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भवानी भीख स्व0 बुद्धू, निवासी ग्राम घोड़वल, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2005 को गाटा सं0 657 की पैमाइश हेतु प्रार्थना-पत्र उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलेखीय व स्थलीय जांच की गयी। गाटा संख्या 657 क्षेत्रफल 01-01-10 विसवांसी पर श्री बृजेश कुमार पुत्र लाल साहेब व भवानी भीख पुत्र स्व0 बुद्धू व आत्मा सिंह पुत्र शारदा बक्श सिंह संक्रमणीय भूमिधर बतौर सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी के संक्रमणीय भूमिधर बतौर सहखातेदार दर्ज होने के कारण प्रकीर्ण प्रार्थना-पत्र पर गाटा संख्या-657 की पैमाइश विधिक रूप से सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में पंडित दीनदयाल मार्ग योजना के अन्तर्गत मार्गों की मरम्मत के संबंध में पत्र

16--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री कृषि का पत्र सं0-485/वी0आई0पी0/02, दिनांक 24-12-02 जो विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में पंडित दीनदयाल मार्ग योजना के अन्तर्गत मार्गों की मरम्मत एवं उनका मानकों के अनुसार निर्माण किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण, इलाहाबाद क्षेत्र का पत्र 16935/प्र/प/ई, दिनांक 18-12-02 अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ फतेहपुर वृत्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मार्ग नेवादा, कन्हाई मधुपुर, पूरे बंशीधर, कजांसराय गुलामी, अस्थरा, भिवनी, कठसापट्टी मार्ग सहित अन्य पर मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

पत्र में उल्लिखित समस्त मार्ग ग्रामीण मार्ग श्रेणी के मार्ग हैं, जिनकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी के मार्ग एवं पुल निर्माण की स्वीकृति के आगणन पूर्वांचल निधि के राज्यांश से कराने हेतु पत्र

17--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग एवं पुल निर्माण की स्वीकृति के आगणन पूर्वांचल निधि के राज्यांश से कराये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-102846/04, दिनांक 1-7-04 तथा सी0एम0/वि0को0/एम0-900981/03, दिनांक 17-11-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/102846/04, दिनांक 1-7-04 तथा सी0एम0/विको0/एम0/90098/03, दिनांक 17-11-03 प्राप्त हुए हैं।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित आयुक्त, इलाहाबाद के पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन पूर्व वर्षों के होने के कारण संशोधित पुनरीक्षित आगणन मांगे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के ग्राम रसूलपुर हैदरपुर का नाम चन्द्र भूषण शाह जी ग्राम किये जाने की मांग

18--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा सं0-70/2001 क्रम सं0-40350271316, दिनांक 9-6-01 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम रसूलपुर हैदरपुर का नाम चन्द्र भूषण शाह जी ग्राम किये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा, आसपुर देवसरा में प्रति ब्लाक 50-50 हैण्डपम्प राज्यांश वित्त पोषित किये जाने के संबंध में

19--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल निधि से हैण्डपम्पों के लगाये जाने हेतु वित्त पोषण के संबंध में वर्तमान में शासन की क्या नीति है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-2/887331, दिनांक 3-3-04 जो जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा, आसपुर देवसरा में प्रति ब्लाक 50-50 हैण्डपम्प राज्यांश वित्त पोषित किये जाने के संबंध में था, प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

पूर्वान्चल विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इस निधि के राज्यांश से ऐसी परियोजनायें ही स्वीकृत की जानी है, जिनकी लागत रु0 10.00 लाख से अधिक हो। रु0 1.00 लाख से रु0 10.00 तक की लागत की परियोजनायें जिलांश से स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी है, किन्तु इण्डिया मार्क-III हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापन कार्य हेतु रु0 1.00 लाख की उक्त न्यूनतम सीमा से मुक्त रखा गया है।

जी हां।

शासन के पत्र सं0-एम0 1241, 1242, 1243/35-5-2003, दिनांक 08-08-2003 द्वारा विकास खण्ड मगरौरा, पट्टी एवं आसपुर देवसरा में हैण्ड पम्पों की व्यवस्थापन हेतु आगणन चाहे गये थे परन्तु उक्त प्रस्ताव रु0 10.00 लाख से कम के होने के कारण पूर्वान्चल विकास निधि (जिलांश) से वर्ष 2003-04 में विकास खण्ड मगरौरा हेतु 37, पट्टी हेतु 37, आसपुर देवसरा हेतु 36, हैण्ड पम्पों की स्वीकृति आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 8-2-2004 द्वारा निर्गत की गयी है। तत्क्रम में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़ को स्वीकृत धनराशि रु0 21.06 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम विनयका मदाफरपुर, विझला, उदईसाहपुर, रमगढ़ा, सोनपुर में गलत पट्टे किये जाने की शिकायत

20--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में कृषि एवं आवास हेतु भूमि के पट्टों की स्वीकृत किये जाने की शासन की वर्तमान नीति एवं मानक क्या है ? क्या जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम विनयका मदाफरपुर, विझला, उदईसाहपुर, रमगढ़ा, सोनपुर में गलत पट्टे किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 23-12-03, 24-12-03, 20-10-04, 30-12-04, जिस पर मा0 मंत्री जी का पत्र सं0-845, 822, 821, दिनांक 30-12-03 जो जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्रेषित किया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था की धारा 198 (1) के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को कृषि आवंटन एवं उ0 प्र0 ज0 वि0 अधिनियम की धारा-122 सी (3) के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को आवास का पट्टा किया जाता है।

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के ग्राम मदाफरपुर, विझला, उदईसाहपुर, रमगढ़ा, सोनपुर, विनैका में कृषि एवं आवास आवंटन के संबंध में अपर कलेक्टर के न्यायालय में धारा 198 (4) एवं 115 बी0 ज0 वि0 अ0 के अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण का वाद विचाराधीन है। ग्राम मदाफरपुर के कुल 31 व्यक्तियों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत दि0 10-12-03, 31-12-03, व 14-4-95 को जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 29-6-05 द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा ग्राम विझला में कृषि आवंटन तथा ग्राम उदईसाहपुर में आवास आवंटन के बाद में अपर कलेक्टर द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित हुआ है एवं ग्राम रमगढ़ा के कृषि आवंटन के पट्टे के संबंध में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के न्यायालय में निगरानी विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र, 50 शाहजहांपुर में चिनौर ग्राम को लोहिया ग्राम में चयनित किये जाने संबंधी प्रस्ताव की जानकारी

21--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक लोहिया ग्राम चुने जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? क्या विधान सभा क्षेत्र, 50 शाहजहांपुर में चिनौर ग्राम को लोहिया ग्राम में चयनित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक के अन्तर्गत कतिपय जीर्ण-शीर्ण मार्गों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराने की मांग

22--श्री सुरेश कुमार खन्ना --

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद के भावलखेड़ा ब्लाक के अन्तर्गत जाने वाली मोहमदी मार्ग से ग्राम जमलापुर ग्राम मुकरमपुर से ग्राम मानपुर सीतापुर मार्ग से ग्राम सिमरई तक का मार्ग एन0एच0 24 से रौसर जाने वाला मार्ग तथा हुसैनापुर, कटिया कम्मू कटिया रज्जब जाने वाला मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का पुनर्निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

ग्रामीण श्रेणी के यह मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी सामान्य अनुरक्षण मद में उपलब्ध सीमित धनराशि से मरम्मत कर यातायात चलाया जा रहा है।

मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी समिति शाहजहांपुर क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग सुतनेरा तथा मोहम्मदी रोड से बुसुलिया ददिउरा मार्ग की मरम्मत की मांग

23--श्री सुरेश कुमार खन्ना --

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री को जानकारी है कि भांवलखेड़ा ब्लाक जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत आने वाला बुसिलिया ददिउरा मार्ग तथा मोहम्मदी मार्ग से सुतनेरा मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

मण्डी समिति शाहजहांपुर क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग सुतनेरा लम्बाई 1.00 किमी0 लागत रुपये 6.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 6-6-2005 को निर्गत की गयी है। उक्त मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सम्पर्क मार्ग मोहम्मदी रोड से बुसुलिया ददिउरा मार्ग का मरम्मत हेतु सर्वेक्षण करा लिया गया है। मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर धन की उपलब्धता एवं स्थानीय प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखकर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के बांगरमऊ से सण्डीला जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

24--श्री राम शंकर पाल--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांगरमऊ से सण्डीला जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे नागरिकों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसे सामान्य अनुरक्षण मद से यथासम्भव मरम्मत कराकर यातायात चालू रखा जा रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला उन्नाव के क्षेत्र बांगरमऊ के निरीक्षण भवन में पंखे, सोफे तथा सफाई आदि की व्यवस्था कराने की मांग

25--श्री राम शंकर पाल--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ जिला-उन्नाव में लोक निर्माण विभाग द्वारा जो निरीक्षण भवन बनवाये गये हैं उनमें लगे पंखे जल गये हैं, सोफे टूटे हैं तथा सफाई व पुताई न होने के कारण गन्दगी बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निरीक्षण भवनों में पुराने सामान को बदलने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं, निरीक्षण भवन बांगरमऊ में पंखे चालू स्थिति में है, सोफे टूटे नहीं हैं तथा निरीक्षण भवन में गन्दगी नहीं रहती है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जिला उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र की गंज मुरादाबाद से बल्लापुर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की मांग

26--श्री राम शंकर पाल--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उन्नाव की बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र के गंज मुरादाबाद ब्लाक की सड़क जो गंज मुरादाबाद से बल्लापुर तक जाती है, क्षतिग्रस्त हो गई है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग कुछ स्थानों पर अधिक क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी मरम्मत कराकर यातायात चालू रखा जा रहा है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के समग्र ग्राम (2003-04) में कतिपय गांवों को जोड़ने के प्रस्ताव की जानकारी

27--श्री राजेश कुमार--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के समग्र ग्राम (वर्ष 2003-04) में मनहरिया (सोनपीपर) भीरा बिजुआ पी0डब्लू0डी0 रोड झटकुटी से कमियापुर होते हुए मनिहरिया गांव से जोड़ने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद खीरी के विकास खण्ड बाकेगंज के समग्र ग्राम (वर्ष 2003-04) में स्वीकृत मार्गों के निर्माण की मांग

28--श्री राजेश कुमार--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के विकास खण्ड बाकेगंज के समग्र ग्राम (वर्ष 2003-04) भगतपुर (रामपुर डाटपुर) से लक्षिमनपुर पेन्टेड रोड से भगतपुर तक मार्ग स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समग्र ग्राम वर्ष 2003-04 में भगतपुर (रामपुर डाटपुर) नाम से कोई ग्राम चयनित नहीं है, अपितु चयनित ग्राम का नाम ग्रन्ट डाटपुर भगतपुर है, जिसका सबसे बड़ा मजरा पसियापुर पेन्टेड रोड से जुड़ा है। लक्षिमनपुर पेन्टेड रोड से भगतपुर तक का मार्ग स्वीकृत नहीं है।

कानपुर (देहात) की तहसील रसूलाबाद के अन्तर्गत ग्राम जोत व सजावारपुर में चकबन्दी कराने की मांग

29--श्री प्रागी लाल अहिरवार--

क्या सरकार को जानकारी है कि कानपुर (देहात) की तहसील रसूलाबाद के अन्तर्गत ग्राम जोत व सजावारपुर के अतिरिक्त सभी ग्रामों में चकबन्दी हो गई है ? यदि हां, तो जोत व सजावारपुर ग्रामों में चकबन्दी न होने के क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त ग्रामों में चकबन्दी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रथम चक्र की चकबन्दी गजट होने के समय वर्ष 1972 में ग्राम जोत व सजावारपुर का कृषिक क्षेत्रफल चकबन्दी क्रियायें लागू करने हेतु मानक के अनुरूप नहीं था। अतएव चकबन्दी कराने का प्रस्ताव नहीं किया गया था।

प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उपनिदेशक, मण्डी परिषद द्वारा निदेशक, मण्डी परिषद के आदेशों की अवहेलना किये जाने के संबंध में जांच

30--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री को जानकारी है कि निदेशक, मण्डी परिषद् ने अपने पत्रांक 143/कैम्प दि0 11-6-03 द्वारा उपनिदेशक, मण्डी परिषद् को दण्डित करते हुए दो वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड दिया था ? यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी वेतनवृद्धि स्वयं लगा ली गयी थी ? क्या इसकी जांच आख्या उपनिदेशक (प्रशासन) बरेली ने अपने पत्रांक प्र0अ0/शि0-जांच/05-3623, दिनांक 21-3-05 द्वारा प्रस्तुत की गई है ? क्या उक्त जांच में संबंधित अधिकारी दोषी पाये गये ? यदि हां, तो इस संबंध में दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रकरण मण्डी परिषद् स्तर पर परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

गुण-दोष के आधार पर मण्डी परिषद् स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।

जनपद झांसी के मऊरानीपुर के गल्ला मण्डी परिसर में निर्मित किसान बाजार दुकानों के आवंटन की मांग

31--श्री प्रागी लाल अहिरवार--

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर जनपद झांसी के अन्तर्गत गल्ला मण्डी परिसर में किसान बाजार दुकानों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त दुकानों का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

कुल 140 किसान बाजार दुकानों का निर्माण कराया गया, जिसमें से 51 दुकानें आवंटित की जा चुकी है एवं 14 आवंटन प्रक्रिया में है। 75 दुकानों के सम्मुख नगर पालिका परिषद् द्वारा अनधिकृत रूप से दुकानों का निर्माण कराये जाने के कारण आवंटन अवरुद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम कोहरौली के अन्तर्गत चकरोड/चकमार्ग सं0-596, 457 व 9822 तथा गाटा सं0-816 आदि पर अनधिकृत कब्जा हटवाने की मांग

32--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद फूलपुर-तहसील, मार्टीनगंज ब्लाक के ग्राम-कोहरौली के अन्तर्गत चकरोड/चकमार्ग सं0-596, 457 व 822 तथा गाटा संख्या 816 आदि कतिपय लोगों द्वारा अपने चकों में शामिल कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चक मार्गों का कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में लोक निर्माण विभाग की आवासीय सरकारी कालोनियों के अनधिकृत अध्यासियों से आवास खाली कराने तथा किराया वसूली करने की मांग

33--श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में विभाग की कितनी आवासीय सरकारी कालोनियां हैं इन कालोनियों में कितने अधिकारी/कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्ष 2001 से अब तक स्थानान्तरित हो चुके हैं और वे अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर ऐसे सभी अध्यासियों से आवास खाली कराकर नियमानुसार किराए की वसूली करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जनपद कानपुर नगर में लोक निर्माण विभाग के अधीन 14 आवासीय सरकारी कालोनियां हैं। इन सरकारी कालोनियों में से पांच कालोनियों में वर्ष 2001 से अब तक 20 स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी अनधिकृत रूप से निवास कर रहे हैं।

जी हां, अनधिकृत रूप से रह रहे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास खाली कराने हेतु नोटिस निर्गत किये गये हैं तथा जिलाधिकारी, कानपुर से भी कार्यवाही का अनुरोध किया गया है, साथ ही शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किराये की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर क्षेत्र सुल्तानपुर के अन्तर्गत गोमती नदी के दक्षिणी छोर पर रेलवे पुल से गोलाघाट होते हुए सीताकुण्ड घाट तक बन्धा व सड़क पूर्वांचल राज्यांश से बनाये जाने के संबंध में प्राप्त पत्र की जानकारी

34--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रमांक 5, कम्प्यूटर संख्या-सी-10104895, पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-104895/2004 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन, दिनांक 23-7-2004 को नगर क्षेत्र सुल्तानपुर के अन्तर्गत गोमती नदी के दक्षिणी छोर पर रेलवे पुल से गोलाघाट होते हुए सीताकुण्ड घाट तक बन्धा व सड़क पूर्वांचल राज्यांश से बनाये जाने हेतु कार्य के आगणन कराकर पत्रावली प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी थी, के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या धन स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मण्डलायुक्त, फैजाबाद के माध्यम से आगणन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जा चुका है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

वांछित आगणन अप्राप्त है।

जनपद सुल्तानपुर में टेलीफोन एक्सचेंज से पानी की टंकी होते हुए कुड़वार अलीगंज मार्ग बी0पी0ई0 कालेज चौराहे तक सम्पर्क मार्ग के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र संख्या-1077 पु0वि0नि0/राज्यांश 2004-05, दिनांक 15-12-04 जो जनपद सुलतानपुर में टेलीफोन एक्सचेंज से पानी की टंकी होते हुए कुड़वार अलीगंज मार्ग क्रॉस करते हुए बी0पी0ई0 कालेज चौराहे तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण लम्बाई 1.20 कि0मी0 आगणन रुपये दस लाख बयालिस हजार रु0 की स्वीकृति हेतु शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या धन स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां, जिलाधिकारी, सुलतानपुर के प्रश्नगत पत्र द्वारा प्रेषित आगणन मण्डलायुक्त, फैजाबाद के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

परियोजना की स्वीकृति विचाराधीन परियोजनाओं की तुलनात्मक उपयोगिता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद महराजगंज के ग्राम तितनापार में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग

36--श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम तितनापार, तहसील सहजनवा, जनपद महराजगंज में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा हटवाकर क्या पट्टा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम तितनापार, तहसील सहजनवां नाम का कोई ग्राम जनपद महराजगंज में स्थित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आपदा राहत निधि से वर्ष 2004-05 में विभिन्न जनपदों को आवंटित धनराशि का विवरण

37--श्री नरेन्द्र शिशौदिया--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दैवीय आपदा कोष से वर्ष 2004-05 में जनपदवार कितनी राशि दी गई तथा व्यय की गई धनराशि का विवरण शासन को प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? व्यय विवरण न देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

आपदा राहत निधि से वर्ष 2004-05 में जनपदों को आवंटित धनराशि का विवरण संलग्न† है। (संलग्नक-1)

जी नहीं।

क्योंकि जनपदों में अभी भी कृषि निवेश अनुदान की धनराशि का वितरण हो रहा है, इसलिये जनपद विवरण-पत्रों को अंतिम रूप नहीं दे पाये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ की ग्राम सभा माऊरबोझ में लोक निर्माण विभाग की सड़क के किनारे की भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में जानकारी

38--श्री राम करन आर्य--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के तहसील घोसी अन्तर्गत ग्राम सभा माऊरबोझ में गांव से लगी लोक निर्माण विभाग की सड़क के किनारे जमीन पर अतिक्रमण कर मकान निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? क्या सरकार उक्त जमीन को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं। लोक निर्माण विभाग की भूमि पर श्री भुवाल वर्मा द्वारा अपने मकान के सामने एक अस्थायी शेड बना लिया गया था जिसे दिनांक 1-7-2005 को हटा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर में गोमती नदी के कुंडवार नौगवांतीर घाट पर पुल निर्माण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

39--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री के कम्प्यूटर संख्या-सी-10124110, पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-124110/2005, दिनांक 29-4-05 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को जो गोमती नदी सुलतानपुर में कुंड़वार नौगवांतीर घाट पर पुल का निर्माण कराने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

शासनादेश संख्या-2041/23-9-05-8 नाबार्ड/04 टी0सी0-1, दिनांक 2 जून, 2005 द्वारा रु0 481.63 लाख की लागत पर कार्य की स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्ष 2005-06 में रु0 288.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 177पर)

सुल्तानपुर सदर में कतिपय 3 मार्गों का निर्माण पू0वि0नि0 से कराने के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

40--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय --

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री के कम्प्यूटर संख्या-सी-10124109, पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-124109/2005, दिनांक 29-4-05 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को सम्बोधित था तथा विधान सभा क्षेत्र सुल्तानपुर सदर में कतिपय 3 मार्गों का निर्माण पू0वि0नि0 से कराने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर से आगणन चाहे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर सदर में सड़क सुधार योजनान्तर्गत कतिपय 4 सड़कों के निर्माण के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

41--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री के कम्प्यूटर संख्या-सी-10124108, पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-124108/2005, जो प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रेषित है तथा जो वि0स0 क्षेत्र सुल्तानपुर सदर में सड़क सुधार योजनान्तर्गत कतिपय 4 सड़कों का निर्माण करने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां, किन्तु प्रश्नगत-पत्र पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) में स्वीकृत 4 परियोजनाओं की द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने से संबंधित है।

प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर से कतिपय सूचनायें चाही गयी हैं। परियोजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना चालू परियोजनाओं की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

सड़क सुधार योजनान्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को 25 लाख रुपये स्वीकृत करने के संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

42--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री के कम्प्यूटर संख्या-सी10124107, पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-124107/2005, दिनांक 29-4-05 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्रेषित एवं सड़क सुधार योजनान्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को 25 लाख रुपये स्वीकृत करने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह ग्रामीण मार्ग सुधार योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 में सुल्तानपुर के स्वीकृत मार्गों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत की मांग

43--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय --

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत चौधरी चरण सिंह ग्रामीण मार्ग सुधार योजना में मार्गों के जीर्णोद्धार, मरम्मत सुधार एवं नवीनीकरण योजना वर्ष 2004-05 में भी प्रभावी है ? यदि हां, तो जनपद के विधान सभा क्षेत्र 109 सदर सुल्तानपुर के लिए कुल कितने कि0मी0 मार्ग का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत वर्ष 2004-05 में स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र 109 सदर सुल्तानपुर में वर्ष 2004-05 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत कुल 7.50 कि0मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का सुधार कार्य स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सुल्तानपुर के सड़क "पूरे भोज तिवारी का पुरवा से चन्दौकी रोड" तक एवं सम्पर्क मार्ग उतरदहा से कटांवा, वि0 खं0 कुड़वार तक लेपन कार्य कराने की मांग

44--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0 720/35-5-2004-4पू0 (1) आगणन, दिनांक 19-5-04 के परिप्रेक्ष्य में सड़क "पूरे भोज तिवारी का पुरवा से चन्दौकी रोड" वि0 खं0 कुड़वार तक लेपन कार्य लम्बाई एक किमी0 आगणन रु0 13.23 लाख तथा सम्पर्क मार्ग उतरदहा से कटांवा, वि0 खं0 कुड़वार लेपन स्तर तक कराये जाने हेतु आगणन रु0 14.50 लाख लम्बाई 21.10 किमी0 का प्रस्ताव जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र संख्या-1077 पू0वि0नि0/राज्यांश 2004-05, दिनांक 15-12-04 द्वारा आयुक्त, फैजाबाद के माध्यम से शासन को धन स्वीकृति हेतु भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव--

मण्डलायुक्त, फैजाबाद के पत्र दिनांक 14-03-05 के साथ पूरे भोज तिवारी पुरवा से चन्दौकी रोड तक लेपन कार्य लम्बाई 1.00 कि0मी0 हेतु लागत रु0 13.23 लाख एवं सम्पर्क उतरदहा से कटांवा लेपन स्तर तक कार्य, लम्बाई 1.10 कि0मी0 हेतु लागत रु0 14.50 लाख के आगणन प्राप्त हुए हैं।

प्रश्नगत परियोजनाओं की स्वीकृति तुलनात्मक उपयोगिता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सुल्तानपुर में "बिसानी पूरे राल्ही के पुरवा से नहर के पुल तक" वि0खं0 दुबेपुर में मिट्टी से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

45--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0 720/35-5-2004-4 पू0 (1) आगणन, दिनांक 19-5-04 के संदर्भ में सड़क "बिसानी पूरे राल्ही के पुरवा से नहर के पुल तक" वि0खं0 दुबेपुर मिट्टी से लेपन स्तर तक 1.50 कि0मी0 सड़क निर्माण हेतु रु0 17.23 लाख का आगणन ग्रा0अभि0 सेवा, सुल्तानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र सं0-1077 पू0वि0नि0/राज्यांश 2004-05, दिनांक 15-12-04 द्वारा आयुक्त फैजाबाद मण्डल के माध्यम से शासन को धन स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या धन स्वीकृत कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत परियोजना का आगणन मण्डलायुक्त, फैजाबाद के पत्र दिनांक 14-03-05 के साथ प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) से विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति परियोजनाओं की तुलनात्मक उपयोगिता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

कृषि निदेशालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मी स्व0 भगौती के आश्रितों को उ0 प्र0 अनुकम्पा निधि से अनुदान दिये जाने की मांग

46--श्री कौशल किशोर--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि कृषि निदेशालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मी स्व0 भगौती के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से अनुदान स्वीकार किए जाने विषयक कृषि निदेशक, उ0 प्र0 का पत्र संख्या-मु0प्र0 (1) 2293/2004-05, लखनऊ/दिनांक 31 सितम्बर, 2004 संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन कृषि अनु0-4 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

जी हां। कृषि निदेशक का प्रस्ताव पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2004 प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवेन्द्र वर्मा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उन्नाव द्वारा वाद संख्या 401/050 अन्तर्गत धारा 198(4) ज0 वि0 अधिनियम सरकार बनाम रामलखन में निर्णय में दोषी संबंधित लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

47--श्री कौशल किशोर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवेन्द्र वर्मा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उन्नाव द्वारा वाद संख्या 401/050 अन्तर्गत धारा 198 (4) ज0वि0 अधिनियम, सरकार बनाम राम लखन में दिनांक 8-1-2002 के निर्णय में संबंधित लेखपाल को भूमि आवंटन प्रकरण में दोषी पाते हुये उप जिलाधिकारी, हसनगंज, उन्नाव को उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

दोषी लेखपाल (श्री शिव कुमार मिश्र) को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर दण्डित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्राम बारा बुजुर्ग में चकरोड संख्या 1390 पर हुये अनधिकृत कब्जे को हटाने की मांग

48--श्री कौशल किशोर--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उन्नाव, तहसील हसनगंज, परगना झतोतर के अन्तर्गत ग्राम बारा बुजुर्ग में चकरोड संख्या 1390 को अनधिकृत कब्जा करके कुछ लोगों द्वारा अपने खेत में मिला लिया गया है ? यदि हां,तो क्या सरकार चकरोड संख्या 1390 का अनधिकृत कब्जा हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्नगत चकरोड संख्या 1390, क्षेत्रफल 0.015 हे0, जिसके दक्षिण दिशा में खातेदारों के खेत हैं तथा उत्तर दिशा में पुरानी सार्वजनिक आबादी है, जिस पर कच्चे-पक्के मकान बने हैं। इस चकरोड की भूमि किसी खातेदार के खेत में अनधिकृत रूप से सम्मिलित नहीं हुयी है बल्कि सार्वजनिक आबादी पर बने मकानों में सम्मिलित है। सार्वजनिक आबादी होने के कारण संबंधित मकान स्वामियों के विरुद्ध विधिक रूप से भूमि बेदखली हेतु उ0 प्र0 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत तहसीलदार/सहायक कलेक्टर, हसनगंज के न्यायालय में वाद संख्या 109 गांव सभा बनाम रामखेलावन, वाद संख्या 110 गांव सभा बनाम राकेश, वाद संख्या 111 गांव सभा बनाम राकेश, वाद संख्या 112 गांव सभा बनाम राम कुमार, वाद संख्या 113 गांव सभा बनाम भोगनाथ, वाद संख्या 114 गांव सभा बनाम सुरेन्द्र, वाद संख्या 115 गांव सभा बनाम बेचा, वाद संख्या 116 गांव सभा बनाम दर्शन योजित करवा दिये गये हैं तथा न्यायालय के निर्णय के बाद भूमि से बेदखली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

49--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0 प्र0 मण्डी निदेशक के पत्र सं0 मु0अभि0/प्रस्ताव/2004-1059, दिनांक 2-6-2004 जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-2-04 के संदर्भ में प्रस्ताव सं0 कृ0 उ0 म0 परिषद् के पत्रांक मु0अभि0/सम्पर्क मार्ग/90-1416, दिनांक 8-11-90 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त सूचनाओं सहित परिषद् मुख्यालय द्वारा मांगा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जिलाधिकारी द्वारा कुल चार सम्पर्क मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें से बंधुआ कला से आगे अहिरन का पुरवा से बचनावा होते हुये चंदेलपुर धम्मौर तक लम्बाई 3.60 कि0मी0 के निर्माण हेतु रु0 48.00 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति मण्डी परिषद् के पत्र दिनांक 29-4-2005 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मण्डी समिति सुल्तानपुर की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण अन्य अवशेष मार्गों को स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल विकास निधि से वर्ष 2002-03 में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त कराने की मांग

50--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 187 एम0-486/35-5-2003, दिनांक 31-3-2003 द्वारा पूर्वांचल विकास निधि से वर्ष 2002-03 में स्वीकृत परियोजनाओं का अवशेष धनराशि की मांग विषयक पत्रांक 858/पू0वि0नि0/राज्यांश 2002-03, दिनांक 30-10-04 सचि0 लो0नि0वि0 अनुभाग-14 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अवशेष धनराशि अवमुक्त कर दी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां, किन्तु उक्त पत्र दिनांक 30-10-04 का है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर से कतिपय सूचनायें चाही गयी हैं। परियोजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना चालू परियोजनाओं की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

नगर क्षेत्र सुल्तानपुर के अन्तर्गत गोमती नदी के दक्षिणी छोर पर रेलवे पुल से गोलाघाट होते हुये सीताकुण्ड घाट तक बन्धा व सड़क पूर्वांचल राज्यांश से बनाये जाने के संबंध में जानकारी

51--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्रमांक 5, कम्प्यूटर संख्या सी-10104895/पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/104895/2004 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन, दिनांक 23-7-2004 को नगर क्षेत्र सुल्तानपुर के अन्तर्गत गोमती नदी के दक्षिणी छोर पर रेलवे पुल से गोलाघाट होते हुये सीताकुण्ड घाट तक बन्धा व सड़क पूर्वांचल राज्यांश से बनाये जाने हेतु धन स्वीकृत करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

मण्डलायुक्त, फैजाबाद के माध्यम से आगणन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोयडा, गौतमबुद्ध नगर में पुष्प मंडी बनाने हेतु विदेश भ्रमण का प्रकरण

52--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री कृपया बतायेंगे कि नोएडा, गौतमबुद्ध नगर में पुष्प मंडी बनाने के लिये अब तक कितनी बार कितने अधिकारी विदेश भ्रमण कर चुके हैं तथा उन्होंने किन-किन बिन्दुओं पर अध्ययन रिपोर्ट सौंपी है ? क्या शासन द्वारा उसका परीक्षण किया जा चुका है ? क्या यह सही है कि मण्डी परिषद् के अधिकारियों के एक दल ने पुन: विदेश भ्रमण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त अधिकरी किन-किन देशों का भ्रमण करेंगे तथा किन-किन अतिरिक्त बिन्दुओं पर अध्ययन करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

नोएडा पुष्प मण्डी के संबंध में अभी तक तीन बार में चार अधिकारी विदेश भ्रमण कर चुके हैं तथा इन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट सौंपी है। दलवार किये गये अध्ययन के बिन्दु निम्नवत् है :

प्रथम दल (अखण्ड प्रताप सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त व श्री गंगादीन यादव मण्डी निदेशक)--

उक्त भ्रमण दल द्वारा न्यू कोवेन्ट गार्डेन, लन्दन स्थित पुष्प बाजार के प्रशासन तथा उसकी व्यापारिक गतिविधियों के बिन्दुओं पर आख्या दी गयी है।

द्वितीय दल [श्री जे0 के0 सिंह, उप निदेशक (निर्माण)]--

उक्त भ्रमण दल द्वारा न्यू कोवेन्ट मार्केट, लन्दन स्थित पुष्प बाजार के भवन, ट्रैफिक, पार्किंग, सुरक्षा, प्रकाश व ड्रेनेज आदि की अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में रिपोर्ट दी गयी है।

तृतीय दल (श्री अरुण सिंघल, मण्डी निदेशक)--

उक्त भ्रमण दल द्वारा न्यू कोवेन्ट गार्डेन, लन्दन अलसमीर मुख्य नीलामी केन्द्र, एम्सरटडंम तथा रंजिस (पेरिस) एवं हमरिया मण्डी (दुबई) का भ्रमण करने के उपरान्त मण्डियों की प्रशासनिक व्यवस्था, फल एवं सब्जी बाजार, फूलों की आवक, नीलामी के प्रक्रिया आदि बिन्दुओं पर रिपोर्ट दी गयी है।

भ्रमण दलों के द्वारा अध्ययन रिपोर्ट शासन/मण्डी परिषद् को प्रस्तुत की जा चुकी है।

माह अप्रैल, 2005 में मण्डी परिषद् के अधिकारियों के एक दल का अन्य बिन्दुओं के साथ इस संबंध में भी विदेश भ्रमण प्रस्तावित था, जो अपरिहार्य कारणों से निरस्त हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

फाफामऊ, ग्राम मातादीन का पुरा, तहसील सोरांव, इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा की भूमि पर अवैध निर्माण व समतलीकरण कराने की जांच

53--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-4-05 जो फाफामऊ, ग्राम मातादीन का पूरा, तहसील सोरांव, इलाहाबाद के अन्तर्गत राजकीय आस्थान की भूमि/ग्राम सभा की भूमि पर अवैध ढंग से इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि समतलीकरण की कार्यवाही की जांच करने के संबंध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर किये जा रहे अनधिकृत निर्माण/समतलीकरण के कार्य को रोकने के निर्देश जिलाधिकारी, इलाहाबाद को दे दिये गये हैं।

कुड़वार-नौगवातीर, सुल्तानपुर गोमती नदी पर पुल निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

54--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर सं0 सी-10106024 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/106024/2004, दिनांक 4-8-2004 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग को कुड़वार-नौगवातीर, सुल्तानपुर गोमती नदी पर पुल निर्माण हेतु धन अवमुक्त करने विषयक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

शासनादेश संख्या 2041/23-9-05-8 नाबार्ड/04टी0सी0-1, दिनांक 2 जून, 2005 द्वारा रु0 481.63 लाख की लागत पर कार्य की स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्ष 2005-06 में रु0 288.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

जनपद फैजाबाद की तहसील रुदौली के अन्तर्गत बाबा का बाजार मार्केट से ग्राम कसारी को जाने वाली सड़क पर अधूरे लेपन कार्य को पूर्ण कराने की मांग

55--श्रीमती शारदा देवी--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद, तहसील रुदौली के अन्तर्गत बाबा का बाजार मार्केट से ग्राम कसारी को जाने वाली सड़क का 04 कि0मी0 का सड़क निर्माण का लेपन कार्य अधूरा है ? क्या सरकार अधूरा कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

4.00 कि0मी0 में से 2.00 कि0मी0 लेपित है तथा 2.00 कि0मी0 लम्बाई का कार्य खड़ंजा स्तर पर है। जिसका लेपन स्तर तक का कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उटता।

मिर्जापुर में लालगंज बाजार के पूरब तरफ बसही नाला से बस्तरा मोड़ तक बाईपास बनवाये जाने विषयक प्रत्यावेदन

56--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (मानवाधिकार फोरम) के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शशि भूषण दूबे पथिक (लालगंज) का प्रत्यावेदन दि0 27 अगस्त, 2004, दि0 18 अक्टूबर, 2004, दि0 27 दिसम्बर, 04, दि0 09 फरवरी, 2005, जिलाधिकारी, मिर्जापुर/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 (रा0मा0 खण्ड 07) मिर्जापुर को लालगंज बाजार के पूरब तरफ बसही नाला से बस्तरा मोड़ तक बाईपास बनवाये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में रायबरेली मार्ग पर ग्राम बाबू खेड़ा के पास नाले पर पुल निर्माण कराने की मांग

57--श्री कौशल किशोर--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में रायबरेली मार्ग से लिंक मार्ग निगोहा से रघुनाथ खेड़ा के मध्य में ग्राम बाबू खेड़ा के पास नाले पर पुल का निर्माण न होने से आवागमन अवरुद्ध है ? यदि हां, तो उक्त नाले पर पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां, परन्तु वर्तमान में रघुनाथ खेड़ा व बाबू खेड़ा के लिये दयालपुर सम्पर्क मार्ग से होकर आवागमन हो रहा है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के ग्राम बड़ा गांव निवासी श्रीमती कलावती नेत्रहीन-पत्नी श्री रमेश कान्त विकलांग का पांच बीघा भूमि पट्टा किये जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र

58--श्री कौशल किशोर--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ, थाना काकोरी अन्तर्गत ग्राम बड़ा गांव निवासी श्रीमती कलावती नेत्रहीन-पत्नी श्री रमेश कान्त विकलांग का प्रार्थना-पत्र जो पांच बीघा भूमि का पट्टा किये जाने विषयक था पर श्री कौशल किशोर तत्कालीन श्रम राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 18-2-2004 को जिलाधिकारी, लखनऊ को भूमि का पट्टा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या भूमि का पट्टा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

जी नहीं।

दिनांक 12-8-2004 को ग्राम बड़ा गांव के भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा एक मात्र कलावती पत्नी रमेश, निवासी ग्राम को गाटा संख्या 949, रकबा 2-2-0 के आवंटन का प्रस्ताव किया गया। जबकि रूप पत्र-2 में श्रीमती कलावती का नाम क्रमांक 35 पर था। भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा 34 अधिक पात्र व्यक्तियों को छोड़ कर 35वें व्यक्ति के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था जो नियमानुसार न होने एवं ग्राम में आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 1-12-04 को निरस्त कर दिया गया।

संग्रह अमीनों को तहसीलदार के पदों पर विनियमित किये जाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किये जाने विषयक जानकारी

59--श्री कौशल किशोर--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि शासन के राजस्व अनुभाग-9 के पत्र संख्या 363/1-9-2003-आरएम-122/2002, दिनांक 9-7-2003 द्वारा संग्रह अमीनों को तहसीलदार के पदों पर विनियमित किये जाने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किये जाने विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश अनुभाग-3 को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

शासनादेश दिनांक 9-7-03 में याची श्री हरि राम सिंह, संग्रह अमीन को रिट याचिका सं0 8237/89, हरि राम सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 23-6-89 का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये थे।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मेरठ कैन्ट में मार्ग नीति के अनुसार चक में आने वाले मार्गों का विधायक के प्रस्ताव पर कार्य न करा के चयन कर नवीनीकरण एवं सुधार का कार्य

60--श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003-04 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 15-15 लाख रुपये के प्रस्ताव माननीय विधायकों से प्राप्त कर कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो क्या मेरठ कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में भी विधायक के प्रस्ताव पर कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये प्रस्ताव के अनुसार कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वर्ष 2003-04 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों पर, जो मार्ग नीति के अनुसार नवीनीकरण एवं सुधार के चक्र में आते थे, का चयन किया गया तथा 15-15 लाख रुपये के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विधान सभा क्षेत्र, मेरठ कैन्ट में मार्ग नीति के अनुसार चक्र में आने वाले मार्गों का चयन कर नवीनीकरण एवं सुधार का कार्य कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू किये जाने के संबंध में जानकारी

61--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने किसानों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा अभी तक इससे कितने किसान लाभान्वित हुये हैं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां। मण्डी परिषद् द्वारा "समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना" सहायता योजना लागू है।

उत्तर प्रदेश के अधिसूचित मण्डी क्षेत्रों के किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी समिति परिषद् के मजदूरों, जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न हैं, की दुर्घटना हो जाने पर नियमानुसार धनराशि दिये जाने का प्रविधान है तथा क्षतिपूर्ति हेतु दावा स्वीकार करने के लिये पात्रता की आयु सीमा केवल 18 से 60 वर्ष के मध्य होगी--

(क) दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर रुपया 25,000.00।

(ख) दुर्घटना द्वारा दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों आंखें या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर रु0 15,000.00।

(ग) दुर्घटना द्वारा एक हाथ, एक पैर अथवा एक आंख की क्षति होने पर रु0 7,500.00।

(घ) दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ चार अंगुलियों की क्षति होने पर रु0 7,000.00।

(ङ) दुर्घटना द्वारा एक हाथ की तीन अंगुलियों की क्षति होने पर रु0 5,000.00।

(च) अंगूठे की क्षति होने पर रु0 4,500.00।

(छ) छोटी अंगुली की क्षति होने पर रु0 750.00।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्रश्नगत योजना से 753 किसान लाभान्वित हुये हैं। शेष के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक जहांगीराबाद में कतिपय मार्गों की मरम्मत की मांग

62--श्री सुन्दर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक जहांगीराबाद में कस्बा खानपुर, खानपुर कनौना, भौपुर भदौरा, जहांगीराबाद मार्ग जाता है जो क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

मुख्य अभिन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, मेरठ के मो0 इरफान खां लेखाकार द्वारा सहायक लेखाधिकारी का वेतन लेने के संबंध में जांच की मांग

63--श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मुख्य अभियन्ता कार्यालय, मेरठ नियुक्त मो0 इरफान खां, लेखाकार ने स्वयं की पदोन्नति दिखाकर सहायक लेखाधिकारी का वेतन ले रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर दोषी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं। बल्कि शासन द्वारा निर्धारित 14 वर्षों की अनवरत सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही उन्हें अगला वैयक्तिक वेतनमान रु0 6500-10500 स्वीकृत किया गया है जो सहायक लेखाधिकारी के वेतनमान के समतुल्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की ग्राम सभा सौधटिकट की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा करने की जांच की मांग

64--श्री उदयभान करवरिया--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सौधटिकट विकास खण्ड शंकरगढ़, तहसील व परगना बारा, जनपद इलाहाबाद की लगभग 45 बीघा सार्वजनिक उपयोग की भूमि जिनमें सार्वजनिक तालाब व पहाड़ है, वर्तमान ग्राम प्रधान श्री अमरनाथ द्वारा राजस्व अभिलेखों में फर्जी इन्द्राज करा कर अपने व अपने परिवार के नाम दर्ज करवा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करा कर फर्जी इन्द्राज निरस्त करते हुये दोषीजनों को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

विकास खण्ड शंकरगढ़, तहसील व परगना बारा, जनपद इलाहाबाद में सौधटिकट नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड जसरा में भीटा-इमलिया मार्ग के निर्माण हेतु शासन द्वारा धन अवमुक्त किये जाने के संबंध में जानकारी

65--श्री उदयभान करवरिया--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड जसरा में भीटा-इमलिया मार्ग के निर्माण हेतु मा0 मुख्य मंत्री के आदेश 105023/2004, दिनांक 26-7-2004 के अनुपालन में क्या अतिरिक्त धन शासन द्वारा अवमुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अतिरिक्त धन कब तक अवमुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद इलाहाबाद में क्षेत्र बारा के कृषकों को सूखा राहत के अन्तर्गत दी गयी धनराशि का विवरण

66--श्री उदयभान करवरिया--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बारा, जनपद इलाहाबाद के कृषकों को सूखा राहत के अन्तर्गत सन् 2004-05 में 31 मई, 2005 तक कितनी-कितनी धनराशि किन-किन तिथियों में प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

विधान सभा क्षेत्र बारा में सूखे से प्रभावित पात्र कृषकों की कृषि निवेश अनुदान के रूप में रु0 2,23,601 का वितरण निम्न तिथियों में किया गया है--

दिनांक	धनराशि रु0
24-12-2004	47,102.00
27-12-2004	81,574.00
28-12-2004	94,925.00

प्रश्न नहीं उठता।

67--श्री अनिल कुमार वर्मा तथा श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा --

[दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित कतिपय गांवों के किसानों को मुआवजा देने तथा लगान माफ करने की मांग

68--श्री अनिल कुमार वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 में तहसील महमूदाबाद, सीतापुर के ग्राम परमगौरा, फतुल्लापुर, पंडितपुरवा, अरौरा, क्यौरा के किसानों की फसल का घाघरा नदी की कटान से काफी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांव के किसानों की फसल के नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु लगान माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

ग्राम केवरा व अंगरोरा में वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में घाघरा नदी से कोई कटान नहीं हुआ है।

वर्ष 2003-04 में ग्राम परमगौरा, मजरा कलुआपुर में 20.705 हे0 फतुल्लापुर व पंडितपुरवा, मजरा अंगरोरा में 136.105 हे0 कृषि क्षेत्रफल का कटान घाघरा नदी से हुआ है।

वर्ष 2002-03 एवं वर्ष 2004-05 में इन ग्रामों में घाघरा नदी से कोई कटान नहीं हुआ है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार फसलों की क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान के रूप में राहत दिये जाने का प्राविधान है। प्रतिपूर्ति हेतु लगान माफ करने की व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में प्रस्तावित जगहों पर पुलियों के निर्माण संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

69--श्री कौशल किशोर--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद, लखनऊ में प्रस्तावित जगहों पर पुलियों का निर्माण किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-11-04 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

संदर्भित पत्र में बेहटा नाले पर 5 स्थानों में पुलियों के निर्माण का अनुरोध किया गया है। इन सेतुओं के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों से आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार इनके निर्माण में लगभग रु0 11.51 करोड़ की धनराशि व्यय होने का अनुमान है, जो प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

मिर्जापुर जिले की तहसील लालगंज में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की मांग

70--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले की लालगंज तहसील के लालगंज (डाक बंगला के समीप) चकमार्ग नाली पर तिलांव में तालाब पर कटाई में तालाब पर अमहामाफी, रानीवारी, गड़बड़ा, सेमराकलां, हलिया, भटवारी, ड्रमण्डगंज, बबुरा, रघुनाथ सिंह, सिंकटा, पंजरा, पचोखर, पतार कलां, लहंगपुर तालाब भूमि पर सेमरा प्रताप, तिखोर, मेवढ़िया, घुरमा में सार्वजनिक भूमि पर किन-किन लोगों द्वारा अतिक्रमण करके लोक सम्पत्ति क्षतिग्रस्त अधिनियम के विपरीत अवैध कब्जा किया है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये उक्त अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जांचोपरान्त लालगंज डाक बंगला के समीप चकमार्ग व सार्वजनिक नाली पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। ग्राम तिलांव, कटाई, अमहामाफी, रानीबारी, गड़बड़ा, हलिया, सिकटा, ड्रमण्डगंज, पचोखर, लहंगपुर में तालाब की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

ग्राम सेमरा कला की आराजी सं0 749 रकबा 3 बीघा सन् 1402 फसली के पूर्व तालाब के खाते में अंकित रही है, किन्तु सन् 1402 फसली में तत्कालीन तहसीलदार लालगंज ने श्रीमती वैजंती स्त्री बुद्धू नि0 स्थानीय के नाम नामान्तरण आदेश द्वारा असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित कर दिया, जिसके विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा दिनांक 23-7-2002 को उपजिलाधिकारी, लालगंज को उक्त इन्द्राज निरस्त किये जाने का आदेश किया गया। श्रीमती वैजंती देवी ने अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 राजस्व परिषद् में निगरानी दाखिल किया, जिसमें मा0 राजस्व परिषद् ने दिनांक 25-9-2002 को स्थगनादेश पारित किया। श्री चिन्तामणि ने श्रीमती वैजंती देवी का नाम निरस्त कराने के लिये मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0 22569 वर्ष 2003 दखिल किया, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 3-1-2005 द्वारा उक्त आराजी की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट मांगी गयी, जिसे दाखिल कर दिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती वैजंती देवी ने मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एस0 एल0 पी0 सं0 7619 सन् 2005 योजित की है, जो विचाराधीन है।

ग्राम भठवारी, बबुरा रघुनाथ सिंह पजरा, पतार कला में तालाब की भूमि नहीं है।

ग्राम सेमरा प्रताप सिंह, तिखोर, नेवदिया, धुरमा में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार ग्राम सेमरा कला के अतिरिक्त उक्त अन्य ग्रामों में वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है, इसलिये लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने एवं अतिक्रमण हटाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अशफाक खां पुत्र श्री सिद्दीक खां, निवासी ग्राम अमिलिहा, जिला इलाहाबाद द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही की मांग

71--श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि अशफाक खां पुत्र श्री सिद्दीक खां, निवासी ग्राम अमिलिहा, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद ने दिनांक 17-4-2000 को फर्जी जाति मुस्लिम गद्दी (पिछड़ी जाति) का जाति प्रमाण-पत्र तहसीलदार, फूलपुर से प्राप्त कर लिया था ? क्या यह सही है कि नायब तहसीलदार, फूलपुर द्वारा की गयी जांच में श्री असफाक खां द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र फर्जी निर्गत कराने के आरोप सही पाये गये ? यदि हां, तो फर्जी प्रमाण-पत्र के उक्त प्रकरण में क्या सरकार श्री असफाक खां के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करके सख्त कार्यवाही करते हुये फर्जी जाति प्रमाण-पत्र को निरस्त करने का आदेश देगी तथा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र जारी करने में संलिप्त तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

जी हां।

श्री अशफाक खां पुत्र श्री सिद्दीक खां, नि0 ग्राम अमिलिया, तहसील फूलपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 106/05 अन्तर्गत धारा 420/467/468/47 आई0पी0सी0, थाना फूलपुर में दर्ज कराकर कार्यवाही की जा रही है तथा तहसीलदार, फूलपुर के आदेश सं0 437/रा0लि0, दिनांक 19-6-05 द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र सं0 3786 वर्ष 2000 निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकरण से संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गयी है। शीघ्र ही जवाब प्राप्त करके दोषी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के क्षेत्र सदर के अन्तर्गत चार सड़कों को पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत कर धन अवमुक्त करने विषयक-पत्र

72--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/106787/2004 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन दिनांक 10-8-2004 को विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत चार सड़कों को पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत कर धन अवमुक्त करने विषयक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत पत्र में क्रमांक 1 पर अंकित परियोजना का आगणन मण्डलायुक्त, फैजाबाद के पत्र दिनांक 23-2-05 के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति विभाग में उपलब्ध विभिन्न परियोजनाओं की तुलनात्मक उपयोगिता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बुलन्दशहर में कस्बा स्याना व कस्बा अनूपशहर को सीधे जोड़ने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग

73--श्री सुन्दर सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर शाखा गंगा नहर, मेरठ की उत्तरी पटरी पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनायी गयी थी, जो कस्बा स्याना व कस्बा अनूपशहर को सीधे जोड़ने वाली सड़क जर्जर है ? यदि हां, तो क्या राज्य सड़क विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत उक्त सड़क की मरम्मत हेतु धन आवंटित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी में नाबार्ड-4 के अन्तर्गत अशोक पुर असुढ़ी के पुल निर्माण के अवशेष कार्य को पूर्ण कराने की मांग

74--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में नाबार्ड-4 के अन्तर्गत निर्मित हेतु अशोक पुर असुढ़ी के पुल निर्माण के अवशेष कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु क्या पुनरीक्षित आगणन के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

निर्माण कार्य मार्च, 2006 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में निर्मित पट्टी बाई पास पर अवैध कब्जों को हटाने की मांग

75--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में निर्मित पट्टी बाई पास पर अनेक लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जे को हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अवैध कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

केवल एक अवैध कब्जे का प्रकरण प्रकाश में आया है।

अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार यू0पी0पी0पी0 ऐक्ट, 1972 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत की गयी, जिस पर अतिक्रमणकर्ता द्वारा मा0 न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

मा0 न्यायालय का स्थगन आदेश निरस्त होने पर ही अवैध कब्जा हटाया जा सकेगा।

जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र बारा में पूर्वांचल विकास निधि से सड़क निर्माण कराने की मांग

76--श्री उदयभान करवरिया--

क्या लोक निर्माण मत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बारा, जनपद इलाहाबाद में पूर्वांचल विकास निधि से सड़क निर्माण हेतु पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0-184831/2884, दिनांक 23-7-2004 द्वारा धन अवमुक्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त धनराशि कब तक अवमुक्त कराकर सड़क का निर्माण कार्य कराया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

परियोजनाओं की स्वीकृति तुलनात्मक उपयोगिता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

77--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

[दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद प्रतापगढ़ में पट्टी क्षेत्र के मार्ग सिकरी-पण्डरी-बकुलाही एवं अन्य 2 मार्ग की स्वीकृति

78--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रावली सं0 134ई/2002 एवं 168ई/2001/टी0सी0 लोक निर्माण अनुभाग--11 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ पट्टी विधान सभा क्षेत्र के मार्ग सिकरी-पण्डरी-बकुलाही एवं अन्य 2 मार्ग का अनुमोदन राज्य सेक्टर से उनके द्वारा दे दिये जाने के उपरान्त वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

134ई/2002 संख्या की कोई पत्रावली अनुभाग--11 में नहीं खुली है। पत्रावली संख्या 168ई/2001 टी0सी0 में अनुमोदित कार्य की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

शाहजहांपुर में विसरात घाट पर पुल निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराने की मांग

79--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2002-03 में विसरात घाट पर पर्यटन विभाग से पुल बनने के लिये राजकीय निर्माण निगम को 15 लाख रुपया दिया गया है ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि इस पुल के निर्माण के लिये शेष धन 11 लाख रुपया शाहजहांपुर नगर विधान सभा क्षेत्र की विधायक निधि से भी दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां। दिनांक 17-4-03 को 15.00 लाख रुपया राजकीय निर्माण निगम को प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आगणन पर पर्यटन विभाग की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

नाबार्ड योजनान्तर्गत प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में पुलों के निर्माण संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाबार्ड योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ में पुलों, मार्गों के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-2-04 पर मा0 मुख्य मंत्री जी का आदेश संख्या सी0एम0/वि0को0/एम/95442/04, दिनांक 15-2-04, संख्या 95622/04, दिनांक 16-2-04 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत निर्माण कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 4 पुलों के निर्माण के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

81--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2/997573, दिनांक 20-1-04 पर उनका आदेश दिनांक 27-1-04 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 4 पुलों के निर्माण कराये जाने विषयक था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित ढिढुई भाट पट्टी नाले पर निर्माण के लिये पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) से रु0 129.26 लाख की स्वीकृति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है। अवशेष 03 पुलों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी से संबंधित 6 मार्ग में बारी कला-शेषपुर मार्ग, आमापुर-ठाठर अतरौरा मार्ग के नवीनीकरण संबंधी पत्र

82--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-12-2003, दिनांक 27-1-04 तथा 4-10-04 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से संबंधित 6 मार्ग जिसमें बारी कलां-शेषपुर मार्ग, आमापुर-ठाठर अतरौरा मार्ग के नवीनीकरण कराये जाने हेतु था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

उक्त संदर्भित पत्रों की अनुपलब्धता के कारण कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो सका है।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम मदरफरपुर, बिझला, उदईसाहपुर, रामगढ़ा विनयका में किये गये गलत पट्टों के संबंध में शिकायती-पत्र

83--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम मदरफरपुर, बिझला, उदईसाहपुर, रामगढ़ा विनयका में किये गये गलत पट्टों के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 23-12-03, दिनांक 24-12-03, दिनांक 20-10-04, दिनांक 14-11-04 तथा दिनांक 30-12-04 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां। जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के ग्राम मदाफरपुर, विझला, उदईशाहपुर, रामगढ़ा, सोनपुरा, विनैका में कृषि एवं आवास आवंटन के संबंध में अपर कलेक्टर के न्यायालय में धारा 198(4) एवं 115 पी0ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत पट्टा निरस्तीकरण का वाद विचाराधीन है। ग्राम मदाफरपुर के कुल 31 व्यक्तियों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृति दिनांक 10-12-93, 31-12-93 व 14-4-95 को जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 29-6-05 द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा ग्राम विझला में कृषि आवंटन तथा ग्राम उदईशाहपुर में आवास आवंटन के बाद में अपर कलेक्टर में न्यायालय से यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित हुआ है एवं ग्राम रमगढ़ा के कृषि आवंटन के पट्टे के संबंध में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के न्यायालय में निगरानी विचाराधीन है इसके अतिरिक्त ग्राम विनैका में किये गये पट्टों के संबंध में 198(4) ज0वि0अ0 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, प्रतापगढ़ के न्यायालय में वाद विचाराधीन है एवं दोषी लेखपाल व राजस्व निरीक्षक निलम्बित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में उ0 प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 बुढ़वल इकाई के कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्तों आदि का भुगतान कराने की मांग

84--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि0 इकाई बुढ़वल, जनपद बाराबंकी के कर्मचारियों को अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 तक का बकाया वेतन 3 वर्ष की रिटेनिंग भत्ता, 3 वर्ष का बोनस, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी व अन्य देय का कुल 482.18 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद बाराबंकी में स्थित बुढ़वल इकाई के कर्मचारियों के माह अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 तक के बकाये वेतन का भुगतान कर दिया गया है, परन्तु अभी भी माह फरवरी, 2005 से माह जून, 2005 तक का वेतन रु0 56.00 लाख, मात्र एक वर्ष (2002-03) का रिटेनिंग भत्ता रु0 26.00 लाख, दो वर्ष (2000-01 व 2002-03) का बोनस क्रमशः रु0 3.50 लाख व रु0 4.50 लाख, वर्ष 1998-99 से 2004-05 तक के भविष्य निधि का रु0 59.80 लाख तथा केवल 32 कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का रु0 17.88 लाख अर्थात् कुल रु0 167.68 लाख भुगतान हेतु अवशेष है।

चीनी मिल रुग्ण होने तथा अत्यधिक जर्जर स्थिति में होने के फलस्वरूप अलाभप्रद होने के कारण श्रमिकों के देयों के भुगतान हेतु सक्षम नहीं हो पाती है। उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम मुख्यालय अपने सीमित संसाधनों के अधीन प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते रहे हैं तथा तद्नुसार ही भविष्य में व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी के सत्थिन घाट पर पक्का पुल निर्माण कराने की मांग

85--श्री शब्बीर--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न 5 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित पक्का पुल फैजाबाद-रायबरेली मार्ग पर गोमती नदी पर "आम घाट" पर स्थित है जबकि सत्थिन घाट खण्डासा से शकुल बाजार

जाने वाले मार्ग पर सत्थिन गांव के समीप गोमती नदी सत्थिन घाट पर नागरिकों को नाव से पार करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार नागरिकों की कठिनाई को देखते हुये उक्त घाट पर पक्का पुल बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जनपद सुल्तानपुर में गोमती नदी पर सत्थिन घाट से लगभग 8 कि0मी0 नीचे आमघाट पर पक्का पुल उपलब्ध होने तथा वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण सत्थिन घाट पर पुल निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा के ग्राम दुर्जन के पास मडमडवा नाले के पुल की रेलिंग निर्माण कराने संबंधी जानकारी

86--श्री शब्बीर--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 03 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्नगत पुल की रेलिंग निर्माण के प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक कराया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम हालियापुर से दुर्गत तक सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

87--श्री शब्बीर--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-04 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्नगत सड़क के लेपन स्तर तक कराये जाने के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी, फैजाबाद की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक कराया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी के मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

88--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 ख-3/132198, दिनांक 5-2-2004 पर मा0 मुख्य मंत्री के आदेश दिनांक 12-2-2004 तथा प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 क-3/136087 पर दिनांक 27-1-2004 को जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने से संबंधित है, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

पत्र में उल्लिखित 2 प्रमुख जिला मार्ग व 4 अन्य जिला मार्ग के आगणन तैयार कर दिये गये हैं। शेष 2 मार्गों के चौड़ीकरण हेतु आगणन ग्रामीण श्रेणी के मार्ग होने के कारण नियमानुसार तैयार नहीं किये गये हैं।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत कतिपय ब्लाकों में मार्गों का निर्माण कराने की मांग

89--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये दीनदयाल उपाध्याय सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत ब्लाक पट्टी, मंगरौरा, आसपुर देवसरा में मार्गों के निर्माण हेतु 123 ग्रामों हेतु आगणन प्रस्ताव दिये जाने का आदेश सं0 1664, दिनांक 26-9-02 प्रमुख सचिव, सचिव, लोक निर्माण को दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश को राज्य योजना, जिला योजना त्वरित आर्थिक विकास योजना, पूर्वांचल निधि के राज्यांश योजना में शामिल करने हेतु स्वीकृति प्रदान करेंगे। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत कार्यों की स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में पुलों का निर्माण कराने का प्रस्ताव

90--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल को संबोधित नियोजन अनुभाग-5 का अर्द्धशासकीय पत्र सं0 एम-244/35-5-2001-5/73/2001-116, दिनांक 20-4-2001 जो पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से जनपद प्रतापगढ़ के पुल निर्माण हेतु 5 योजनाओं के आगणन प्रस्तुत करने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

माह मई, 2001।

तीन सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष दो सेतुओं का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के तहसील भवन हेतु अवमुक्त धनराशि

91--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के जर्जर तहसील भवन के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को माह मार्च, 2004 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

राजस्व परिषद् से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त मानकीकृत आगणन रु0 187.00 लाख के सापेक्ष दिनांक 29-3-2005 को रु0 60.00 लाख तथा दिनांक 4-5-2005 को रु0 55.00 लाख कुल 115.00 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। स्वीकृत धनराशि निर्माण एजेन्सी पैक्सफेड को अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में निर्मित पट्टी बाई पास पर अवैध कब्जा

92--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में निर्मित पट्टी बाई पास पर कई लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जे को हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

केवल एक अवैध कब्जे का प्रकरण प्रकाश में आया है।

मा0 सिविल जज (जुडिशियल) सदर, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 29-8-2004 को जारी किये गये स्थगनादेश के कारण अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही वर्तमान में बाधित हो गयी है।

मा0 न्यायालय का स्थगन आदेश निरस्त होने पर ही अवैध कब्जा हटाया जा सकेगा ।

उपरोक्तानुसार।

जनपद वाराणसी के दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में सड़कों एवं ड्रेनों के निर्माण का व्ययगत आगणन

93--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों एवं ड्रेनों के निर्माण हेतु पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-5 को प्रेषित पत्रांक सं0 2238/संविआ/पू0वि0नि0/2003-04, दिनांक 24 नवम्बर, 2003 द्वारा प्रस्ताव/आगणन के क्रमांक सं0 3 पर अंकित सामने घाट-गंगा विहार कालोनी के मार्ग संबंधी आगणन व्यय अनुमान 18,06,000 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर जनहित में पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत आगणन नियमानुसार व्यपगत हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर देहात के ग्राम मल्लहन पुरवा में अनियमित रूप से अतिक्रमण कर मार्ग निर्माण हेतु मुआवजा दिलाये जाने की मांग

94--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद कानपुर देहात के ग्राम मल्लहन पुरवा निवासी विशाल निषाद की कृषि भूमि को उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम की कानपुर इकाई द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु अनियमित रूप से अतिक्रमित कर निर्माण कराये जाने एवं उसका मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 19-11-04 के नियम 51 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कालपी में बुन्देलखण्ड विकास निधि से कार्य कराये जाने हेतु भेजे गये प्रस्ताव की धनराशि स्वीकृत करने की मांग

95--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या- 33 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से कालपी क्षेत्र में कार्य कराने हेतु प्रस्ताव क्या मुख्य विकास अधिकारी, जालौन तथा आयुक्त झांसी मण्डल से प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव स्वीकृत कर धनराशि की स्वीकृति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

परियोजनाओं की स्वीकृति उनकी तुलनात्मक उपयोगिता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बरेली में बहेड़ी रोडवेज बस स्टाफ के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाये जाने की मांग

96--श्री सुल्तान बेग--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0 123768, दिनांक 25-4-2005 के द्वारा जो नगरपालिका परिषद् बहेड़ी, रोडवेज बस स्टाप के पास जनपद बरेली में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे पर हुये निर्माण को हटाये जाने के संबंध में था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

उक्त पत्र में वर्णित अतिक्रमण जनपद बरेली के बहेड़ी नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। यह अतिक्रमण अस्थायी टीन शेड/लकड़ी के खोखों की प्रकृति के हैं। दिनांक 8 जून, 2005 से अभियान चलाकर अधिकांश अतिक्रमणों को हटा दिया गया है तथा शेष को हटाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में अवैध खनन रोकने की मांग

97--श्री सुल्तान बेग--

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-123771/2005, दिनांक 25-4-2005 के साथ जो तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली में अवैध तरीके से किये जा रहे वालू खनन को रोकने के संबंध में था, प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के जांच दल द्वारा करायी गयी। जांच दल की विस्तृत आख्या के आधार पर जिलाधिकारी, बरेली को अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी, बरेली द्वारा नदी के किनारे 7.5 मी0 के क्षेत्र को खनन हेतु प्रतिबन्धित कर दिया गया है, साथ ही प्रतिबन्धित क्षेत्र में खनन कार्य न हो सके, उसे सुनिश्चित करने हेतु उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस को निर्देशित भी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील सदन के ग्राम गौरिया कला में स्थगन आदेश के बावजूद भूमि का पट्टा किये जाने की जांच

98--श्री रामहेत भारती--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर की तहसील सदन के ग्राम गौरिया कला के खाता सं0 187 की गाटा सं0 461, 469, 471 का वाद सिविल जज जू0 दि0 सीतापुर के न्यायालय में लम्बित है तथा दि0 21-7-05 तक स्थगनादेश होने के बावजूद उक्त गाटा सं0 का पट्टा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

प्रश्नगत गाटा श्री जैपाल पुत्र परागी, निवासी बेलामऊ के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। अत: किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विकास विभाग में अपर गन्ना आयुक्त के रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने की मांग

99--श्री लल्लू सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास विभाग में अपर गन्ना आयुक्त के कितने पद कब से रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर पदोन्नति का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पद पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

गन्ना विकास विभाग में अपर गन्ना आयुक्त के 2 पद क्रमश: दिनांक 31-1-2000 तथा 30-6-2004 से रिक्त हैं।

जी हां।

रिक्त पदों पर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में मौजा हांसा आराजी सं0 1062 से संबंधित राजस्व अभिलेखों में कालपी के तत्कालीन तहसीलदार द्वारा की गयी हेराफेरी की शिकायत

100--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती अपर्णा सिंह पत्नी उदय प्रताप सिंह, निवासी रामगंज, कालपी, जनपद जालौन में मौजा हांसा आराजी सं0 1062 से संबधित राजस्व अभिलेखों में कालपी के तत्कालीन तहसीलदार द्वारा की गयी हेरा-फेरी की शिकायत मा0 मंत्री जी से की है ? इसी क्रम में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-2-05 जो कि मा0 मंत्री जी के पत्रांक सं0 343 वी0आई0पी0, दिनांक 28-2-05 द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

जी हां।

प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के लिये राजस्व परिषद् ने आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी को दि0 3-6-05 व 15-7-05 को पत्र भेजकर प्रकरण की जांच करने, जांच आख्या, साक्ष्य/बयानों तथा स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उक्त जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अनेक शहरों की खराब सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

101--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतापगढ़-सुल्तानपुर, इलाहाबाद-जौनपुर, फैजाबाद-गोण्डा, इलाहाबाद-कौशाम्बी मार्गों की हालत काफी खराब है तथा इन पर गाड़ियां चलाने में काफी कठिनाई हो रही है ? क्या सरकार इन्हें ठीक कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

1--प्रतापगढ़-सुल्तानपुर मार्ग की हालत यातायात हेतु संतोषजनक है।

2--इलाहाबाद-जौनपुर मार्ग का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है।

3--फैजाबाद-गोण्डा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य विश्व बैंक वित्त पोषित उ0 प्र0 स्टेट रोड्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रगति में है।

4--इलाहाबाद-कौशाम्बी मार्ग की दशा सामान्यतया ठीक है। इस पर यातायात सुगमतापूर्वक चल रहा है।

क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत कार्यों को कराने की मांग

102--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के 6 ग्रामों को स्वीकृत किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री का आदेश सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/109821/04, दिनांक 21-9-04, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां। 06 कार्यों को स्वीकृत करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित आयुक्त, इलाहाबाद के पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन पूर्व वर्ष के होने के कारण संशोधित पुनरीक्षित आगणन मांगे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण कराने की मांग

103--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की स्वीकृत अधूरी सड़कों को पूर्ण कराये जाने हेतु शेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री का आदेश सी0एम0/वि0को0/एम0/109356/04, दिनांक 10-9-04, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों पर कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के ग्राम कोहरौली के चकमार्ग में चकबन्दी से पूर्व खतौनी, खसरा व मानचित्र के अनुरूप क्षेत्रफल की कमी को दूर करने की मांग

104--श्री नरेन्द्र शिर्शोदिया--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद फूलपुर तहसील के ग्राम कोहरौली के अन्तर्गत चक मार्ग संख्या 596, 457 व 822 तथा गाटा संख्या 816 (सार्वजनिक उपयोग स्थल) और पोखरी संख्या 815 का वर्तमान क्षेत्रफल व चौहद्दी क्या है ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चकबन्दी के पूर्व एवं बाद में वर्ष 1959 की खतौनी, खसरा व मानचित्र के अनुरूप उक्त क्षेत्रफल में कमी हुयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या माननीय मंत्री जी उक्त के चकबन्दी अभिलेखों के अनुसार तथा पोखरी संख्या 815 की वर्ष 1959 की खतौनी के आधार पर क्षेत्रफल व चौहद्दी की पूर्व की स्थिति कायम रखने हेतु कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्बिका चौधरी--

ग्राम कोहरौली, परगना माहुल, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में स्थित गाटा सं0 596, क्षेत्रफल 0.169 हे0 परिक्रमा मार्ग, गाटा सं0 457, क्षेत्रफल 0.018 हे0 व गाटा सं0 822, क्षेत्रफल 0.022 हे0 दोनों चकमार्ग, गाटा सं0 816, क्षेत्रफल 0.020 हे0 सोरहन तथा गाटा सं0 815, क्षेत्रफल 0.419 हे0 पोखरी वर्तमान अभिलेख में अंकित है, जो सार्वजनिक उपयोग स्थल की भूमि है, जिसकी चौहद्दी निम्न है--

गाटा सं0 596 : उत्तर गाटा सं0 593, 592, 591, 598, 586, 594, 523, 522, 521 खातेदार की भूमिधरी है तथा गाटा सं0 471 नवीन परती है। दक्षिण गाटा सं0 595, 602, 606, 697, 635, 636 खातेदार की भूमिधरी है। गाटा सं0 434 नाली है। पूरब गाटा सं0 449 खातेदार की बाग है। पश्चिम सरहद ग्राम पिछौरा।

गाटा सं0 457 : उत्तर गाटा सं0 458 चकमार्ग, दक्षिण गाटा सं0 823 खातेदार की भूमिधरी, पूरब गाटा सं0 456, 455 खातेदार की भूमिधरी, पश्चिम गाटा संख्या 449 आबादी व गाटा सं0 458, 462 नवीन परती है।

गाटा सं0 822 : उत्तर गाटा सं0 823 खातेदार की भूमिधरी, दक्षिण गाटा सं0 810 आबादी है। पूरब गाटा सं0 823 खातेदार की भूमिधरी, पश्चिम गाटा सं0 810 आबादी है।

गाटा सं0 816 : उत्तर गाटा सं0 817 खातेदार की भूमिधरी है। दक्षिण गाटा सं0 815 पोखरी, पूरब गाटा 818 भीटा है। पश्चिम गाटा सं0 813 खातेदार की भूमि है।

गाटा सं0 815 : उत्तर गाटा सं0 812 व 816 क्रमशः आबादी व सोरहन है। दक्षिण गाटा सं0 870 व 888 खातेदार की भूमिधरी है तथा पूरब गाटा सं0 818 भीटा 819 खातेदार की भूमिधरी व 816 सोरहन है। पश्चिम गाटा सं0 810 आबादी है व 814 खाद का गड्ढा है।

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित वर्ष 1959 के स्थान पर 1359 फसली पठनीय है। गाटा सं0 596, 457, 822 व 816 के क्षेत्रफल में खसरा, खतौनी व मानचित्र में कोई कमी नहीं आयी है। केवल गाटा सं0 815 जिसका क्षेत्रफल वर्तमान खसरा व खतौनी में 0.419 हे0 अंकित है। मानचित्र में 0.079 हे0 कम प्रदर्शित है, जो दौरान चकबन्दी मानचित्र बनाने में त्रुटि के कारण हुयी है।

पोखरी सं0 815/0.419 हे0 के बावत भू0 चित्र अभिलेखों के आधार पर मानचित्र की आकृति प्रदर्शित होने के संबंध में अन्तर्गत धारा 28 भू0 रा0 अधिनियम के तहत मानचित्र संशोधन हेतु वाद योजित कराया जायेगा।

यथाशीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के स्वीकृत मार्गों को पूर्ण कराने की मांग

105--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सेक्टर में वर्ष 2001 से 31 मई, 2005 तक पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ के स्वीकृत मार्गों को पूर्ण कराये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या सभी स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने हेतु सरकार समयबद्ध योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित समयावधि में स्वीकृत मार्गों पर निर्माण कार्य कराया जाता रहा है।

सभी स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद प्रतापगढ़ की अनेकों परियोजनाओं को पूर्वांचल निधि के राज्यांश से स्वीकृत किये जाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही

106--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख 3/164-4767, दिनांक 14-9-04 जो जनपद प्रतापगढ़ की 33 परियोजनाओं को पूर्वांचल निधि के राज्यांश से स्वीकृत किये जाने हेतु आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल के पत्रांक 404/पू0 रा0 प्रता0-स0 वि0 आ0-86/04-05, दिनांक 6-7-04 छाया प्रति सहित प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

पत्र सं0 ख-3/164767, दिनांक 14-9-04 प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल का उल्लिखित पत्रांक-404/पू0रा0प्रता0-स0वि0आ0-86/04-05, दिनांक 6-7-04 प्राप्त हुआ है।

परियोजनाओं की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से सम्बन्धित मार्ग कोहडोर से पट्टी आदि मार्गों का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

107--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित अता0 प्र0 सं0 95 के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से सम्बन्धित मार्ग कोहडोर से पट्टी तथा अन्य मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

कोहडोर से पट्टी मार्ग लोक निर्माण विभाग का पूर्व निर्मित मार्ग है, जो मुख्य जिला मार्ग की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। अतः निर्माण हेतु चयनित नहीं किया गया। अन्य दो मार्ग पट्टी से रेहीगारापुर तथा पट्टी से बंधवा तनाछपुर का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुलतानपुर के विकास खण्ड दूबेपुर के अन्तर्गत कानपुर से देहली पकड़ी सम्पर्क मार्ग को ठीक कराने की मांग

108--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 खं0 दूबेपुर, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कानपुर से देहली पकड़ी सम्पर्क मार्ग अत्यधिक खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से खराब है।

क्षतिग्रस्त मार्ग के सुधार एवं डब्लू0 बी0 एम0 स्तर तक बने मार्ग को लेपन स्तर तक करने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार के भण्डरा-मझारी सड़क की टूटी पुलिया का निर्माण कराने की मांग

109--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0 खं0 कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत भण्डरा-मझारी सड़क के बीच बनी पुलिया टूट गई है, जिसके कारण आवागमन अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं। वाटर वे कम होने के कारण पुलिया से सटे स्थान पर मार्ग कट गया था, जिसे ठीक कराकर यातायात चालू कर दिया गया है। अतः आवागमन अवरुद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर में डास्प परियोजनान्तर्गत विकास खण्डवार चयनित ग्राम पंचायतें तथा बघरा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों को योजना में आच्छादित किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

110--श्री परमजीत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खण्डवार कुल कितनी ग्राम पंचायतें कृषि विविधिकरण परियोजना (डास्प) के तहत आच्छादित हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 21-3-2005 जो जनपद के बघरा विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों को उक्त योजना के तहत आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में था, कृषि उत्पादन आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

परियोजना के प्रथम चरण में जनपद मुजफ्फरनगर में चयनित विकास खण्डों तथा उनमें ली गयी न्याय पंचायतों की सूची निम्न प्रकार है :--

विकास खण्ड	चयनित न्याय पंचायत की सं0
1--कांधला	15
2--शामली	13
3--थानाभवन	16
4--बघरा	16
5--पुरकाजी	15
6--कैराना	14
7--जानसठ	21
कुल ..	110

जी हाँ।

चूँकि परियोजना के प्रथम चरण का समापन 31-3-2004 को हो चुका है, अत: सम्प्रति इस परियोजना में नये गांवों को लिया जाना प्रस्तावित नहीं था। केवल प्रथम चरण की अर्जित उपलब्धियों को अपनाये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से कृषकों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के निजी सहकारी व निगम क्षेत्र की चीनी मिलों में गत वर्ष में चीनी का उत्पादन एवं गन्ना किसानों का भुगतान

111--श्री परमजीत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के निजी सहकारी व निगम क्षेत्र की चीनी मिलों में पेराई सत्र वर्ष 2005 में क्रमश: कुल कितनी चीनी का उत्पादन हुआ ? क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि वर्ष 2004-2005 में गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान शत प्रतिशत कर दिया है ? यदि नहीं, तो कुल कितना बकाया है ? वह कब तक भुगतान सुनिश्चित करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पेराई सत्र 2004-2005 में राज्य की निगम, सहकारी व निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा चीनी उत्पादन लगभग निम्नवत् रहा :--

सेक्टर	चीनी उत्पादन (ला0 टन)
निगम क्षेत्र	3.08
सहकारी क्षेत्र	6.62
निजी क्षेत्र	40.62
योग ..	50.32

पेराई सत्र 2004-2005 में निगम एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा 4295.77 करोड़ रु0 के विरुद्ध दिनांक 18-7-2005 तक 4272.44 करोड़ रु0 का भुगतान किया जा चुका है। दिनांक 18-7-2005 तक कुल गन्ना मूल्य रु0 5408.71 करोड़ के सापेक्ष रु0 5385.38 करोड़ (99.57%) का भुगतान किया जा चुका है व मात्र रु0 23.33 करोड़ अवशेष है, जो कि कुल देयों का मात्र 0.43% है। अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के ग्राम हजौड़ी में मार्ग का लेपन कराने की मांग

112--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया के अम्बेडकर गांव हजौड़ी में निर्माणाधीन मार्ग का लेपन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

बलिया आजमगढ़ क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराने की मांग

113--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया आजमगढ़ मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा यातायात सामान्य रूप से चल रहा है।

कार्य स्टेट रोड प्रोजेक्ट फेज-2 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2008 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। मऊ जनपद में विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति में है। शेष जनपदों में विशेष मरम्मत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के नगरा-सिकन्दरपुर मार्ग से रतसड़ तक सड़क का पुनर्निर्माण कराने की मांग

114--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के नगरा-सिकन्दरपुर मार्ग से रतसड़ तक सड़क जर्जर है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा यातायात सामान्य रूप से चल रहा है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम मदाफरपुर में वर्ष 1992 से 1995 के मध्य नियम विरुद्ध किये गये पट्टों के लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

115--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के तीसरे गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम मदाफरपुर में वर्ष 1992 से 1995 के मध्य किये गये नियम विरुद्ध पट्टों से हुई राजस्व की हानि एवं सम्पत्ति की क्षति के लिये कौन-कौन से अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब के दोषी कौन हैं और उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्बिका चौधरी--

ग्राम मदाफरपुर में वर्ष 1992 से 1995 के मध्य किये गये नियम विरुद्ध पट्टों के लिए दोषी अधिकारी व कर्मचारी निम्नवत् है :--

1--श्री पारसनाथ, लेखपाल।

2--श्री इन्द्रपाल वर्मा, लेखपाल।

3--श्री सोमेश्वर नाथ, राजस्व निरीक्षक (सेवानिवृत्त 31-12-99)।

4--श्री नोखई राम, राजस्व निरीक्षक (सेवानिवृत्त 31-01-92)।

5--श्री मुन्नी लाल, राजस्व निरीक्षक (सेवानिवृत्त 31-7-98)।

6--श्री शिव पाल, उप जिलाधिकारी।

7--श्री बृज गोपाल अग्रवाल, उप जिलाधिकारी।

8--श्री इन्द्रदेव सिंह, उप जिलाधिकारी।

क्रमांक 1 व 2 के कर्मचारी वर्तमान में तहसील कुण्डा में कार्यरत हैं। श्री पारसनाथ वर्तमान में स0 र0 का0 के पद पर कार्यरत हैं। दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप पत्र दिया गया। श्री इन्द्रपाल वर्मा, लेखपाल को उप जिलाधिकारी, कुण्डा द्वारा दिनांक 01-06-05 को निलम्बित भी किया जा चुका है। दोनों प्रकरण उप जिलाधिकारी, कुण्डा के यहाँ विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत जांच में हैं। शेष क्रमांक 3 से 8 तक के अधिकारी 4 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिए इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

उप संचालक चकबन्दी, बाराबंकी द्वारा प्रतिपक्षी शत्रोहन के रिकाल प्रार्थना-पत्र पर अपने पूर्व आदेश 29-11-04 के क्रियान्वयन को स्थगित करने का प्रकरण

116--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप संचालक चकबन्दी, जनपद बाराबंकी द्वारा निगरानी संख्या 999 अन्तर्गत धारा 48 जो0 च0 अधि0 श्री नन्हा राम बनाम शत्रोहन आदि ग्राम महानपुर, टेड़वा, परगना व तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के निर्णयादेश दिनांक 29-11-2004 को दिये गये आदेश का पुनः उप संचालक, चकबन्दी, जनपद बाराबंकी द्वारा स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या मा0 उच्च न्यायालय के सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 22678, वर्ष 1996 में

दिये गये निर्णय "उ0 प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम 1952, धारा 48(1) क्षेत्र उप संचालक चकबन्दी को अपने आदेश का पुनर्विलोकन करने की अधिकारिता नहीं", का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उप संचालक चकबन्दी के विरुद्ध नियम विरुद्ध कार्य करने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

उप संचालक, चकबन्दी, बाराबंकी द्वारा प्रतिपक्षी शत्रोहन के रिकाल प्रार्थना-पत्र पर पक्षों की सुनवाई उपरान्त अपने पूर्व आदेश 29-11-04 के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया।

न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पारित आदेशों पर अभिमत/आख्या देना सम्भव नहीं है। क्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय में इसके विरुद्ध चाराजोई कर सकते हैं।

जनपद मेरठ के तीन तहसीलों में तालाबों पर हुए अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग

117--श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मेरठ जनपद में मई, 2005 तक 3062 में से केवल 1944 की संख्या में तालाब बचे हैं शेष तालाबों पर ग्रामवासियों द्वारा कब्जा करके मकान बना लिये गये हैं ? क्या सरकार तालाबों पर से अवैध कब्जा हटाकर दोबारा तालाबों को खुदवा कर चालू करने की योजना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जनपद मेरठ में तीन तहसीलों में कुल 2901 तालाब हैं। 2901 तालाबों में से 858 तालाबों पर कई वर्षों से आवंटन के माध्यम से अथवा अवैध तरीके से घेरकर कब्जा किया गया था। 858 तालाबों में से 462 तालाबों पर से मौके पर ही अवैध कब्जा हटाकर ग्राम सभा को कब्जा प्राप्त करा दिया है।

अवशेष 396 तालाबों में 218 तालाब ऐसे पाये गये हैं जिन पर विभिन्न व्यक्तियों ने मकान बनाकर 20-30 वर्षों से अधिक निवास कर रहे हैं। इन सभी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 122 बी, उ0 प्र0 ज0 वि0 अधि0 की धारा 122 बी के अन्तर्गत वाद दायर कर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है, जिनको एक माह के अन्दर निस्तारित करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दे दिये गये हैं।

शेष 178 तालाब ऐसे हैं जिनकी नोईयत परिवर्तन करके पात्र व्यक्तियों को कई वर्ष पूर्व आवंटित कर दिया गया था। इन सभी के विरुद्ध पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 198 (4) उ0 प्र0 ज0 वि0 अधि0 में वाद दायर किये गये हैं, जिनका निस्तारण भी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।

जनपद बलिया में सड़कों की मरम्मत एवं नयी सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

118--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में सड़कों की मरम्मत एवं नयी सड़कों के निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2004 एवं 2005 में कितना धन अवमुक्त किया है ? क्या यह सही है कि बलिया जनपद में 2 जून, 2005 तक सड़कों के निर्माण या मरम्मत का कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या सरकार इसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं,

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जनपद बलिया में सड़कों की मरम्मत एवं नयी सड़कों के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि की स्थिति निम्नानुसार है :--

वर्ष	सड़कों की मरम्मत हेतु अवमुक्त धनराशि (रु0 लाख में)	नवनिर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि (रु0 लाख में)
2004	603.15	864.83
2005	165.79	422.99

जी हाँ।

श्री राम देव, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु कोई भी अनुबन्ध न बनाये जाने के कारण/कार्यों में रुचि न लेने के कारण अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के स्तर पर विचाराधीन है। प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा श्री राम देव, अधिशासी अभियन्ता से कारण बताओ नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उक्त के प्राप्त होने पर इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र व मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि

119--अनिल कुमार मौर्य--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2002-03 में जनपद सोनभद्र व मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत 10 सम्पर्क मार्ग स्वीकृत हुये थे जिसकी प्रथम किस्त अवमुक्त होने के उपरान्त सड़कों के कार्य प्रारम्भ होकर उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है ? क्या यह सही है कि दो वर्षों के उपरान्त भी अवशेष धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है जिससे सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों के लिये धन अवमुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

स्वीकृत 10 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं के ही उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं।

जी हां।

परियोजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में सड़कों एवं पुलों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

120--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-03 में स्वीकृत विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया की सड़कों एवं पुलों हेतु पूर्वांचल राज्यांश से अवमुक्त धन से निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो अवशेष कार्य हेतु द्वितीय किस्त उपलब्ध कराकर कार्य पूरा कराने की सरकार की कोई योजना है कि नहीं ? यदि है, तो कब तक कार्य पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

निर्धारित प्रारूप पर त्रुटिरहित उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना चालू परियोजनाओं की प्राथमिकता व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय इलाकों में सीवर कार्य पूर्ण कराने सम्बन्धी जानकारी

121--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर, जनपद इलाहाबाद में सीवर कार्य पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या सी 10120738 सी0 एम0/वि0एम0/120738/2005, प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 10-3-2005 को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद से संशोधित उपभोग प्रमाण-पत्र व कतिपय अन्य सूचनायें चाही गयी हैं। परियोजना पर अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना चालू परियोजनाओं की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

122--श्री बादशाह सिंह--

[3सरे सोम के अता0 प्र0 सं0 139 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बलिया-रसड़ा-आजमगढ़ मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने की योजना

123--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया-रसड़ा-आजमगढ़ मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त जर्जर मार्ग का कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

कार्य स्टेट रोड प्रोजेक्ट फेज-2 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2008 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के लेखपाल श्री शिवदत्त की मृत्योपरान्त उनके आश्रितों को समस्त देयों का भुगतान कराने की मांग

124--श्री कौशल किशोर--

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा में कार्यरत श्री शिवदत्त, लेखपाल की दिनांक 27-1-2005 को मृत्यु हो गई थी ? क्या उनके समस्त देयों का भुगतान उनके आश्रितों को करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

मृतक कर्मचारी के आश्रितों/उत्तराधिकारियों द्वारा अभी तक पारिवारिक पेंशन, सामूहिक बीमा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत न करने के कारण समस्त देयकों का भुगतान नहीं किया जा सका है।

औपचारिकतायें पूर्ण होने पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम माल मजरा वीरपुर के माल दुबग्गा मार्ग पर पशु निस्तारण केन्द्र हेतु आवंटित भूमि पर अवैध कब्जा

125--श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम माल मजरा वीरपुर तहसील मलिहाबाद जिला लखनऊ के माल दुबग्गा मार्ग पर स्थित खसरा नम्बर 561/778 जो पशु निस्तारण केन्द्र के लिये आवंटित थी, भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटाकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

भूखण्ड पर एक निर्धन एवं भूमिहीन व्यक्ति श्री दूबरि पुत्र श्री द्वारिका जाति पासी का 10 विस्वांसी भूमि पर लगभग 20 वर्ष से कच्चा मकान बनाकर अवैध कब्जा था, एवं नवजागृत अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल फरवरी, 2004 से छप्पर आदि डालकर संचालित किया जा रहा था।

उक्त दोनों अतिक्रमण हटवा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय जीर्ण-जीर्ण मार्गों के निर्माण की मांग

126--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भनपुरा से निवोहरा सम्पर्क मार्ग तथा राजाखेड़ा मार्ग टूला (तिवरिया) से मझारा के मध्य सम्पर्क मार्ग जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है ? जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत मार्ग आंशिक लम्बाई के भाग में क्षतिग्रस्त है। सामान्य रूप से यातायात चल रहा है।

क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय, बाराबंकी में वाहन चालक के पद पर कार्यरत श्री भीखा राम की हुई मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी भुगतान कराने की मांग

127--श्री योगेन्द्र कुमार--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री भीखाराम पाल 08-05-1964 से कृषि रक्षा अधिकारी, कार्यालय, बाराबंकी में वाहन चालक के पद पर कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 11-3-1989 को हो गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री भीखा राम पाल के ग्रेच्युटी का भुगतान उनके आश्रितों को दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

जी हां। ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश कृषि निदेशालय द्वारा दिनांक 19-7-2005 को निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में चिलकहर से कुरेजी पी0 डब्लू डी0 मार्ग के पुनर्निर्माण की योजना की जानकारी

128--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में चिलकहर से कुरेजी पी0 डब्लू0 डी0 मार्ग के पुनर्निर्माण कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लेखपाल एवं कानूनगो को अपने गृह जनपद तथा गृह तहसील में रहने के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी जानकारी

129--श्री काशी राम--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल एवं कानूनगो को अपने गृह जनपद तथा गृह तहसील में रहने के सम्बन्ध में क्या नीति निर्धारित है ? जिला महामाया नगर की तहसील सिकन्दराराऊ में कितने ऐसे लेखपाल एवं कानूनगो अपनी गृह तहसील में तैनात हैं ? क्या सरकार उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

लेखपालों के उनके गृह जनपद तथा गृह तहसील में रहने के सम्बन्ध में यह नीति निर्धारित है कि लेखपाल को साधारणतया गृह निवास के विकास खण्ड को छोड़कर गृह तहसील में भी रखा जा सकता है। कानूनगो के सम्बन्ध में यह नीति है कि उनको गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

तहसील सिकन्दराराऊ में 14 लेखपाल अपनी गृह तहसील में कार्यरत हैं तथा कोई कानूनगो अपनी गृह तहसील में तैनात नहीं है।

उक्त लेखपालों की तैनाती नीति विरुद्ध नहीं है। अत: उनके स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी की राज्य सेक्टर से स्वीकृत अधूरी सड़कों के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु शेष धनराशि उपलब्ध कराने की मांग

130--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की राज्य सेक्टर से स्वीकृत अधूरी सड़कों के कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु शेष धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उनके निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

सम्बन्धित मार्गों के निर्माण हेतु शेष धनराशि का उपलब्ध कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

131--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के लिये स्वीकृत मार्ग नरहरपुर-औरंगाबाद के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने सम्बन्धी समय-सीमा की जानकारी

132--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के लिये स्वीकृत मार्ग नरहरपुर-औरंगाबाद जिला पंचायत, प्रतापगढ़ द्वारा विगत 10 वर्षों से बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वर्ष 1992-93 में प्रश्नगत मार्ग हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं स्वीकृत धनराशि रु0 4.50 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रु0 3.31 लाख से 700 मी0 में टापकोट तक कार्य कराया जा चुका है।

चालू परियोजनाओं की तुलनात्मक उपयोगिता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर में टेलीफोन एक्सचेंज से पानी की टंकी होते हुए कुड़वार-अलीगंज मार्ग क्रास करते हुए वी0 पी0 ई0 कालेज चौराहे तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी सुल्तानपुर के पत्र पर कार्यवाही

133-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम 1443/35-5/2004(1) आगंणन 4, दिनांक 18-8-04 के आगणन के संदर्भ में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र संख्या 1077 पू0 वि0 नि0/राज्यांश 2004-05, दिनांक 15-12-04 जो टेलीफोन एक्सचेंज से पानी की टंकी होते हुए कुडंवार, अलीगंज मार्ग क्रास करते हुए वी0 पी0 ई0 कालेज चौराहे तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण लम्बाई 1.20 कि0 मी0 के आगणन रुपये दस लाख बयालिस हजार रु0 स्वीकृत करने के सम्बन्ध में है शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या धन स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां, जिलाधिकारी सुल्तानपुर के प्रश्नगत पत्र द्वारा प्रेषित आगणन मण्डलायुक्त, फैजाबाद के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

परियोजना की स्वीकृति तुलनात्मक उपयोगिता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सुल्तानपुर के क्षेत्र 109 सदर, सुल्तानपुर में जीर्णोद्धार एवं मरम्मत हेतु स्वीकृत मार्गों की लम्बाई के सम्बन्ध में जानकारी

134--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत चौ0 चरण सिंह ग्रामीण मार्ग सुधार एवं नवीनीकरण योजना वर्ष 2004-05 में प्रभावी रही है ? यदि हां, तो जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र 109 सदर, सुल्तानपुर के लिये कुल कितने कि0 मी0 मार्ग का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत का कार्य वित्तीय वर्ष 2004-05 में स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र 109 सदर, सल्तानुपर में वर्ष 2004-05 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत कुल 7.50 कि0 मी0 लम्बाई में ग्रामीण मार्ग सुधार कार्य स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद बाराबंकी के ग्राम गढ़ी में निशानदेही कराकर चकबन्दी के आकार पत्र-23 के अनुसार किसानों को कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में जानकारी

135--श्री कौशल किशोर--

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के ग्राम गढ़ी, मौजा मिर्जापुर, परगना सतरिख, विकास खण्ड हरख, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी में लगभग पांच वर्ष पूर्व चकबन्दी कराकर कब्जा व दखल करते हुए आकार पत्र-23 का वितरण हो गया है ? यदि हां, तो क्या निशानदेही कराकर चकबन्दी के आकार पत्र-23 के अनुसार किसानों को कब तक कब्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

आकार पत्र-23 के अनुसार दिनांक 14-6-2000 को कब्जा दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र कोल के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पनैठी से छरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं लेपन कार्य कराने की मांग

136--चौ0 महेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत पनैठी से छरी मार्ग कम चौड़ा तथा क्षतिग्रस्त होने के कारण दुर्घटनायें होती रहती है ? क्या उक्त सड़क राजमार्ग में चिन्हित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण कराते हुए लेपन स्तर तक कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं, प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग की श्रेणी के अनुसार मार्ग एक लेन (3.70 मी0) चौड़ा है तथा मार्ग पर यातायात घनत्व के अनुसार पर्याप्त चौड़ाई है। दुर्घटना संज्ञान में नहीं है।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग आंशिक लम्बाई (11 कि0 मी0) अन्य जिला मार्ग एवं शेष लम्बाई (15 कि0 मी0) प्रमुख जिला मार्ग चिन्हित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2004-05 में जर्जर सड़कों की मरम्मत आदि के लिये अवमुक्त की गयी धनराशि

137--चौ0 महेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2004-05 में शासन द्वारा जनपद की जर्जर सड़कों की मरम्मत हेतु अनुरेक्षित लेपित मद से कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी एवं इस अवमुक्त राशि से कौन-कौन सी सड़कों का लेपन कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2004-05 में सड़कों की मरम्मत/विशेष मरम्मत एवं लेपन (नवीनीकरण) हेतु कुल रु0 625.60 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस धनराशि से संलग्न† सूची के अनुसार सड़कों का लेपन कार्य कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी घ आगे पृष्ठ 178-179 पर।)

जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र कोल के क्षतिग्रस्त नगला तुरावली मोड़ से नगर पंचायत जलाली मार्ग की मरम्मत की मांग

138--चौ0 महेन्द्र सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के नगला तुरावली मोड़ से नगर पंचायत जलाली मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं। मार्ग सामान्य यातायात हेतु उपलब्ध है। कथित दुर्घटनायें संज्ञान में नहीं है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी के लिये पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से कतिपय स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण कराने की मांग

139--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत मार्ग सरसतपुर-रमईपुर-नेवादा मार्ग 2, कि0 मी0, अरईला-भाटपट्टी-महरूपुर मार्ग-6 कि0 मी0 भीखमपुर, तेलियानी-लखनुड़ी मार्ग-7 कि0 मी0 तथा रूर से लालगंज मार्ग-5 कि0 मी0 का निर्माण कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं, सरसतपुर-रमईपुर--नेवादा मार्ग स्वीकृत लम्बाई 2.00 कि0 मी0 के सापेक्ष 1.26 कि0 मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण किया गया है, अरैला-भाटपट्टी-महरूपुर मार्ग लम्बाई 6.00 कि0 मी0 संरेखण परिवर्तन की कार्यवाही प्रगति पर होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, भीखमपुर-तेलियानी-लखनुडीह मार्ग स्वीकृत लम्बाई 7.00 कि0 मी0 के सापेक्ष 1.250 कि0 मी0 लम्बाई में मार्ग दो भागों में लेपन स्तर तक निर्मित है तथा रूर से लालगंज मार्ग स्वीकृत लम्बाई 5.00 कि0 मी0 के सापेक्ष 2.900 कि0 मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण है ।

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि को अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी से सम्बन्धित मार्ग बेला-पट्टी-ढखवा का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की समय-सीमा की जानकारी

140--राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से सम्बन्धित मार्ग बेला-पट्टी-ढखवा जो विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश स्टट रोड प्रोजेक्ट-2 के द्वितीय चरण के 32 वृहद रखरखाव के कार्यों के पैकेजेज में शामिल है का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु माह मई, 2005 तक निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वेला-पट्टी-ढखवा मार्ग की परिकल्पना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विश्व बैंक वित्त पोषित उ0 प्र0 स्टेट रोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत यह मार्ग वृहद रखरखाव के कार्य के लिये अनुमोदित है। इनके टेक्निकल आडिट/परिकल्पना का कार्य पूर्ण होने के बाद ही निविदायें आमंत्रित की जायेंगी ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत मार्ग तथा उनके पूर्ण किये जाने की मांग

141--राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी घोषणा संख्या-70/2001, जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कुल सात मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में थी से सम्बन्धित सभी मार्गों की स्वीकृति निर्गत कर दी गई है ? यदि हां, तो किन-किन मार्गों की स्वीकृति एवं शासनादेश निर्गत किये गये हैं और उन्हें कब तक पूर्ण किये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित 5 मार्ग स्वीकृत हैं, शेष दो मार्गों का स्वामित्व सिंचाई विभाग का है जो निम्न प्रकार है --

1--लखनडीह से तोलियानी (महुली नहर मार्ग होते हुए) मार्ग का निर्माण (मिट्टी से लेपन)।

2--बीबीपुर वारडीह से बंधवा सलाहपुर मार्ग का निर्माण (मिट्टी से लेपन)।

स्वीकृत मार्गों का विवरण निम्नवत् है :--

1--पट्टी कोहडोर मार्ग पर अतरसन से कोनी मार्ग।

2--ढिढुई भाट पट्टी बरदहा गौसपुर अरैला सौराई मार्ग।

3--नगर-नीमा देवरखा-सोनपुर-ढखवा इब्राहीमपुर अतरौरा मीरपुर मार्ग।

4--महदहा-बरहूपुर ढिढुई वारीकला शेखपुर आधारगंज मार्ग।

5--रामगंज बाजार से नीमा नहर मार्ग।

कार्यों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय मार्गों को लेपन स्तर तक पूर्ण कराये गये जाने की मांग

142--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य योजना से जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये स्वीकृत मार्ग पट्टी-कोड़डोर मार्ग पर अतरसन से कोनी एवं ढिढुई-भाटपट्टी-परदहा-गौसपुर-अरैला-सौराई तथा महदहा-बरहूपुर ढिढुई-बारीकला-शेखपुर-आधारगंज मार्ग जो वित्तीय वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत किया गया था ? उक्त मार्गों का लेपन स्तर तक

निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अशोकपुर-असुड़ी-पट्टी नाला सेतु के पहुंच मार्ग को मानकों के अनुरूप पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

उक्त मार्गों का लेपन मई तक पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

अशोकपुर-असुड़ी मार्ग में पट्टीनाला पर सेतु के पहुंच मार्ग वर्तमान में निर्माणाधीन है।

पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य 3/06 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत नौनेर के ग्रामों में ओला वृष्टि से तबाह किसानों को वितरित आर्थिक सहायता

143--श्री अशोक सिंह चौहान--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9-3-2005 को मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत नौनेर के ग्रामों में ओलावृष्टि से तबाह किसानों की बरबाद फसल की प्लाट वाई सर्वेक्षण करवाया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

प्लाट वार सर्वेक्षण के आधार पर न्याय पंचायत नौनेर के ग्रामों में ओला वृष्टि से प्रभावित 296 किसानों को रु0 1,24,949/- की आर्थिक सहायता वितरित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व तहसील बुलन्दशहर के ग्राम बुढ़ाना में चकबन्दी प्रक्रिया में घोर अनियमितता की शिकायत

144--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बुढ़ाना, तहसील व जिला बुलन्दशहर के दो दर्जन काश्तकारों ने चकबन्दी प्रक्रिया में हुई घोर अनियमितताओं को दर्शाते हुये ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया रोकने का प्रत्यावेदन दिनांक 07-06-2005 को मंत्री जी को दिया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार पूर्ण प्रकरण की जांच के बाद ही चकबन्दी प्रक्रिया चालू किये जाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

अभिलेखीय आधार पर प्रत्यावेदन दिनांक 07-06-2005 प्राप्त होना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण में अनियमितता की जांच रिपोर्ट

145--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"--

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् के पत्रांक-मु0अभि0/ अधि0-क-4/जांच/2004-1165, दिनांक 16-06-04 के क्रम में उप निदेशक (प्रशासन) मंडी परिषद्, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 7-1-05 को शाहजहाँपुर के 21 अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें भारी वित्तीय अनियमिततायें पायी गयी हैं ? यदि हां, तो दोषी सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में तेजीबाजार से द्रोणीपुर होते हुये खुंशापुर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

146--श्री धनन्जय सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री के कार्यालय के पत्र संख्या-सी0 एम0/विक्रो0/एम0/-97222, दिनांक 28-02-04 द्वारा जनपद जौनपुर में स्वीकृत तेजीबाजार से द्रोणीपुर होते हुए खुंशापुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं। कार्य स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सुल्तानपुर में परियोजनाओं की अवशेष धनराशि की स्वीकृत सम्बन्धी मुख्य विकास अधिकारी से मांगी गयी सूचना सम्बन्धी जानकारी

147--श्री आम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 2002-03 से पत्र संख्या 187एम-486/15-5-2003, दिनांक 31-3-2003 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की अवशेष धनराशि की मांग सम्बन्धी पत्रांक 858/पू0वि0नि0/राज्यांश 2002-03, दिनांक 30-10-04 लोक निर्माण-14 को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अवशेष धनराशि 2005-06 में अवमुक्त कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर से कतिपय सूचनायें चाही गयी हैं। परियोजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना चालू परियोजनाओं की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार में स्थित राज्य संरक्षित स्मारक शनिचरा के सौन्दर्यीकरण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

148--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर के वि0 ख0 कुड़वार स्थित राज्य संरक्षित स्मारक शनिचरा के सौन्दर्यीकरण एवं विकास करने विषयक निदेशक, राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ का पत्रांक सं0 1138/द्वितीय-16(2)/04, दिनांक 14-10-2004 शासन के संस्कृति विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

राज्य संरक्षण स्मारक, शनिचरा एवं कूड़धाम के सौन्दर्यीकरण हेतु पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये संस्कृति अनुभाग के पत्रांक-5005/चार-04-499(वि)-04, दिनांक 6-12-04 द्वारा शासन के पर्यटन विभाग को प्रकरण अग्रेतर कार्यवाही हेतु मूलरूप से सन्दर्भित किया गया है और तदनुसार स्थिति से कार्यालय के पत्रांक-5584/चार-04-490 (वि)-04, दिनांक 23-12-04 तथा पत्रांक-203/चार-05-499 (वि) 04, दिनांक 18-1-05 द्वारा विधायक कोष्ठक मुख्य मंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

"पूरे भोज तिवारी का पुरवा से चन्दौकी रोड" वि0 ख0 कुड़वार तक सड़क लेपन कार्य कराने की मांग

149--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0 720/35-5-2004-4 पू0 (1) आगणन, दिनांक 19-5-04 के परिप्रेक्ष्य में सड़क "पूरे भोज तिवारी का पुरवा से चन्दौकी रोड" वि0 ख0 कुड़वार तक लेपन कार्य लम्बाई एक कि0 मी0 आगणन रु0 13.23 लाख तथा सम्पर्क मार्ग उतरदहा से कटांवा, वि0 ख0 मुड़वार लेपन स्तर तक कराये जाने हेतु आगणन रु0 14.50 लाख लम्बाई 1.10 कि0 मी0 का प्रस्ताव जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र संख्या-1077 पू0 वि0 नि0/राज्यांश 2004-05, दिनांक 15-12-04 द्वारा आयुक्त, फैजाबाद के माध्यम से शासन को धन स्वीकृत हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त धन स्वीकृत कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मण्डलायुक्त, फैजाबाद के पत्र दिनांक 14-03-05 के साथ पूरे भोज तिवारी पुरवा से चन्दौकी रोड तक लेपन कार्य, लम्बाई 1.00 कि0 मी0 हेतु लागत रु0 13.23 लाख एवं सम्पर्क उतरदहा से कटांवा लेपन स्तर तक कार्य लम्बाई 1.10 कि0 मी0 हेतु लागत रु0 14.50 लाख के आगणन प्राप्त हुए हैं।

पश्नगत परियोजनाओं की स्वीकृति तुलनात्मक उपयोगिता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सुल्तानपुर में कुड़वार नौमवांतीर घाट पर गोमती नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

150--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर में कुड़वार नौमवांतीर घाट पर गोमती नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में शासन को पत्र सं0 614/नाबार्ड-9/सेतु-6/2003, दिनांक 26-5-2003 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त सेतु के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-2041/23-9-05-8 नाबार्ड/04टी0सी0-1, दिनांक 2 जून, 2005 द्वारा वर्ष 2005-06 में रु0 288.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र रारी की सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु धन अवमुक्त करने की मांग

151--धनन्जय सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में विधान सभा क्षेत्र रारी (जौनपुर) के सड़कों की विशेष मरम्मत के लिये कितनी धनराशि दी गयी है ? क्या उक्त धनराशि से वर्ष 2004-05 के सभी प्रस्तावित कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो छूटे हुये शेष प्रस्तावित कार्यों के लिये सरकार कब तक अतिरिक्त धन अवमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

कोई धनराशि नहीं दी गई है।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के अनेकों मार्गों के आगणन प्रस्ताव सम्बन्धी प्रमुख अभियन्ता, लो0 नि0 वि0 को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

152--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के मरियमपुर-इटहरा एवं ढखवा-बनवारीपुर-ऐलाही-लखनूडीह-शैलखा-धरौली मार्ग का आगणन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पत्र संख्या-1036/58 यात्रा (प्र0 प0), इ0 क्षे0/04, दिनांक 26-2-04 द्वारा प्रेषित प्रमुख अभियन्ता, लो0 नि0 वि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सन्दर्भ गत मार्गों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कुड़वार के ग्राम मड़रा एवं मझारी के बीच पुलिया के किनारे की मिट्टी को ठीक कराने की मांग

153--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे विकास खण्ड कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर में ग्राम मड़रा एवं मझारी के बीच बनायी गयी पुलिया के दोनों किनारों की मिट्टी बह जाने से आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी नहीं। वाटर वे कम होने के कारण पुलिया से सटे स्थान पर मार्ग कट गया था, जिसे ठीक कराकर यातायात चालू करा दिया गया है। अत: आवागमन अवरुद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर-अनूपशहर के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

154--श्री मुंशी लाल गौतम--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिकारपुर-अनूपशहर मार्ग जनपद बुलन्दशहर में कि0 मी0 13 से 26 तक क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन बाधित नहीं है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर से जहांगीराबाद के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

155--श्री मुंशीलाल गौतम--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर में शिकारपुर से जहांगीराबाद मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण किसानों को क्रय केन्द्रों तथा चीनी मिल, अनूपशहर को गन्ना लाने व ले जाने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मार्ग की दशा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन बाधित नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ में राज्य सेक्टर अन्तर्गत लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग पर बकुलाही नदी पर पुल निर्माण का कार्य पूर्ण कराने की मांग

156--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2003-04 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग 36 पर स्वीकृत बकुलाही नदी पर पुल निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

मुख्य सेतु का कार्य पूर्ण है। पहुँच मार्ग का कार्य प्रगति में है।

पहुँच मार्ग वर्ष 2005-06 में पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण का कथित प्रकरण

157--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में जिला योजना के अन्तर्गत सदर विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कौन-कौन सी स्वीकृत सड़कें हैं ? क्या स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई भी सड़क स्वीकृत न होने के कारण।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिये प्रतापगढ़ क्षेत्र में नवीनीकरण हेतु अनुदानित सड़कों का विवरण

158--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिये जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में नवीनीकरण के लिये कौन-कौन सी सड़कें अनुदानित हैं ? क्या स्वीकृत सड़कों के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिये जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में नवीनीकरण के लिये निम्नलिखित सड़कें अनुदानित हैं :--

(1) लखनऊ-वाराणसी राज्य मार्ग संख्या 36 (कि0 मी0 162, 167, 180)।

(2) शंकरपुर दुर्गागंज मार्ग (कि0 मी0 8, 9, 10,11,12)।

(3) विश्वनाथगंज रेलवे फीडर मार्ग (कि0 मी0 12 (520 मीटर)।

(4) प्रतापगढ़ कटरा गुलाब सिंह मार्ग (कि0 मी0 9, 10, 11, 13, 14, 19)।

(5) कटरा गुलाब सिंह लक्ष्मीगंज सराय आना देव मार्ग कि0 मी0 16।

(6) मोहनगंज देव घाट मार्ग 1 कि0 मी0।

(7) देल्हूपुर खरवई में धीरगंज रेलवे स्टेशन कि0 मी0 3।

लखनऊ-वाराणसी मार्ग के कि0 मी0 167 एवं शंकरगंज दुर्गागंज मार्ग के कि0 मी0 12 को छोड़कर शेष नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

शेष कार्य मार्च, 2006 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

वर्ष 2004-05 में प्रतापगढ़ क्षेत्र में ग्रामीण मार्गों के सुधार एवं नवीनीकरण के तहत स्वीकृत पाण्डेयपुर से कुर्मियान मार्ग तक सड़क का कार्य पूर्ण कराने की मांग

159--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 में जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में ग्रामीण मार्गों के सुधार एवं नवीनीकरण के तहत स्वीकृत पाण्डेय पुर से कुर्मियान मार्ग तक सड़क का कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्र में घाघरा नदी सोती पर चक्कीदियर सुल्तानपुर, पिलुई बहदुरा पर पुल निर्माण राज्यांश से कराने हेतु धन अवमुक्त कराने की मांग

160--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र में घाघरा नदी के बाद सोती चक्कीदियर सुल्तानपुर, पिलुई बहदुरा पर पुल निर्माण राज्यांश से कराये जाने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बलिया द्वारा मा0 मंत्री जी को प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो मंत्री जी इन पुलों के निर्माण के लिये राज्यांश से धन अवमुक्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

आयुक्त आजमगढ़ मण्डल के पत्र दिनांक 16-1-2004 तथा पत्र दिनांक 10-2-2004 द्वारा प्रश्नगत आगणन उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रश्नगत परियोजनाओं पर धनराशि अवमुक्त किया जाना उनकी तुलनात्मक उपयोगिता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के ग्राम बिरौली में चकबन्दी कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

161--श्री अब्दुल मन्नान--

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के पहले गुरुवार के निर्धारित अता0 प्र0 सं0 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम बिरौली, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई की उपलब्ध खतौनी को आधार मानते हुये फार्म 2 (क) का कार्य चकबन्दी विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार शीघ्र चकबन्दी कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम में चकबन्दी कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा अरेला में ग्राम समाज की भूमि, नाली, चक मार्ग पर अवैध कब्जा

162--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सभा अरेला, तहसील पट्टी के निवासी श्री नागेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ बब्बन सिंह एवं श्री शिव प्रताप सिंह द्वारा ग्राम समाज की भूमि, नाली, चक मार्ग पर अवैध कब्जा करके उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी हां।

चकमार्ग पर नहीं बल्कि नाली व नवीन परती पर अवैध कब्जा है जिसके सम्बन्ध में ज0 वि0 अधि0 की धारा 122 बी के अन्तर्गत अतिक्रमणियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं तथा न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जिला मथुरा में वर्ष 1992 में लगायी गयी जिला कृषि औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी की व्यवस्था में व्यय धनराशि के भुगतान की मांग

163--श्री सुन्दर सिंह--

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जिला मथुरा में वर्ष 1992 में जिला कृषि औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी लगायी गयी थी, जिसका कार्य स्टैण्ड, फर्नीचर, स्टेज आदि (की व्यवस्था को अपर जिला अधिकारी, वित्त एवं राजस्व, उपाध्यक्ष प्रदर्शनी) मथुरा के द्वारा मेसर्स जनता टेन्ट हाउस, बुलन्दशहर को कराने के आदेश न्यूनतम रेट के आधार पर दिया गया था, जिसका कुल बिल रु0 5,90,000.00 हुआ था ? क्या यही सही है कि उक्त बिल का सत्यापन अपर जिला अधिकारी, वित्त एवं राजस्व/उपाध्यक्ष प्रदर्शनी, मथुरा द्वारा किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि में से मात्र रु0 87,584/- का भुगतान कर दिया गया है ? शेष रुपये 5,02,458/- का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

जी हां।

प्रश्नगत प्रदर्शनी जिला स्तर पर लगाई गई थी तथा स्टैण्ड, फर्नीचर, स्टेज आदि की व्यवस्था टेण्डर में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर अनुमोदित किया गया था, जो जनता टेन्ट हाउस, बुलन्दशहर को सबसे कम राशि के टेण्डर रु0 176,770/- के नाम पर स्वीकृत किया गया था। यह सही नहीं है कि बिल का सत्यापन अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/उपाध्यक्ष, प्रदर्शनी, मथुरा द्वारा किया गया था, बल्कि बिल का सत्यापन सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा कराया गया। यह सही नहीं है कि रु0 87,584/- का भुगताना किया गया है। सत्यापन के आधार पर ठेकेदार द्वारा सप्लाई किये गये टेण्ट, फर्नीचर आदि का किराया रु0 64,268/- पाया गया था और समस्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया है और कुछ भी धनराशि देय नहीं है। इस भुगतान को किसी शासकीय मद अथवा अनुदान से नहीं किया गया है, बल्कि प्रदर्शनी के आयोजन के लिये नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से उपलब्ध करायी गयी धनराशि तथा मेले से हुयी आय से किया गया है।

जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत तथा लेपन कराने हेतु धन निर्गत करने की मांग

164--डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कालपी क्षेत्र जनपद जालौन के ऊसरगांव सरसेला सम्पर्क मार्ग, आटा मुसमरिया स्वाकर आश्रम सम्पर्क मार्ग, कदौरा चतेला सम्पर्क मार्ग, कदौरा बड़ागांव सम्पर्क मार्ग, मदारीपुर रोड, तरसौर सम्पर्क मार्ग, अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सम्पर्क मार्गों की मरम्मत तथा लेपन कराने हेतु धन निर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्पर्क मार्गों की मरम्मत तथा लेपन कराने हेतु धन निर्गत किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर के अन्तर्गत स्वीकृत कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

165--श्री अब्दुल मन्नान--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 में ग्राम हसनापुर से रसूलपुर आंट तथा ग्राम हिया से घुघेरा सम्पर्क मार्ग तक लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था ? क्या उक्त स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में उसको पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हाँ।

केवल ग्राम हिया से घुघेरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया गया है। ग्राम हंसनापुर से रसूलपुर आंट मार्ग के कि0 मी0 01 में बाग की भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम पतौनी में खलिहानों व अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अपात्र लोगों में पट्टा किये जाने की जांच की मांग

166--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पतौनी, परगना व तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेदकरनगर में खलिहानों व अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि को दिनांक 15 मई, 2002 से अगस्त 2003 के बीच में अपात्र लोगों को पट्टा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

24 किता भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 5.896 हे0 था, में से वृक्ष से आच्छादित 0.366 हे0 सार्वजनिक उपयोग यथा देवस्थान, रास्ता पुरानी आबादी, शव दफनाने का स्थान आदि के 2.096 हे0 भूमि को पृथक् करते हुए दिनांक 5-10-2002 को 44 व्यक्तियों में कुल 3.355 हे0 एवं 16-12-2002 को एक व्यक्ति को 0.079 हे0 इस प्रकार उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर कुल 3.434 हे0 भूमि का पट्टा दिया गया ।

आवंटित क्षेत्र में खलिहान के खाता की कोई भूमि नहीं है। भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 19-8-2002 को पारित अपने प्रस्ताव में 49 व्यक्तियों को भूमि आवंटन का प्रस्ताव किया था। राजस्व अधिकारियों की जांच में 04 व्यक्ति अपात्र पाये गये, अत: इन्हें पृथक् करते हुए शेष 45 व्यक्तियों को भूमि पट्टा कर दी गयी।

आवंटन की पत्रावली जांच के बाद अनुमोदित की गयी है, इस प्रकरण में आवंटी की अपात्रता का मामला सामने नहीं आया है। कालान्तर में यह पाया गया कि भूखण्ड संख्या 612 क्षेत्रफल 0.041 हे0, जो आवंटन के अयोग्य था, को लेखपाल ने क्षेत्रफल 0.051 हे0 आवंटन पत्रावली में दर्शाकर आवंटित कराया है इसके अतिरिक्त पत्रावली के गठन में लिपिकीय लघु लोप के लिये तत्कालीन लेखपाल/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति को निलम्बित कर दिया गया है तथा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है इस भूखण्ड के हुए आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग के टेण्डरों का प्रकाशन आदेशानुसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से न कराकर लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं कराये जाने की जांच की मांग

167--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले टेण्डरों का प्रकाशन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किये जाने के आदेश हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि लोक निर्माण विभाग अम्बेदकरनगर के निर्माण खण्ड, प्रान्तीय

खण्ड एवं प्रधानमंत्री सड़क खण्ड में 5जून, 2004 से 30 अप्रैल, 2005 तक जो टेण्डर निर्गत हुये वह सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के बजाय स्वयं सीधे अधिकांशत: टेण्डर प्रकाशित करवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं। अधिकांशत: टेण्डर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भेजे गये हैं। मात्र दो निविदा की सूचना विशेष परिस्थितियों में सीधे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी में चमरौरा नाले पर पुल तथा मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

168--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र, पट्टी में रामगढ़वा-नरहरपुर-औरंगाबाद-सलेश्वर नाथ मन्दिर के मध्य चमरौरा नाले पर पुल तथा मार्ग निर्माण हेतु राज्य मंत्री जी का आदेश प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को माह अगस्त/सितम्बर 04 में प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

उल्लिखित पुल तथा मार्ग के आगणन गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ क्षेत्र पट्टी में राज्य सेक्टर से स्वीकृत अधूरी सड़कों का कार्य पूर्ण कराने हेतु शेष धनराशि अवमुक्त कराने की मांग

169--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में राज्य सेक्टर से स्वीकृत मार्ग 1996 से अब तक कौन-कौन से हैं और उनमें कितनी सड़कें अधूरी हैं ? उनको पूर्ण कराने हेतु शेष धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 1996 से अब तक स्वीकृत मार्गों का विवरण संलग्नक 1† में अंकित है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

---

†(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 180 पर।)

जनपद प्रतापगढ़ के सदर क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) वर्ष 2002-03 में स्वीकृत कार्यों का विवरण

170--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) वर्ष 2002-2003 में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये थे ? क्या स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) वर्ष 2002-03 में निम्नलिखित कार्य स्वीकृत हुये :--

1--धरमपुर-बकुलाही नदी पर पुलिया निर्माण 7 x 6 मी0 स्पान।

2--कटरा गुलाब सिंह के पास बकुलाही नदी पर पुलिया निर्माण 3 x 5 मी0 स्पान।

3--हैन्सी बाजार से सराय देवराय वाया बरईपुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 4.00 कि0 मी0।

4--पनियारी से सहिजनपुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 3.00 कि0 मी0।

5--हैन्सी से शिवरा तक सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 2.00 कि0 मी0।

6--बहरिया से मिश्रपुर बरइपुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 2.00 कि0 मी0।

उक्त स्वीकृत मार्गों में से क्रम संख्या-4 में उल्लिखित सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष मार्गों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि को अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम बंधवा बाजार एवं सलाहपुर में वर्ष 1985 से 1990 तक आवासीय, कृषि योग्य तथा तालाब का पट्टा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

171--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम बंधवा बाजार एवं सलाहपुर में वर्ष 1985 से 1990 तक कुल कितने लोगों को आवासीय पट्टा एवं कृषि योग्य पट्टा एवं तालाब का पट्टा स्वीकृत किया गया है उनके मूल निवास एवं पट्टा धारकों के पास उपलब्ध पैतृक सम्पत्ति का विवरण एवं उनके तहसील, ब्लाक एवं जनपद का पता क्या है ? क्या दिनांक 5-10-04 को प्रश्नकर्ता का पत्र मा0 राजस्व मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? क्या प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर मा0 मंत्री जी द्वारा दिनांक 30-10-04 तक प्रमुख सचिव, राजस्व से आख्या मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

ग्राम बंधवा बाजार एवं सलाहपुर तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1985 से 1990 तक कोई कृषि, आवास एवं तालाब का पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है।

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र पर जांच करने हेतु आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिनांक 5-10-04 को दिये गये थे। उक्त के क्रम में राजस्व परिषद् द्वारा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देश दिनांक 10-11-04 को प्रेषित किये गये हैं। जांच आख्या प्रतीक्षित है। आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार निर्णय लेकर यथोचित कार्यवाही कर ली जायेगी।

जनपद बाराबंकी में गाटा संख्या-479 पर पूर्व एवं वर्तमान प्रधान द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत

172--श्री प्रदीप माथुर--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमौली कला, विकास खण्ड रामनगर, जनपद बाराबंकी में गाटा संख्या-479 रकबा 3.79 हेक्टेयर तालाब की पूर्व प्रधान तथा वर्तमान प्रधान द्वारा पाटकर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्जे को खाली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

तालाब का गाटा संख्या 479 का क्षेत्रफल 3.79 हेक्टेयर नहीं है बल्कि उक्त तालाब का गाटा संख्या-479 ग तथा क्षेत्रफल 0.379 हेक्टेयर है।

तालाब पर किसी का अवैध कब्जा नहीं है। अत: उसे खाली कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन निर्माण कराने की मांग

173--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री अम्बिका चौधरी--

जी नहीं।

भवन निर्माण की स्वीकृति एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत की जाती है। परिपक्व प्रस्ताव के अभाव में स्वीकृति जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में पट्टी क्षेत्रान्तर्गत अवशेष मार्ग निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

174--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता परियोजना वर्ग, लो0 नि0 वि0, लखनऊ का पत्र 4153 बीजी/7 बी-अधि0/02, दिनांक 1-11-02 को जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा पट्टी के अवशेष मार्ग निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु धन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में था, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव--

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रश्नगत मार्गों पर अनुदान आवंटित किया गया है।

श्री इन्द्रजीत सरोज पर प्राणघातक हमला होने की सूचना तथा नि:शुल्क दूसरा गनर उपलब्ध कराने की मांग

श्री इन्द्रजीत सरोज--

मान्यवर, मेरी सुरक्षा का मामला है। मान्यवर, फतेहपुर जाते हुए मुझ पर बिना नम्बर की गाड़ी में सवार असलहाधारियों ने हमला किया। इस बारे में जब आपको अवगत कराया गया तो आपने एस0 पी0 से बात की और इस सम्बन्ध में शासन को पत्र भी दिया गया, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे दूसरा नि:शुल्क गनर उपलब्ध कराने के लिए आदेश भी दिया था लेकिन आज तक वह शासनादेश जारी नहीं हुआ है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह शासनादेश जारी किया जाये और मुझे दूसरा गनर उपलब्ध कराया जाये।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, आपने सिफारिश की और नहीं भी की होती अगर विधायक सदन में अपने जीवन के लिए खतरे की बात उठाता है तो हम उसे गम्भीरता से लेते हैं। हम आज ही माननीय सदस्य को दूसरा गनर उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 2 में कुछ नहीं है इसलिए अब हम मद संख्या 3 ले रहे हैं।

टाण्डा अम्बेडकर नगर में एक विशेष बीमारी फैलने की सूचना तथा इलाज की व्यवस्था कराने की मांग

*श्री लालजी वर्मा--

मेरे क्षेत्र में एक स्पेशल बीमारी फैली हुई है, चार लोग मर गये हैं और 100 लोग अस्पताल में पड़े हैं। इसमें मरीज को बुखार होता है और गले की नस फूल जाती है और मरीज मर जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसको दिखवा लें और वहां पर इसके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करा दें।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान-सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष (सभापति विशेषाधिकार समिति)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषकार समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन, जो श्री सलिल बिशनोई, सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, यह जो विशेषाधिकार-हनन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है इसका परीक्षण कराने के उपरान्त सदन में इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की नियम समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की नियम समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन, नियमावली 1958 के नियम 311 के अन्तर्गत विधान सभा की नियम समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन से सम्बन्धित नियमावली के संगत प्राविधानों के निलम्बन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 31 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करता हूं कि उक्त नियमावली के संगत प्राविधानों को निलम्बित करते हुए उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की नियम समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन, जो सदन में दिनांक 28 जुलाई, 2005 को प्रस्तुत किया गया है, में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में नियम 251 में प्राविधानित 14 दिन की कालावधि को वर्तमान सत्र के अन्तिम उपवेशन की कालावधि समझा जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव है कि उक्त नियमावली के संगत प्राविधानों को निलम्बित करते हुए उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की नियम समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन, जो सदन में दिनांक 28 जुलाई, 2005 को प्रस्तुत किया गया है, में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में नियम 251 में प्रविधानित 14 दिन की कालावधि को वर्तमान सत्र के अन्तिम उपवेशन की कालावधि समझा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, यह सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। यह जरूरी नहीं है कि जो आपको लिखकर दिया गया है उसे आप वैसा ही पढ़े जैसा कि लिखा है। अगर सर्वसम्मति से पास हुआ है तो उसे सर्वसम्मति से कहें।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत माना गया)

श्री अध्यक्ष--

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वसम्मति से कुछ मसले तो जैसे कार्य मंत्रणा है या यह वाला मैटर है, यह तो हो सकते हैं लेकिन कुछ मसले ऐसे भी होते हैं जिसमें लोग कुछ बोलते तो नहीं हैं, लेकिन 'ना' होता है। तो उसमें जैसा अध्यक्ष जी ने कहा वैसा ही कहा जाता है।

---

* छापा नहीं गया।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति में कार्य करने के लिए 4 (चार) सदस्यों का नाम निर्देशित करने हेतु उ0 प्र0 विधान परिषद् से अनुरोध का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से अनुरोध करता है कि विधान परिषद् 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' में कार्य करने हेतु सहयुक्त सदस्य के रूप में अपने 4 (चार) सदस्यों को नाम निर्देशित करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से अनुरोध करता है कि विधान परिषद् 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' में कार्य करने हेतु सहयुक्त सदस्य के रूप में अपने 4 (चार) सदस्यों को नाम निर्देशित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप बिल इण्ट्रोड्यूस करेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं, उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसकी प्रतियां अगर हों, तो बंटवा दी जायं।

(प्रतियां बांटी गयीं)

श्री विवेक बंसल--

मान्यवर, मैं एक विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

देखिये महामारी से सम्बन्धित मामला अगर है, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि हम उसको दिखवा लेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री विवेक बंसल--

मान्यवर, हमारे यहां जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष--

अभी पहली तारीख या चार तारीख को सदन रहेगा तो उस समय आप उसको लिखित में ले आइयेगा। अब यहां अगर कुछ कहेंगे तो लिखा नहीं जायेगा।

इलाहाबाद के पोस्टमार्टम स्थल का स्थानान्तरण संगम स्थल के पास किये जाने के सम्बन्ध मे व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मान्यवर, इलाहाबाद एक धार्मिक स्थल है और यहां पर गंगा-यमुना-सरस्वती का संगम स्थल है। मान्यवर, हमारे यहां एक जगह 50 साल से पोस्टमार्टम हुआ करते थे, लेकिन अब उसको माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानान्तरित करके संगम के पास उसे स्थापित कर दिया गया है। मान्यवर, संगम का बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। यहां पर कुम्भ का मेला भी आयोजित होता है, जिसमें देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम स्थल को यहां स्थापित करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। आज माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, इसलिए मैंने यह बात उठाई ताकि वह इस पर विचार करके इसे कहीं अन्यत्र स्थापित करवाने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, माननीय डा0 गौर साहब ने जो कहा है, उस पर हम विचार करेंगे, इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी के कई महान नेता रायबरेली गये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रमोद जी, आप तो आदर्श विधायक माने गये हैं, आप ही यह सब करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

इसीलिए तो मान्यवर, मैं अपनी बात कह रहा हूं, अगर आप आदर्श विधायक की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे। [x x x]

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा ?

अनुपूरक बजट में विशेष तौर पर इटावा, मैनपुरी और रामपुर के लिए प्राविधान किये जाने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष--

नहीं, यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं है।

नोट --[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष जी, अनुपूरक बजट मे विशेषतौर पर केवल इटावा, मैनपुरी और रामपुर के लिए ही प्राविधान किया गया है, प्रदेश के अन्य जनपदों में अनुपूरक मांग की जरूरत थी, अन्य जिलों में भी विकास के कार्य कराये जा सकते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा अन्य जिलों की उपेक्षा की गयी है, इसलिए इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

माननीय अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता ने जो आक्षेप लगाया है उनसे जाहिर है कि बहुत ही संकुचित सोच है, छोटी विचारधारा है, छोटी सी दुनिया है, छोटा सा दिल है इस छोटी सी दुनिया में। उनमें न कोई अहसास है न किसी के विकास के लिए कोई विचार है। मान्यवर, उन्होंने अखबार की एक खबर को ही बुनियाद बनाकर ऐसे सदन में जो उत्तर प्रदेश का सदन ही नहीं है बल्कि जो पूरे देश की जान हो, जिससे दूसरे प्रदेश सीख लेते हो वहां एक मामूली सी खबर का सहारा लेकर उठकर चले जाना यह निन्दनीय बात है। मान्यवर, अगर तीन जिलों का नाम किसी अखबार में छप गया है और अखबार में वह चीजें छप गई हैं जो दो साल से हो रहा है। मान्यवर, समाचार-पत्रों का सम्मान है, उनका तो कारोबार है। हमारी खाल वह जितनी उतारेंगे उतना हमारा शरीर नजर आयेगा। लेकिन आप उनके कारोबार से अपने कारोबार को क्यों मिलाते हैं ? ऐसा लगता है कि अखबारों में यह चीजें भी उन्होंने ही दी है। मान्यवर, इटावा, मैनपुरी और रामपुर के बारे में हमें नहीं मालूम है, वह खबरें अखबार में आ गयी। मान्यवर, वह तीन जिले जिनके साथ ऐतिहासिक उपेक्षा हुई है ये वह तीन जिले हैं जिसमें रहने वाले 40 फीसदी लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं यह वह जिले हैं जहां निर्माण कार्यों पर रोक लगा रखी गयी थी। इटावा, मैनपुरी में जो काम चल रहे थे उन कामों को वहां रोक दिया गया था, सामानों को लूट लिया गया था, बी0एस0पी0 के कार्यकर्ता उस सामान को लूट कर ले गये थे। लेकिन सत्ता आई है। क्या सदन का कोई सदस्य कह सकता है मान्यवर कि एक काम भी नेता सदन की तरफ से ऐसा हुआ है जो बदले की भावना से किया गया हो। हालांकि, हां इतना कुछ हो सकता था कि कुछ लोगों के राजनीतिक जीवन तक समाप्त हो जाते वह जेलों से बाहर नहीं निकलते। इतने दामन दागदार हैं गिरेबानों में इतना मैल है कि आज भी हो सकता है कि सिर्फ जांच अगर हो जाये और सिर्फ जांच के लिए सजा तय हो जाये तो जीवन भर जेलों से बाहर नहीं आयेंगे। लेकिन एक मापदण्ड तय किया है कि राजनैतिक का और राजनैतिक अखलाख का, कि हम राजनीति मे काम करने वाले लोग राजनीति में काम करने वाले लोगों के साथ कोई बदला नहीं लेंगे। बुन्देलखण्ड की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? मान्यवर, सिर्फ इसलिए कि वहां समाजवादी विचारधारा के लोग रहते हैं और अमुक जाति के लोग वहां कम रहते हैं, इस कदर जातिवादी विचारधारा से लिप्त होकर लोग राजनीति करेगे उसका अन्जाम भी देखेंगे। इसलिए मान्यवर, यह जो आक्षेप लगाया गया है वह निराधार है और बेबुनियाद है। हां इसी विचारधारा और इसी सोच की इसलिए हम निन्दा करते हैं कि मान्यवर, अगर यह मान भी लिया जाये कि इन तीन जिलों को कुछ दिया गया है तो आखिर उन्हें इन जिलों से क्या शिकायत है ? उन्हें इन जिलों में रहने वाले लोगों से क्या शिकायत है। आप वहां आयें। हम तो यह नहीं कहेंगे जो आप यहां कहकर चले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

गये। हम तो स्वागत करेंगे रामपुर तशरीफ लाये हम आपको उन्हीं गरीब लोगों के घरों में ले चलेंगे जो सैकड़ों साल से जुल्म का शिकार हुए हैं जिन्हें जीने का हक नहीं था। जहां फरमान जारी होते थे कि कोई स्कूल नहीं खोला जायेगा, जहां फरमान जारी होते थे कि सड़क पर कोई नहीं चलेगा और जहां फरमान जारी होते थे कि बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रहेगी। ऐसी जगह के बारे में भी ऐसी विचारधारा रखना, किस कदर अफसोस की बात है। मैं निन्दा करता हूं और मैं उन्हें दावत देता हूं रामपुर आने के लिए।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जब चर्चा हो ही गयी तो दो मिनट विचार रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आक्षेप था तो उन्होंने कहा, आप पर तो कोई आक्षेप है ही नहीं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

आप पर तो कोई आक्षेप नहीं है।

श्री हुकुम सिंह--

मैं आक्षेप की बात नहीं कर रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, यह मैं चाहता हूं, माननीय हुकुम सिंह जी इस सदन के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग जिस दल के लोग बेहयाई की सीमा लांघ गये हों, बेहियाई ओर बेशर्मी की सीमा लांघ गये हों, उनके अगर पक्ष में आप बोलना चाहते हैं तो आप पर आक्षेप नहीं है ? सदन का वातावरण ऐसा मत कीजिए।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं केवल अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अगर आप करेंगे तो ऐसा टिप्पणी करेंगे ? तो क्या अफसोस है कि मुलायम सिंह वहां पैदा हो गया।

श्री अध्यक्ष--

वह खड़े हैं, आप बैठ जायं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

क्या अफसोस है कि हम इटावा और मैनपुरी के रहने वाले हैं, आजम खां रामपुर में पैदा हुए। मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि हम इटावा, मैनपुरी के लिए जहां हमने जन्म लिया है जहां हमारे पुरखों ने जन्म लिया है, वहां से आये इटावा। हम इटावा मैनपुरी के लिए जो विकास हो सकता है, अभी किया नहीं है, करेंगे। वहां पर जाकर हमारे लोहिया ट्रस्ट को आपने नहीं देखा है, क्या यह लोग हैं कौन सी आजादी की लड़ाई देखी है। जिन्होंने कभी त्याग और कुर्बानी से लाहौर जेल में 11 दिन सोने नहीं दिया हो वह डा0 लोहिया के नाम पर ट्रस्ट का पता नहीं, कैसी दुर्दशा कैसी हालत में पड़ा था। वहां का 70 लाख रुपया स्वीकृत था वह मिट्टी कहां है, वह बालू कहां है, वह सिमेंन्ट कहां है, वह लोहा कहां है, जरा बताइये। चले हुकुम सिंह जी, बाजपेयीजी दिखा दें आज आपको कि हालत

क्या है ? हमने किसी भी महापुरुष के लिए विरोध नहीं किया। किसी तरह से इटावा के भरथना का उसका पूरा का पूरा 2 पिलर मामूली बन चुके थे। वहां का पूरा सामान लूट लिया गया और लूटने के बाद कहां गया है ? इसी तरह से उसहार से ले लेकर भरथना के 30 किमी0 की सड़क का पैसा 5 साल का मरम्मत का बताओ कहां गया ? मैनपुरी से सैफई तक की रोड थी उसके 5 साल के मरम्मत का पैसा कहां गया ?

ठीक कह रहे हैं आजम साहब कि हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करना चाहते हैं। मैंने कभी कोई सवाल नहीं उठाया है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज लोकायुक्त की रिपोर्टें पड़ी है हमारे पास यह चाहेंगे की हुकुम सिंह कि यह सारे सवाल यहां आये। हमने तय किया है कि हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। अगर आप बोलने के लिए जब खड़े होंगे तो मेरे जैसे लोगों को भी बोलना पड़ेगा। क्योंकि यह सदन ऐसा है जो जनता का दर्पण है पूरा देश देखता है, पूरी जनता देखती है, साढ़े 17 करोड़ की जनता देखती है और इस तरह बेबुनियाद आक्षेप इन्होंने और जो तंगदिल हैं, जो दो कौड़ी के लोग हैं, इस तरह का आरोप लगायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मेरा उस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है आप अनावश्यक रूप से खीच रहे हैं उसमें अनुपूरक जो प्रस्तुत हुआ इसके माध्यम से कुछ सामान्य बात कहने का अधिकार तो होगा। मेरा उस विषय से कोई मतलब तो है नहीं, आप जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं कि मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी अनुपूरक प्रस्तुत हुआ है उसके माध्यम से कुछ तो कहने का अधिकार मेरा है।

(श्री जगदम्बिका पाल द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैं केवल सामान्य बात कहने जा रहा हूं और सामान्य बात मेरी यह है कि जब मैंने सारा अनुपूरक देखा। सामान्य रूप से जैसा इसके प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। मान्यवर, सामान्य रूप से अनुपूरक लाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब जो स्वीकृत मद है उनमें पैसा कम पड़ गया हो या किसी कारणवश दूसरी मद आ गयी हो जो हम देख चुके हैं तब अनुपूरक की आवश्यकता पड़ती है। या पहले कुछ कंटीजेंसी से ज्यादा खर्च हो गया तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसको पूरा करने के लिए। 31 मार्च को बजट पास किया गया, बिलकुल सही समय पर पास करने के बाद आज हम जुलाई के महीने में खड़े हुए हैं। आम तौर से अगर 4 माह पूर्व भी इस सरकार को यह जानकारी नहीं थी कि जो प्रस्तावित मदे हैं, उन मदों पर कितना व्यय होना है तो कहीं न कहीं यह अक्षमता की बात है चाहे किसी स्तर पर हो, अगर 4 माह का लेखा जोखा ठीक नहीं कर सके जो कि आठ महीने दस महीने तक इतने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी हमने स्वीकृत किया था वह व्यय हो चुका तो निश्चित रूप से आपके आंकलन में कमी रही है यह देखने की बात है। दूसरी बात आपने देखा होगा कि नवम्बर, दिसम्बर में जब भी सत्र हुआ है तब अनुपूरक लाने की आवश्यकता हुई है क्योंकि उस 8 माह का सम्भवत: अनुमान लगाना पहले सम्भव नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी आपत्ति यह है कि कम से कम जिन अधिकारियों को उन मदों के बारे में जिनको आप स्वीकृत करा चुके थे उन मदों पर धनराशि की आवश्यकता समझी है आखिर उन्होंने किस प्रकार से इन मदों के खर्चे का आंकलन किया था।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा मान्यवर, मैं भेदभाव की बात नहीं कहना चाहता लेकिन जिज्ञासा जरूर उठती है। उसमें कोई ज्यादा मतलब निकालने की बात नहीं है लेकिन यहां का सदस्य होने के नाते हमारे मन में यदि कोई बात है, उसे हम यदि यहां नहीं रखेंगे तो फिर कहां रखेंगे। जैसे नोएडा में आपने प्रस्ताव किया और 3 जांच आयोग बनाये और इन जांच आयोगों के लिये कई-कई लाख के खर्चे की मांग की। अरे यह भी तो देख लेते कि यह जांच आयोग कर क्या रहे हैं ? एक के बाद एक जांच आयोग बिठाया जा रहा है, आप खर्च का प्रस्ताव ला रहे हैं, कुर्सी का, मेज का, गाड़ी का, पी0 ए0 का, स्टाफ का। एक जगह 3 आयोग गठित होते चले जायें और हम इनका खर्च स्वीकृत करते चले जायें लेकिन यह तो देख लें कि इनकी परफारमेंस क्या है ? दूसरी बात इसमें जैसा हमने देखा कि तमाम कारपोरेशन्स के अनुदानों की तमाम मदें हैं। जैसे पावर कारपोरेशन के लिए आपने 250 करोड़ मांगा है। मैंने इस मामले को औचित्य प्रश्न के रूप में भी उठाया था। आप जिस कारपोरेशन के लिये मांग रहे हैं, उस पर आपका क्या अधिकार है ? आपका क्या नियंत्रण है ? सारा नियंत्रण कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया। एक लाइनमैन का ट्रांसफर आप कर नहीं सकते। उसकी वजह से आज पूरी विद्युत् व्यवस्था चरमरा गयी है। लाइनमैन आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी अधिकारी से कहो तो वह कहता है कि मैं उसे हटा नहीं सकता। तो सारे अधिकार तो आपके कोर्ट ने ले लिये। मैं बराबर इतने दिन से आग्रह करता जा रहा हूं और हम 250 करोड़ स्वीकृत कर रहे हैं, उस कारपोरेशन के लिए जो किसानों को बिजली देगा, पब्लिक के लिये काम करेगा।

मान्यवर, हमारी मशीनरी आप हैं इस सदन ने आपको अधिकृत किया है और आपका अधिकार किसी और ने ले लिया। अगर मैं यह बात नहीं रखूंगा तो कहीं न कहीं मेरे लिए दायित्व से विमुख हो जाने वाली बात होगी। कुछ मदें और ऐसी हैं, आपने एक चीनी कारपोरेशन के ब्वायलर के लिये पैसे का प्राविधान कराया है। यह निगम सारे के सारा बेचने की स्थिति में आ रहा है, कोई वजूद इसका नहीं रहा। एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि यह निगम सारे के सारे नुकसान में चल रहे हैं तो सरकार या तो इनकी पूरी जिम्मेदारी ले ले और इन्हें चलवाये और चलवाने के बाद इनका लेखा-जोखा देखे। चीनी यह बेचेंगे और पैसा इनके खाते में जायेगा। दूसरे ऐसे तमाम कारपोरेशन हैं, जिनका वेतन के लिये आपने इसमें प्राविधान कराया है। जैसे कर्मचारी कल्याण निगम, एक निगम चल रहा है। वहां 25-25 महीने से लोगों को वेतन नहीं मिला, कुछ जगह तो आप दे देंगे, चाहे इसका कारण कुछ भी रहा हो और कुछ जगह नहीं देंगे। मेरा कहना यह है कि नीतियों में एकरूपता होनी चाहिये। जो नुकसान में निगम हैं, उनको आप वाइंडअप करें, वी0आर0एस0 करें, लेकिन भेदभाव न करें। आज जिनको 25 महीने से वेतन नहीं मिला, देखें, उनकी हालत क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

कल चर्चा हुई थी, काफी बात हो गयी थी, अब समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, एक-दो बात और कह दूं, यदि मुनासिब समझें। किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं। आपने 67 अरबी-फारसी मदरसों के लिए 15 करोड़ का प्राविधान किया, जिज्ञासा मेरे मन में भी आई कि केवल 2-3 भाषाओं के लिये ही क्यों प्राविधान किया है ? बाकी सारी भी तो है, इसके अलावा संस्कृत भी तो है, एक करोड़ आप उसे भी दे देते, 15 करोड़ इसे कर देते लेकिन आप केवल अरबी-फारसी के लिये कर रहे हैं, लोग हिन्दी-अंग्रेजी, संस्कृत भाषायें भी तो पढ़ा रहे हैं,

उनके लिये भी तो कुछ करते। बहुत सी जगहें हैं, जहां तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है। आपके सामने भी इस तरह की तमाम बार कठिनाई आई है कि वेतन तक नहीं मिल रहा है। ऐसे तमाम विद्यालय अन्य भाषाओं के हैं तो उनका भी ध्यान कर लेते. एक शिकायत मेरी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन लेना पड़ रहा है। एक कम्पनी-बाग के लिए तीन करोड़ रुपये का प्राविधान किया, कम से कम पांच-पांच लाख रुपये वहां भी कर देते, हमारे जनपद में भी है, मेरठ में भी है। जहां-जहां पर भी है, कम से कम वहां के लिए भी कुछ कर देते। मुझे इस बात का गिला जरूर है कि जहां नहीं किया वहां भी किया जाना चाहिए था। नगर निगम और नगर पालिका के भरोसे वह कम्पनी-बाग कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर आप वहां भी कुछ कर देते तो वहां भी बाउन्ड्रीवाल बन जाती, वहां भी तार बंध जाते, वहां भी हरियाली आ जाती, कम से कम लोग सांस तो ले पाते।

श्री अध्यक्ष-

बहुत सी बातें आ गयी है, अब कार्यवाही आगे बढ़ने दीजिए।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जब आप कहेंगे, मैं बैठ जाऊंगा। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि जहां तक सड़कों की बात है, आज आपने दो सौ करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। एक जगह 60 करोड़ रुपये आप दे रहे हैं, मान्यवर, हम भी हैं, कहीं हमारा भी ध्यान रखिये। प्रश्न लगाया था, लेकिन लिया नहीं गया है, कृपया एक बार उसे देख लें। एक बार प्रश्न का उत्तर देख लें, कहीं सवा सौ किलोमीटर, कहीं सौ किलोमीटर और एक जिला यह हरियाणा के पास है, वहां के लिए केवल सवा सात किलोमीटर। इससे हमें गिला नहीं होगी ? भले ही हमारे पशुधन मंत्री को एक कोने में बिठा दिया हो, मान्यवर, इसको देख लें। जो आपने आधार रखा है, उस आधार में मेरा भी जिला आता है। मैंने कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया है, इस विश्वास से कि अन्यथा न लेते हुए जहां कमी रह जाती है वहां उस कमी को आप पूरा करेंगे, उसका भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसा मेरा विचार है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, बहस खत्म हो गई कि अभी चलेगी।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, बहस नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कुछ कहा, वह किसी भावना से ग्रसित होकर नहीं कहा, बल्कि सुझाव दिये हैं और कुछ अपने व्यक्तिगत जिले के लिए या किसी क्षेत्र के लिए पीड़ा व्यक्त की है। जहां तक आपने कहा है कि अधिकारियों की क्या गलती है, जो ठीक से अनुमान नहीं लगा सके और सप्लीमेन्ट्री बजट ज्यादा आया है। शायद आपने ठीक से इसका अध्ययन नहीं किया है और न ही ठीक से इस पर चिन्तन किया है, अन्यथा यह सवाल न उठता। क्योंकि तेजी के साथ सरकार काम करना चाहती है, पिछली कार्य प्रणाली रही है, जिसमें

पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाता था और पैसा सरेन्डर करना पड़ता था। इस सरकार ने जिम्मेदारी दे दी है कि समयबद्ध कार्यक्रम बना करके आप पूरी स्वीकृतियां जारी कीजिए। कांग्रेस ने टण्डन जी ने और सभी नेताओं ने सहयोग दिया, जिससे कि बजट समय से पास हो सका, उसी का परिणाम है कि जो पैसा सरेन्डर होता था वह विकास में खर्च हुआ है। हम उत्तर प्रदेश के विकास में तेजी से जुटे हुए हैं, इसलिए वह पैसा खर्च हो चुका है और जो पैसा हम स्वीकृत कर रहे हैं, मुझे अनुमान है कि वह भी फरवरी के महीने तक खर्च हो जायेगा। जो तेजी से सड़कें जनता को दिखायी दे रही हैं, हो सकता है कि आपके यहां कुछ कमी रह गयी हो, उसको भी हम देख लेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि कोई पक्षपात न हो। उत्तर प्रदेश की सीमाओं के आस-पास जो सड़कें हैं, उनको हमने प्राथमिकता दी है, चाहे बुलन्दशहर, गाजीपुर, बलिया या देवरिया हों। मैंने शिवपाल सिंह जी को भी कहा है कि यह ध्यान रखा जाये। जहां तक कुछ जिलों की बात आ जाती है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साढ़े आठ साल का इतिहास देखिये, उन जिलों में क्या दिया गया है, वह बहुत पिछड़ गये हैं। अगर चौधरी साहब की किताब देखेंगे तो सबसे पिछड़ा मध्य उत्तर प्रदेश हो गया है। 98 फीसदी आज भी मैनपुरी जनपद के लोग खेती करते हैं केवल दो फीसदी लोग हैं जो बाहर हैं या दूसरा कोई कार्य करते हैं। 98 फीसदी लोगों के पास खेती के अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं है। यह जिला पिछड़ता चला गया। मैंने पिछला लोक सभा का चुनाव मैनपुरी से लड़ा था, मुख्य मंत्री तीसरी बार हूं। वहां पर ऐसे गांव थे, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी हमारे साथ घूमे थे कि वहां जीप भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। उत्तर प्रदेश में कोई इतना पिछड़ा जिला नहीं है। बलराम यादव जी भी वहां गये थे पूरब के जिलों से भी पिछड़ा हुआ जिला मैनपुरी है।

यही हालत इटावा की भी है। डकैत की समस्या इटावा की 120 साल की है जो चम्बल, यमुना का बीहड़ है, उस इलाके में, यमुना का पुल, सहसों का पुल आदि बनाकर और अन्य तरीके से विकास करने की कोशिश की गयी है। एक तरफ पुलिस लड़े और दूसरी तरफ ऐसे विकास के काम हों जिससे वहां की जनता बदमाशों का साथ न दे। अगर केवल थानों के ऊपर ध्यान देंगे तो कानून-व्यवस्था बिगड़ ही रही है, विकास में भी बाधा आ रही है। कुछ विशेष सुविधा भी इस इलाके को दे रहे हैं। लेकिन साढ़े आठ साल में कोई काम नहीं हुआ। अब मैनपुरी, सैफई से 20-25 मिनट में पहुंच जाते हैं, पहले ढाई घण्टा लगता था। पहले कोई जाता था तो मैं गांव के कार्यकर्ताओं को कहता था कि बता देना मैनपुरी से होकर न जायें, मैनपुरी हो करके जायेंगे तो फंस जायेंगे। दो-तीन फुट के गड्ढे जिले को मुख्य रोड पर थे। वहां पर अब हमने सुधार करने की कोशिश की है और कुछ सुधार हुआ है। सभी क्षेत्रों का हो, कोई जिला वंचित न रहने पाये इसीलिए नये कामों के लिए ज्यादा रुपया मांगना पड़ा है। यह बात आयी कि सभी माननीय सदस्यों को 5-5 किलोमीटर सड़क देने की घोषणा इसी सदन में की गयी थी तो 5-5 किलोमीटर सड़क के लिए कितनी धनराशि की जरूरत होगी, उसका प्राविधान अनुपूरक अनुदान में हमने किया है। कहां ज्यादा पैसा खर्च हुआ, कहां कम हुआ इतना हिसाब-किताब रखना भी मुश्किल है। हम एक समान विकास करना चाहते हैं। पावर कारपोरेशन में मैं जिस लड़ाई को लड़ रहा हूं उसमें आपने समर्थन और सहयोग किया है। न्यायालय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया है जिससे हम लोगों के हाथ बंध गये हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है, वह कमेटी अब ट्रांसफर करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रुपया देने का कहीं से प्राविधान तो नहीं किया। रुपया नहीं देंगे तो बिजली संकट बढ़ेगा और बिजली संकट होगा तो भोगेगी जनता और सरकार चलाने

वालों का घेराव होगा और आप सब मिलकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। यह सही है कि हम लोगों के हाथ बंधे हैं लेकिन हमने अच्छे वकीलों को किया है। हिन्दुस्तान के जितने अच्छे वकील हो सकते हैं, उनसे राय-मशविरा ले करके इस मामले में न्याय मांग रहे हैं।

मान्यवर, जहां तक निगमों की बात कही गयी है। मान्यवर, डेढ़ साल से दो साल से हम पैसा नहीं दे पाये हैं लेकिन हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे। उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, गरीब लोग हैं, हम संसाधन जुटायेंगे, हम संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सभी लोग सहमत होंगे कि यह रुपया नये कामों के लिए ले रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास हो। जहां तक पंचम वेतन आयोग की बात है, जब मैं रक्षा मंत्री था उस वक्त मैं समझ रहा था, इस पंचम वेतन आयोग ने राज्य को पूरा का पूरा खोखला कर दिया है। हम साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो आन्दोलन होगा और आप उनका समर्थन करेंगे। इसलिये हम आपको समर्थन नहीं करने देंगे, हम उनकी समस्या हल करेंगे। इसलिए यह जो सप्लीमेंटरी बजट लिया गया है इस पर बहुत चर्चा की कोई बात नहीं है। यह प्रदेश के विकास के लिए लिया जा रहा है। फरवरी में और ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि प्रदेश का तेजी से विकास करेंगे। हम माननीय नेता कांग्रेस पार्टी और माननीय टण्डन जी से बातचीत करेंगे कि कहां टैक्स लगायें, कैसे संसाधन जुटाये जायें ताकि उत्तर प्रदेश का विकास हो। मैं कह चुका हूं कि हम कोई श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, हमारी नीतियां हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। इसमें आप सहयोग कर रहे हैं, समय पर बजट पास करते हैं, सुझाव दे रहे हैं। एक दिन हम बैठक बुलाकर आपसे बातचीत करेंगे कि संसाधन कैसे जुटायें जिससे उत्तर प्रदेश और आपके क्षेत्र का विकास हो सके।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय मुख्य मंत्री जी आपने 5 किलोमीटर सड़कों की घोषणा की है जिसको आप कार्यरूप देने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि जो नगरीय विधायक हैं, उनके क्षेत्र में जो नगर में पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कें हैं उनको चौड़ी करने तथा डिवाइडर लगाने पर विचार करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी और अन्य माननीय सदस्य सहमत होंगे कि यह जो वर्तमान सरकार है यह तेजी से काम कर रही है। अब तक 207 पुलों का निर्माण हो चुका है और इस समय 208 पुल निर्माणाधीन हैं। इन पर 80-90 प्रतिशत तक काम हो चुका है। यह छोटे पुल नहीं हैं। इसमें यमुना का पुल है, बेतवा का पुल है, गंगा नदी का पुल है और कन्नौज का पुल है। माननीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया कन्नौज के पास बैलगाड़ी से चलते थे, वह हमें याद है। मान्यवर, पिछले 5-6 सालों में केवल 101 पुल बने थे लेकिन हमारी सरकार के इन दो सालों में 207 पुल बन चुके हैं और 208 निर्माणाधीन हैं जिन पर तेजी से काम चल रहा है। मान्यवर, हम उस समय तक शिलान्यास करने नहीं जाते। जब तक पिलर नहीं बन जाता है। तब तक हम शिलान्यास करने नहीं जाते हैं और पूरा पत्थर नहीं लगाते हैं। जब शिलान्यास करने जाते हैं उसी समय इंजीनियर को बुलाकर कह देते हैं कि इसका इतने दिनों बाद उद्घाटन होगा। एक जगह मैंने पूछा कि कितने समय में पुल बनकर तैयार हो जायेगा ? तो मुझे बताया गया कि दो साल लगेंगे। मैंने कहा कि 10 माह के अन्दर इस पुल को बनाकर खड़ा कर दो और ऐसा हुआ 10 माह में वह

पुल बनकर खड़ा हो गया। आप देखें यमुना के पुल निर्माण में और गंगा के पुल निर्माण में केन्द्र की आधी सहायता होनी चाहिए थी लेकिन एक रुपये की मदद नहीं मिली। उसके बाद भी इस पुल के उद्घाटन में हम सभी नेताओं को बुलायेंगे। यमुना का पुल, गंगा का पुल और बेतवा के पुल राज्य सरकार अपने संसाधन जुटाकर बना रही है और तेजी से काम हुआ है। इन कार्यों के लिए वर्ष 2005-2006 में 630 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जिसकी अगर पिछले वर्षों से तुलना की जाय तो यह काफी अधिक है। काफी तेजी से काम हो रहा है। आपका भी इसमें सहयोग है। इसीलिए यह सप्लीमेंट्री लाये हैं। जहां से मांग आती है। इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है वहां पर पुल बना रहे हैं। पांच कि0 मी0 सड़क की जो बात है वह भी बन जायेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं। एक नीति पहले से है जहां पर नया पुल बने वहां पर टोल टैक्स लगना चाहिए लेकिन जो पुराना पुल होता है किसी कारण वह टूट गया तो उसकी जगह दूसरा पुल जो बनता है वहां पर टोल टैक्स नहीं लगाते हैं यह नीति रही है।

बाल-विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

टैक्स नहीं लगाया जायेगा तो खर्चा कैसे चलेगा।

श्री हुकुम सिंह--

आप को मालूम नहीं है आप चुप रहिये। हमारे यहां पर हिंडन नदी पर पुल बनाया गया है वहां के प्रतिनिधि पीछे बैठे हैं पत्थर वहां इनका लगा है बनवाया हमने है। वह नहीं बोलेंगे। वहां पर आपने चार आदमी बिठा दिये हैं और रात में अगर कोई अपनी बहन या मां या पत्नी को लेकर निकलता है तो उसको डंडे पड़ जायेंगे और 50 रुपये से कम नहीं लिए जायेंगे। यह तरीका इन्होंने अपना रखा है। कई बार प्रशासन से इस बात को मैं कह चुका हूं। मेरा कहना यह है कि कम से कम जो एडजस्टिंग पुल बने जो पुराने पुल की जगह पुल बने उन पुलों पर टोल टैक्स न लगाया जाय। हमारे समय में हिंडन नदी पर सहारनपुर में पुल बना था उस पर टोल टैक्स नहीं लगाया था। मुजफ्फरनगर में लेकिन लगा हुआ है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, जहां पर पुल बनाया गया वहां पर जितने विशेषज्ञ थे उनसे पूंछकर ही दूसरे पुल का प्राविधान इसलिए करना पड़ा क्योंकि पुराने पुल को हल्की सी मरम्मत कराकर ठीक कर देने से उस पर से हल्के वाहन, पैदल, बैलगाड़ी वाले गुजर जायेंगे, और नये पुल से भारी वाहन निकलेंगे। क्योंकि ट्राफिक तेजी से बढ़ रहा है उसको देखते हुए ही यह सोचा गया जहां तक दूसरी बार पुल बनाने पर टोल टैक्स न लेने की बात आपने कही कि दूसरे पुल पर फिर नहीं लगना चाहिए। एक पुल पहले था, दूसरा बनाया गया है तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि पहले पर टैक्स लिया जा चुका है लेकिन कई ऐसे पुल बने हैं जहां पहले से टैक्स नहीं लिया गया है। आज जो पुल बन रहे हैं उन पर टैक्स लेने का प्राविधान किया गया है। जहां पर आवश्यक समझते हैं वहां टैक्स लगाते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो जबरदस्ती, अनावाश्यक लिया जा रहा है हम उसको देखेंगे। हमारे अधिकारी यहां पर बैठे हैं हम उसको दिखवायेंगे। माननीय हुकुम सिंह जी ने जो हिन्डन नदी वाले पुल के बारे में बताया है, हमारी पार्टी के लोग या हमारी सरकार का समर्थन करने वाले लोग अगर इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, तो इस तरह का अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। (मेजें थपथपाई गई)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। कल औचित्य के माध्यम से मैंने 300 में भी दिया था कि इलाहाबाद में शास्त्री पुल और फाफामऊ पुल पर टोल टैक्स दुगुना वसूला जा चुका है। मैं चाहूंगा कि इसका टैक्स समाप्त कर दिया जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं इसको दिखवा लूंगा। अगर आपकी बात सच है तो इसको खत्म करेंगे।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

गौर साहब ने अपनी समस्या रखी जो पीड़ा इनकी थी मान्यवर, दो तीन बार पुल से पैसा वसूला जा चुका है। देखिये कितना सितम हुआ है इनके ऊपर इनकी सरकार के रहते। हमें वाकई तरस आता है, कितना अन्याय हुआ है। इतने वरिष्ठ और विद्वान मंत्री हैं, इनके साथ यह दुर्दशा हुई।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

दोगुना वसूल इधर आपके समय में हुआ है। हमारे समय में नहीं।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी नजर दायें बायें जाती है लेकिन सामने नहीं पड़ती है। मान्यवर, कल यह तय हुआ था, हम सभी ने बैठकर तय किया था। आप भी थे, आप भी थे कि बगैर चर्चा के सप्लीमेन्ट्री बजट पारित होगा लेकिन मैं देख रहा हूं कि चर्चा हो रही है। मैं समझ सकता हूं कि क्यों यह प्रश्न उठाया गया है। आपने तीन जिलों का नाम ले लिया मैनपुरी, इटावा और रामपुर और चौथे जिले की ओर आपने इशारा जरूर किया कि लखनऊ में भी काफी पैसा दिया गया है। मैं समझ सकता हूं कि यह नहीं चाहते हैं कि यहां के जो विधायक हैं, उनके यहां विकास हो और यहां के सांसद कौन हैं मुझे नहीं मालूम। (किसी माननीय सदस्य के अटल जी का नाम लेने पर) हां वाजपेयी जी। अगर बाजपेयी जी और टण्डन जी का विरोध करना है तो हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अपनी पार्टी में तय करिये। मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 23 मार्च को जब सदन उठ रहा था और बजट पारित हो चुका था तब सब माननीय सदस्यों ने 5 किमी0 सड़क की मांग की थी और वह दी गयी थी। मान्यवर, बजट पारित होने के बाद हम मांग करें और आप मांग करें तो उसके लिये वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये अनुपूरक बजट नहीं लाना पड़ेगा ?

श्री हुकुम सिंह--

जो प्राविधान किया है, उसके लिये तो मैंने खुद धन्यवाद दिया है। आपका कोई विषय है नहीं। कभी अटल जी के ऊपर आ जायेंगे कभी टण्डन जी के ऊपर।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

कारण यह है कि यह बीच वाले हैं। कभी इधर तो कभी उधर हो जाते हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। मान्यवर, एक बीमारी होती है, अक्सर मुंह में हो जाती है, ज्यादा बोलने की। अगर इनको किसी तरह की शंका और चिंता हो तो मेरे पास आयें मैं स्पष्ट कर दूंगा कि मैं क्या हूं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी--

आप तो बीच में दिख रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

अध्यक्ष जी, आप तो अपनी रक्षा करें ऐसे लोगों को न बोलने दीजिए।

(हंसी)

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी धन्यवाद देंगे। मैं कहना चाहता हूं आपने यह नहीं बताया कि हेण्ड पम्प के लिए जो कहा गया था, ज्यादातर जगह पर शासनादेश चले गये हैं इसमें धन की व्यवस्था नहीं है। हमने प्रयास किया तो पता लगा कि धन की व्यवस्था की जा रही है। तो धन की व्यवस्था अगर कर ली हो तो बता दें। अगर न की हो तो सप्लीमेन्टरी ले जायें। 23 मार्च को जो घोषणा की गयी उसके लिये अब तक वित्त नहीं दिया गया तो घोषणा का मतलब क्या है ? दूसरी बात मैं हैण्डपम्प के बारे में कहना चाहूंगा ढाई सौ करोड़ जो दिये हैं यह उसमें है या नहीं ? अगर इसको नहीं लिया है तो 4-5 तारीख को बैठ जाते हैं उसमें प्राविधान ले आये। वरना आप फरवरी में पारित करायेंगे। हैण्डपम्प, बिजली के बारे में घोषणा हुयी तो मेरे स्पष्टीकरण का जवाब नहीं आया बजट में प्राविधान है क्या इसमें सुविधा उपलब्ध करा देंगे ? अगर नहीं कराते हैं तो 3-4 दिन में सप्लीमेन्ट्री आ जाये यह कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों चीजों के लिए प्राविधान किया जाये। अगर प्राविधान है तो हां कह दीजिये। वरना इसके बारे में बता दीजिये। उधर वाले तो जो आरोप लगाते हैं उसको भी आप सुझाव मान लेते हैं और हम जो सुझाव देते हैं उसको भी आप आरोप मान लेते हैं। इटावा, मैनपुरी का नाम लिया गया...

श्री हुकुम सिंह--

हमने नाम नहीं लिया।

श्री प्रमोद कुमार--

जहां तक मुजफ्फरनगर की बात है सम्पन्न जिला है पहले पी0डब्ल्यू0डी0 के मिनिस्टर वहीं के थे, वीरेन्द्र सिंह जी आप भी शायद उसी दल के हैं, मुजफ्फरनगर की सड़कें बन गयी, पुरानी मित्रता रही है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं यह कहा गया कुछ जिलों में विकास हो रहा है कुछ जिलों में विकास नहीं हो रहा है। इसका एक समाधान है आप चाहते हैं सब विधायकों के क्षेत्र का समुचित विकास हो तो आप दिल्ली, बिहार की तरह एक करोड़ की राशि को बढ़ाकर दो करोड़ कर दें तो बराबर विकास होगा। मैं वायदा करता हूं कि जिस दिन सप्लीमेंटरी में यह लाया जायेगा उस दिन कोई सुझाव नहीं देगा सब आपको बधाई देंगे। क्योंकि कोई फार्मूला किसी के पास ऐसा नहीं है कि बराबर बंट सके। बराबर तभी मिलेगा जब बराबर का जाये। यह कोई हमारे बैंक एकाउन्ट में नहीं जायेगा, इससे विकास होगा, तो आप एक करोड़ को बढ़ाकर दो करोड़ कर दें। सब समस्याओं का समाधान हो जायेगा। हुकुम सिंह जी की समस्या का भी समाधान हो जायेगा। वाजपेयी जी का जो कांवरिया वाली सड़क की बात है उसका समाधान हो जायेगा। मेरा सुझाव है कि समुचित विकास तभी होगा जब 403 क्षेत्र में विधायक निधि वाली जो धनराशि एक करोड़ है उसको बढ़ाकर दो करोड़ कर देंगे। हेण्डपम्प और बिजली के बारे में जरूर स्पष्टीकरण दे दें। सप्लीमेंटरी में व्यवस्था है या नहीं ? अगर नहीं है तो विश्वास मानकर चलें कि यह फिफ्टी-फिफ्टी मामला रहेगा। आप यह जरूर बतायें उसकी व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रमोद जी ने अपनी दो बातें रखी हैं। हैण्डपम्प के बारे में चिन्ता व्यक्त की है और बिजली के बारे में कहा है तो पांच गांव बिजली के और उससे भी ज्यादा अब लिये गये हैं जिसमें केन्द्र सरकार की मदद है। जो बात पांच गांवों में बिजली की है, बिजली पहुंच भी गयी है, कहीं-कहीं शिकायतें हैं, सीमित प्राविधान है। जब बैठेंगे तो कोशिश करेंगे कि जो घोषणा की है, वह पूरी हो जाये। दूसरी हैण्डपम्प की जो बात है, यह सही है कि हमने सदन की भावना का आदर किया और इसे पक्षपात नहीं माना जायेगा, सब के साथ एक सा काम हो। वह भी है, उनके भी संसाधन जुटेंगे, वह भी करायेंगे, हम बैठेंगे दोबारा, दोबारा जल्दी बैठेंगे। तीसरी बात 2 करोड़ करने की है, इसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारी राय है कि इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। यह 5-5 लाख, 2-2 लाख रुपये के काम बन्द कीजिए। अगर प्रदेश में विकास चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपये दो या तीन जगह लगाओ जिससे हम लोगों पर उंगली कम उठे। हम कितनी ही ईमानदारी से काम करें, जो निधि जा रही है, उस निधि पर आम जनता में कई तरह के ठेकेदार हो गये हैं, कई आरोप लग रहे हैं। जो ईमानदार विधायक या एम0 पी0 हैं, उन पर भी आरोप लग रहे हैं। आप कोई ऐसा रास्ता निकालिये, कहीं एक लाख, कहीं 5 लाख दे दिया, कहीं नाली आदि का काम करा दिया लेकिन 1 करोड़ रुपये से कोई एक ऐसा कार्य आप करेंगे, सदुपयोग करेंगे तो किसी पर उंगली नहीं उठेगी। यह 10 लाख, 5 लाख का बन्द करें। हम कहीं-कहीं इलाज के लिए मदद कर देते हैं, आप दे नहीं सकते हैं। इसलिए एक करोड़ रुपये में यदि कोई पुल या सड़क बनवा दें तो जनता आपको कहेगी और आप एक काम से तो निवृत्त हो जायेंगे। एक करोड़ रुपये का भी उपयोग हो रहा है, चाहे ठेकेदारों के स्तर पर हो, चाहे सी0डी0ओ0 के स्तर पर हो। शिकायतें हैं, आप बुरा न मानें किन्तु उंगली उठ रही है, जनप्रतिनिधि और विधायकों पर। इसी तरह से कोई सी0डी0ओ0 भी वंचित नहीं हैं। विधायकों की विधायक निधि के नाम पर सी0डी0ओ0 से मिलकर ठेकेदारों द्वारा इस तरह का घालमेल हो रहा है, इस पर विचार कर लीजिए। जिस दिन सरकार को विश्वास हो जायेगा तब आपके सुझाव पर भी विचार कर लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, विधायक निधि से समुचित विकास करना है तो एक जगह नहीं हो सकता, तमाम विद्यालयों को भी दिया जाता है। अध्यक्ष जी, आप एक बैठक बुला लें और इस पर विचार कर लें। मैंने और माननीय पाल साहब ने 50 प्रतिशत डी0ए0 को मूल वेतन में जोड़ने का मामला उठाया था कि इसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाये, आपने प्राविधान किया है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 01--आबकारी विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 01--आबकारी विभाग के अन्तर्गत 2,81,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01--आबकारी विभाग के अन्तर्गत 2,81,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 02--आवास विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 02--आवास विभाग के अन्तर्गत 29,95,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 02--आवास विभाग के अन्तर्गत 29,95,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 03--उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 03--उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 4,41,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 03--उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 4,41,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 04--उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

लोक निर्माण एवं खनिकर्म मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 04--उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 68,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 04--उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 68,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 05--उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 05--उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 2,45,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 05--उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 2,45,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 06--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 06--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 17,54,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 06--उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 17,54,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 07--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 07--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 16,59,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 07--उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 16,59,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 08--उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन-सामग्री)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 08--उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन-सामग्री) के अन्तर्गत 3,46,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 08--उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन-सामग्री) के अन्तर्गत 3,46,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 09--ऊर्जा विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 09--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 6,25,32,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 09--ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 6,25,32,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 10--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 12,27,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 12,27,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि विदेश व्यापार, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 94,79,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह अनुदान संख्या 11--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 94,79,04,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 12--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 1,51,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह अनुदान संख्या 12--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 1,51,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 13--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 2,50,11,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 2,50,11,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज)

पंचायतीराज मंत्री (श्री बलराम यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज) के अन्तर्गत 6,22,42,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज) के अन्तर्गत 6,22,42,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 15--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 28,57,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 28,57,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 16--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,18,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,18,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 4,66,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 4,66,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 25,40,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18--कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 25,40,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 19--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 12,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19--कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय) के अन्तर्गत 12,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 74,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20--कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 74,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 21--खाद तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया')--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,51,17,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,51,17,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 22--खेल विभाग

खेल-कूद युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22--खेल विभाग के अन्तर्गत 2,69,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22--खेल विभाग के अन्तर्गत 2,69,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 23--गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23--गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 13,36,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 13,36,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 24--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,48,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24--गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 1,48,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 19,26,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 19,26,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 3,16,05,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 3,16,05,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 2,91,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 2,91,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 28--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,22,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,22,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 6,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30--गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 6,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 31--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 1,36,83,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 1,36,83,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,46,73,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32--चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,46,73,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 49,47,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 49,47,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 29,31,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34--चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 29,31,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 53,83,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35--चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 53,83,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 27,08,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36--चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 27,08,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 37--नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 3,15,30,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 3,15,30,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 21,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 21,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-39--भाषा विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां) --

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-39--भाषा विभाग के अन्तर्गत 1,17,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-39--भाषा विभाग के अन्तर्गत 1,17,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-40--नियोजन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल) --

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-40--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 20,97,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-40--नियोजन विभाग के अन्तर्गत 20,97,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-41--निर्वाचन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल) --

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-41--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 76,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-41--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 76,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-42--न्याय विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-42--न्याय विभाग के अन्तर्गत 42,59,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42--न्याय विभाग के अन्तर्गत 42,59,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-43--परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 3,60,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 3,60,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-44--पर्यटन विभाग

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 58,52,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 58,52,82,000 रुपये की अनुपूरक माग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-45--पर्यावरण विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-45--पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 52,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-45--पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 52,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-46--प्रशासनिक सुधार विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-46--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 12,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-46--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 12,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-47--प्राविधिक शिक्षा विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-47--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 25,33,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-47--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 25,33,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-48--मुस्लिम वक्फ विभाग

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48--मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 22,83,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48--मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 22,83,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 7,07,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 7,07,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-50--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-50-- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 21,79,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50--राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 21,79,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-51--राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-51--राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 1,18,13,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51--राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 1,18,13,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-52--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-52--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 59,62,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 59,62,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-54--लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-54--लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 40,39,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-54--लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 40,39,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-55--लोक निर्माण विभाग (भवन)

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-55--लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 9,67,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55--लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 9,67,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-57--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सेतु)

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-57--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सेतु) के अन्तर्गत 66,32,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-57--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सेतु) के अन्तर्गत 66,32,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-58--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सड़कें)

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-58--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सड़कें) के अन्तर्गत 7,23,53,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58--लोक निर्माण विभाग (संचार साधन, सड़कें) के अन्तर्गत 7,23,53,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-59--लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-59--लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 13,70,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59--लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 13,70,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-60--वन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60--वन विभाग के अन्तर्गत 68,94,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60--वन विभाग के अन्तर्गत 68,94,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-61--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-61--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 9,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-61--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 9,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-62--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-62--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 6,32,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-62--वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 6,32,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-63--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-63--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 5,04,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-63--वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 5,04,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-64--वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-64--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 5,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-64--वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 5,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-65--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-65--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 5,87,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-65--वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 5,87,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-66--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-66--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 7,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-66--वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 7,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-67--विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-67--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 50,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-67--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 50,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-68--विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-68--विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,04,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-68--विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,04,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-70--विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

लोक निर्माण, भूतत्व एवं खनिकर्म, कृषि, विदेश व्यापार मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-70--विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 2,02,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70--विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 2,02,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-71--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 4,35,67,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71--शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 4,35,67,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-72--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,85,99,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72--शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,85,99,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-73--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-73--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 45,51,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73--शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 45,51,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-75--शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-75--शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के अन्तर्गत 3,42,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75--शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) के अन्तर्गत 3,42,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-76--श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-76--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 6,96,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 6,96,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-77--श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-77--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 9,28,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-77--श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 9,28,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-78--सचिवालय प्रशासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-78--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 11,07,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-78--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 11,07,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-79--समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री महबूब अली)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-79--समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 5,81,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79--समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 5,81,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-80--समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-80--समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 18,84,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80--समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 18,84,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-81--समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-81--समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 1,73,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81--समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 1,73,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-82--सतर्कता विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-82--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 99,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-82--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 99,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-83--समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-83--समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 38,11,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-83--समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 38,11,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-84--सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-84--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 5,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-84--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 5,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-85--सार्वजनिक उद्यम विभाग

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेई)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-85--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 14,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-85--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 14,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-86--सूचना विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-86--सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,57,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-86--सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,57,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-87--सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-87--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 94,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-87--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 94,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 19,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 19,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 18,65,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 18,65,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-90--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-90--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 73,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-90--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 73,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-91--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक शुल्क मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-91--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,86,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-91--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,86,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-92--संस्कृति विभाग

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-92--संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 5,52,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92--संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 5,52,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-95--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-95--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 81,40,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 81,40,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-96--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-96--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,17,82,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-96--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,17,82,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

विधेयक की प्रतियां बांटी जाएं।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गई)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005

31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) अधिनियम, 2005 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2005-2006 के लिए 6870,57,63,000 रुपये का दिया जाना

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2006 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 6870,57,63,000 रुपये (छ: हजार आठ सौ सत्तर करोड़ सत्तावन लाख तिरसठ हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	28180	...	28180
		पूंजी :	...	...	0
02	आवास विभाग	राजस्व :	294579	...	294579
		पूंजी :	5000	...	5000
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग	राजस्व :	34185	...	34185
	एवं निर्यात प्रोत्साहन)	पूंजी :	10000	...	10000
04	उद्योग विभाग (खानें और	राजस्व :	6869	...	6869
	खनिज)	पूंजी :	...	...	0
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	24512	...	24512
		पूंजी :	...	...	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	154836	...	154836
		पूंजी :	20565	...	20565
07	उद्योग विभाग (भारी एवं	राजस्व :	118850	...	118850
	मध्यम उद्योग)	पूंजी :	47090	...	47090
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा	राजस्व :	34667	...	34667
	लेखन-सामग्री)	पूंजी :	...	...	0
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	2505950	.229065	2735015
		पूंजी :	3747300	...	3747300
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	84589	...	84589
	(औद्यानिक एवं रेशम विकास)	पूंजी :	38192	...	38192
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	532426	...	532426
	(कृषि)	पूंजी :	.415478	...	415478
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	15199	...	15199
	(भूमि विकास एवं जल संसाधन)	पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	2401137	6945	2408082
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी :	100000	...	100000
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	6196643	...	6196643
	(पंचायती राज)	पूंजी :	27641	...	27641
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	261540	235	261775
	(पशुधन)	पूंजी :	24191	.250	24441
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	11857	...	11857
	(दुग्ध शाला विकास)	पूंजी :	...	...	0

1	2		3		
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	46613	...	46613
	(मत्स्य)	पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	27537	...	27537
	(सहकारिता)	पूंजी :	226534	...	226534
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण	राजस्व :	1220	...	1220
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	...	...	0
20	कार्मिक विभाग (लोक	राजस्व :	7467	493	7960
	सेवा आयोग)	पूंजी :	...	167	167
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	95804	650000	745804
		पूंजी :	2415940	5000000	7415940
22	खेल विभाग	राजस्व :	12307	...	12307
		पूंजी :	14600	...	14600
23	गन्ना विकास विभाग	राजस्व :	106572	...	106572
	(गन्ना)	पूंजी :	27087	...	27087
24	गन्ना विकास विभाग	राजस्व :	4851	...	4851
	(चीनी उद्योग)	पूंजी :	10000	...	10000
25	गृह विभाग	राजस्व :	192669	...	192669
	(कारागार)	पूंजी :	...	...	0
26	गृह विभाग	राजस्व :	2014111	...	2014111
	(पुलिस)	पूंजी :	1146395	...	1146395
27	गृह विभाग	राजस्व :	29185	...	29185
	(नागरिक सुरक्षा)	पूंजी :	...	...	0
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन	राजस्व :	22272	...	22272
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	...	...	0
29	गोपन विभाग (राज्यपाल	राजस्व :	...	2189	2189
	सचिवालय)	पूंजी :	...	...	0
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट	राजस्व :	655	...	655
	अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा	राजस्व :	1368382	...	1368382
	शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	पूंजी :	...	...	0
32	चिकित्सा विभाग	राजस्व :	2282564	...	2282564
	(एलोपैथी चिकित्सा)	पूंजी :	184823	...	184823
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक	राजस्व :	459064	...	459064
	एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजी :	35702	...	35702
34	चिकित्सा विभाग	राजस्व :	267161	...	267161
	(होम्योपैथी चिकित्सा)	पूंजी :	26010	...	26010
35	चिकित्सा विभाग (परिवार	राजस्व :	481542	...	481542
	कल्याण)	पूंजी :	56832	...	56832

1	2		3		
36	चिकित्सा विभाग	राजस्व :	270845	...	270845
	(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	पूंजी :	...	...	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	2383095	...	2383095
		पूंजी :	770000	...	770000
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	2145	...	2145
		पूंजी :	...	...	0
39	भाषा विभाग	राजस्व :	11749	...	11749
		पूंजी :	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	48344	...	48344
		पूंजी :	161400	...	161400
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	7661	...	7661
		पूंजी :	...	...	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	425945	43200	469145
		पूंजी :	...	...	0
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	36008	...	36008
		पूंजी :	...	...	0
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	40786	...	40786
		पूंजी :	544496	...	544496
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	5285	...	5285
		पूंजी :	...	...	0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	1229	...	1229
		पूंजी :	...	...	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	60120	...	60120
		पूंजी :	193257	...	193257
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	186402	...	186402
		पूंजी :	41931	...	41931
49	महिला एवं बाल	राजस्व :	70741	...	70741
	कल्याण विभाग	पूंजी :	...	...	0
50	राजस्व विभाग	राजस्व :	155000	...	155000
	(जिला प्रशासन)	पूंजी :	62940	...	62940
51	राजस्व विभाग (दैवी	राजस्व :	1181329	1181300	2362629
	विपत्तियों के संबंध में राहत)	पूंजी :	...	...	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व	राजस्व :	596278	5442	601720
	परिषद् तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	...	...	0
54	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	403980	...	403980
	(अधिष्ठान)	पूंजी :	...	...	0
55	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	...	...	0
	(भवन)	पूंजी :	96787	581	97368

1	2		3		
57	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	...	...	0
	(संचार साधन-सेतु)	पूंजी :	663278	...	663278
58	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	2882442	...	2882442
	(संचार साधन-सड़कें)	पूंजी :	4352918	...	4352918
59	लोक निर्माण विभाग	राजस्व :	59814	...	59814
	(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी :	77197	...	77197
60	वन विभाग	राजस्व :	119080	...	119080
		पूंजी :	570371	...	570371
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा	राजस्व :	905	...	905
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	...	...	0
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष	राजस्व :	6325000	50	6325050
	भत्ते तथा पेंशनें)	पूंजी :	...	...	0
63	वित्त विभाग (कोषागार	राजस्व :	50471	...	50471
	तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी :	...	...	0
64	वित्त विभाग	राजस्व :	558	...	558
	(राज्य लाटरी)	पूंजी :	...	...	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा,	राजस्व :	58708	...	58708
	अल्प बचत आदि)	पूंजी :	...	...	0
66	वित्त विभाग	राजस्व :	709	...	709
	(सामूहिक बीमा)	पूंजी :	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	5028	...	5028
		पूंजी :	...	...	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	8751	...	8751
		पूंजी :	1697	...	1697
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व :	20214	...	20214
	विभाग	पूंजी :	...	...	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक	राजस्व :	4356790	...	4356790
	शिक्षा)	पूंजी :	...	...	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक	राजस्व :	1859987	...	1859987
	शिक्षा)	पूंजी :	...	...	0
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	454167	...	454167
		पूंजी :	1000	...	1000
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनु-	राजस्व :	34266	...	34266
	संधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	पूंजी :	...	...	0
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	69657	...	69657
		पूंजी :	...	...	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	75989	...	75989
		पूंजी :	16858	...	16858
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	110729	...	110729
		पूंजी :	...	...	0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व :	58191	...	58191
	(विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	पूंजी :	...	...	0
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों	राजस्व :	188494	...	188494
	का कल्याण)	पूंजी :	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व :	17308	...	17308
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी :	...	...	0
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	9943	1752	11695
		पूंजी :	...	...	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित	राजस्व :	226048	...	226048
	जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	पूंजी :	155149	...	155149
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	595	...	595
		पूंजी :	...	...	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	1418	...	1418
		पूंजी :	...	...	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	15756	...	15756
		पूंजी :	...	...	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	9467	...	9467
		पूंजी :	...	...	0
88	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	1893	...	1893
	(निदेशालय)	पूंजी :	7	...	7
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	183581	...	183581
	(व्यापार कर)	पूंजी :	2989	...	2989
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन	राजस्व :	7366	...	7366
	तथा बाजीकर)	पूंजी :	...	...	0
91	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	18653	...	18653
	(स्टाम्प एवं पंजीकरण)	पूंजी :	...	...	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	28123	...	28123
		पूंजी :	27133	...	27133
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	814051	...	814051
		पूंजी :	...	...	0
96	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	77564	...	77564
		पूंजी :	1100653	...	1100653
	योग . .	राजस्व :	44164653	2120671	46285324
		पूंजी :	17419441	5000998	22420439
	महायोग . .		61584094	7121669	68705763

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे।)

मान्यवर, इस संबंध में मुझे दो बात कहनी है। मूल विधेयक में जो माननीय सदस्य के लिए कैटेगरी थी उसमें चतुर्थ नाम पर अधिवक्ता न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव, को बदलकर अब सरकार उसमें परिवर्तन लाई है। अधिवक्ता को जो 10 वर्ष का अनुभव है उसको यह हटाना चाहते हैं सरकार द्वारा जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें सदन को लगे यह महिलाओं की दशा सुधारने के लिए किया गया है। आयोग के क्या कृत्य होंगे मैं बताना चाहूंगा इसमें है संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना।

राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्ट में राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबन्धों को समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके और (ङ) महिलाओं से संबंधित संविधान और अन्य विधियों के उपबन्धों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

मान्यवर, यह विधिक मामला है और सरकार की जब यह भावना थी और जब यह विधेयक लायी थी कि 10 वर्ष के अनुभव वाला एडवोकेट उसका सदस्य होगा, लेकिन आज उसको हटाया जा रहा है। आयोग के जो कर्तव्य हैं, जिनको मैंने पढ़ा, लेकिन इसमें जो बदलाव कर दिया गया है, वह मैं समझ नहीं पाया। जो संशोधन लाये हैं उसमें सदस्य की श्रेणी में केवल अधिवक्ता को हटाकर और किसी को भी नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन जब सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था, तब किसी माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इसके हटाने के पीछे उद्देश्य क्या है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे कोई राजनीति कारण होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब सरकार इसे लायी थी, तब यह बताना आवश्यक था कि इसे क्यों हटाना चाहते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको आप प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें, इस पर विचार हो जाएगा और उसके बाद सदन इसे पारित कर देगा।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय बाजपेयी जी को, अधिवक्ता को 10 साल का अनुभव हो, इस कारण आपत्ति है और यह कहा कि सरकार किसी राजनीतिक कारण या दुर्भावना से ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं है। इसमें 10 साल के अधिवक्ता के अनुभव की न आवश्यकता है और न जरूरी है। कितने सरकारी वकील नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें कितनी सुविधाएं देते हैं, इस तरह की पत्रावलियां आती हैं। जब किसी आयोग और किसी भी पत्रावली पर चर्चा आती है, हमारे तमाम वकील और एडवोकेट जनरल बैठे हैं, उनसे ज्यादा अनुभव नहीं होता। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें राजनीतिक लाभ उठाने की सरकार की कोई नीति नहीं है। अनावश्यक एक हस्तक्षेप है, इसमें कोई सरकार की नीति खराब नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत कर ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह 4 मई, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2004 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2004 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के परन्तुक का मद (चार) निकाल दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2005

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005

खेल कूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2005 की धारा 1 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 1 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

संक्षिप्त नाम

"1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री आर0 के0 चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाये।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो विधेयक लाया गया है जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 है जिसके माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्री चन्द्रभानु गुप्त विश्वविद्यालय के नाम से परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान बहुत अधिक रहा है·वह चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या विकास के क्षेत्र में रहा हो और इसीलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार उनके नाम का कोई दूसरा विश्वविद्यालय बनाती तो मैं उसका विरोध नहीं करता लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं जो कि 100 साल से भी पुराने हैं उनमें से एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है। उसके बाद अगर कोई बहुत साल पुराना विश्वविद्यालय है तो वह लखनऊ विश्वबिद्यालय है। इसका 80-90 वर्ष का इतिहास रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय से लाखों छात्र पढ़ चुके हैं। बड़े-बड़े पदों पर चाहे वह आई0ए0एस0 हों, आई0पी0एस0 हों, आई0एफ0एस0 हों, वैज्ञानिक हों, डाक्टर हों सभी पदों पर यहां के पढ़े छात्र पहुंचे हैं और देश-विदेश में विभिन्न पदों पर इस विश्वविद्यालय के पढ़े छात्र विराजमान हैं। चाहे कोई संस्था या विश्वविद्यालय हो अगर उसका नाम बदला जाये तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी की पहचान उसके नाम से होती है। उस दिन भी हमने बात कही थी कि हमारे भी अपने-अपने नाम है चाहे हम किसी भी दल से आते हैं, चाहे राष्ट्रीय लोकदल से आते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी से आते हैं, चाहे कांग्रेस से आते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। अगर कोई कहे कि आप अपने राजनीतिक दल का नाम बदल दीजिये या फिर चुनाव आयोग किसी तरह से कह दे कि आपके दल का नाम परिवर्तित किया जा रहा है, तो आपको भी आपत्ति होगी।

(व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने सीटों पर बैठ जायें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, सभी के नामों की पहचान अपने राजनीतिक दलों से होती है। हम किस राजनीतिक दल के सदस्य हैं यह तभी जाने जाते हैं। तो जिस तरह से राजनीतिक दल को अपने नाम परिवर्तन में आपत्ति होगी उसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय को भी अपने नाम परिवर्तन में आपत्ति हो सकती है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी घोषणा सदन के बाहर की थी जबकि सदन आहूत हो गया था। इसलिए मैंने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह मामला उठाया था कि जब सदन चल रहा हो तो किसी भी मंत्री को घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है ? यह सदन की अवमानना है। उस दिन बात कही थी कि आप इसे विधेयक के रूप में ला रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस सदन का मान सम्मान बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और इसमें मैं आपके साथ हूं। उस समय पीठ पर माननीय अध्यक्ष जी विराजमान थे। इधर से बातें हुई थी और ऊधर से संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात रखी थी और माननीय अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। मैं यह चाहता था कि आज जो यह विधेयक आया है, उससे पहले माननीय अध्यक्ष जी अपना निर्णय सदन में सुना देते। उस निर्णय की जानकारी सदन में मिलनी चाहिए थी। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है विश्वविद्यालय के नाम को बदलने का।

विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसकी जो एक्जीक्यूटिव काउन्सिल है उसने विरोध किया था नाम बदलने पर। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय की कमेटी इसके नाम बदलने को स्वीकार कर ले तो मैं इस विधेयक को वापस ले लूंगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को इस बात पर आपत्ति है। इतना गौरवशाली इसका इतिहास रहा है। शिक्षक संघ भी इसके नाम परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। एक दिन विश्वविद्यालय का काम भी रोका गया इसके समर्थन में। शिक्षकों ने विरोध मार्च भी किया। 26 जुलाई को शिक्षक संघ ने आम सभा की थी। उन्होंने निर्णय किया है कि अगर नाम परिवर्तन किया गया तो अपना विरोध जारी रखेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री एम0 एस0 सोढा, सुश्री रूप रेखा वर्मा और अन्य शिक्षाविदों ने राज्यपाल से मिलकर इसके नाम परिवर्तन पर आपत्ति की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने यह भी निर्णय लिया है कि पूरे लखनऊ के अंदर वह हस्ताक्षर अभियान चलायेंगे। तो मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस संशोधन को न लायें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंदर नाम परिवर्तन की राजनीति की शुरुआत किसने की ? वह थी बी0एस0पी0 की मुख्य मंत्री। इस समय उनके दल के लोग यहां पर नहीं हैं।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा--

उस समय आप भी तो उच्च शिक्षा मंत्री थे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मुझे पहले कह लेने दें। 24 सितम्बर, 1995 में मैं सरकार में नहीं था। आगरा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय रखा गया था। कानपुर विश्वविद्यालय का नाम श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय रखा गया। यह 24 सितम्बर, 1995 में किया गया था उस समय मैं उच्च शिक्षा मंत्री नहीं था। बाद में इसको क्षत्रपति शाहू जी महाराज कर दिया गया, इसी तरह से रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, मान्यवर उस समय यहां पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली जुली सरकार थी, लेकिन किसी भी सरकार में जिस पार्टी का मुख्य मंत्री होता है उसी पार्टी की सरकार मानी जाती है, जैसे यहां राष्ट्रीय लोक दल और अन्य दल भी हैं, लेकिन सरकार समाजवादी पार्टी की मानी जाती है, इसी तरह से केन्द्र में कई दलों की मिलीजुली सरकार है, लेकिन सरकार कांग्रेस की मानी जाती है, मान्यवर, 1997 में रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली का नाम बदल कर महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली किया गया, तब मैं इस सदन में उच्च शिक्षा मंत्री भी था और मैंने उस समय उसका विरोध भी किया था, लेकिन जब कैबिनेट कोई निर्णय ले लेती है तो उस निर्णय को हम सबको मानना ही पड़ता है। मान्यवर, विश्वविद्यालय के नामों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में अभी यहां पर दो-तीन मंत्रियों ने जिक्र किया, तो मैं उन्हें बता दूं कि मैंने भी तीन नये विश्वविद्यालय खोले थे, उनमें प्रदेश के अन्दर सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में खोला, मैं चाहता तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के नाम पर रख सकता था, लेकिन चूंकि यह इलाहाबाद में खोला गया था और राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन वहीं के थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हिन्दी के विकास के लिए जाने जाते हैं और इस सदन के अध्यक्ष भी रह चुके थे, इसलिए मैंने उन्हीं के नाम मुक्त विश्वविद्यालय का नाम रख दिया। दूसरा विश्वविद्यालय लखनऊ में टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोली गयी, उसका भी नाम हमने प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश रखा, तीसरा विश्वविद्यालय मेरठ में खोला गया, जिसका नाम सरदार पटेल कृषि

विश्वविद्यालय रखा। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब है आप नये विश्वविद्यालय खोल लें और उनका जो चाहें वह नाम रख लें, लेकिन जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उनके नाम को परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मान्यवर, मेरी मांग है कि लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित न करें उसका नाम वही रहने दें। मान्यवर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले इसके लिए मैंने काफी प्रयास किया और आज उसको यह दर्जा मिल गया है। मान्यवर, इसमें 15 कार्यकारिणी की समिति नामित की गई , केन्द्र सरकार द्वारा उसमें 7-8 शिक्षकों को छोड़ कर 6-7 जो उस समिति के सदस्य नामित किये गये हैं, वह सब कांग्रेस के लोग हैं, तो मेरी यह मांग है कि प्रथम कार्यकारिणी समिति में ऐसे लोगों को सदस्य बनाया जाना चाहिए जो उच्च कोटि के शिक्षाविद् हों।

मान्यवर, मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव से तीन सुझाव इस सरकार को देना चाहता हूं। पहला सुझाव यह कि आप अगर कोई नया विश्वविद्यालय खोलें या कोई संस्थान खोलें तो उसका नाम परम श्रद्धेय चन्द्रभानु गुप्त के नाम पर रखें, तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा यह कि श्री गुप्त महान राजनेता थे, उनके नाम पर लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में एक चेयर या पीठ सृजित की जाय, जो उनके कृतित्व, व्यक्तित्व और योगदान पर शोध करे, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। तीसरा सुझाव मेरा यह है, मान्यवर अंग्रेज चल गये, लखनऊ के अन्दर किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अगर सरकार की हिम्मत हो तो उसका नाम हटा कर चन्द्रभानु गुप्त मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दे, तो हम अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगें। मान्यवर, मैं पुन: अपने संशोधन पर बल देता हूं और पुन: सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सारे प्रकरण को एक प्रवर समिति को सौंप दें और उसकी संस्तुति एक महीने के अन्दर आ जाये, फिर आप इस प्रकरण को यहां पर रखें।

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक का में समर्थन करता हूं। मान्यवर, अभी संशोधन रखते हुए हमारे वरिष्ठ सदस्य ने जिन बातों का उल्लेख किया है मैं समझता हूं कि कदाचित उन बिन्दुओं का, उल्लेख किया है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है। मान्यवर, एक तरफ तो आप यह भी महसूस करते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है उसमें उसका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के संवर्द्धन में क्या योगदान रहा है। मान्यवर, जब आप लखनऊ चारबाग स्टेशन पर उतरते हैं तो बाहर आते ही रविन्द्रालय, बाल संग्रहालय, मोती लाल जी के नाम पर लाइब्रेरी यह सब चीजें उन्हीं की देन है। आपने अपनी सरकार के समय में गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम अपनी पार्टी के एक नेता के नाम पर रखा था जिनका गोरखपुर से कोई वास्ता नहीं था। मान्यवर, इस सरकार ने स्वनाम धन्य श्री चन्द्रभानु गुप्त के नाम के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम जोड़ा है जबकि वह उनकी पार्टी के नेता नहीं रहे हैं। उनका कांग्रेस दल से ताल्लुक था और लखनऊ विश्वविद्यालय में उनके योगदान को देखते हुए यह जो कार्य इस सरकार ने किया है उसके लिए निश्चित रूप से मैं उन्हें बधाई देता हूं। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ पूर्व कुलपतिगण ने इसका विरोध किया है वह लोग राजनीतिक आधार पर वहां कुलपति बने थे और संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और आज कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। मान्यवर, के0 जी0 एम0 सी0 के नाम का जिक्र आया उसमें यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात थी कि उसकी कार्यकारिणी समिति के निर्णय का ख्याल रख कर उसे पुन: के0जी0एम0सी0 किया गया था। क्योंकि पूरी दुनिया में लोग उसे के0जी0एम0सी0 के नाम से ही जानते हैं। आप चाहे लन्दन चले जाएं या यूरोप चले जाएं या अमेरिका चले जाएं सब जगह उसकी पहचान के0जी0एम0सी0 के रूप में है। तो वह नाम भी जुड़ा रहना चाहिए। आप उस सरकार में साझीदार थे जब दूसरे लोगों का नाम संस्थाओं से जोड़ा गया। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम उस समय परिवर्तित किया गया था और आप उस पार्टी की सरकार के साथ समान रूप से साझीदार थे। मान्यवर, माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी का नाम जो लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा गया है उसमें उनका बहुमूल्य योगदान रहा है, पूरे प्रदेश में उनका महान योगदान रहा है। चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो या आजादी की लड़ाई हो उनका महान योगदान रहा है और उत्तर प्रदेश के विकास के सवाल में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं निश्चित रूप से अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से यहां इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि यह महापुरुषों से जुड़ा हुआ सवाल है। एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हैं कि उनका आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है। एक आधुनिकतम प्रदेश के निर्माण में उनका योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में उनका योगदान रहा है तो ऐसे महान व्यक्ति के नाम के साथ ही तो लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम जोड़ा गया है। मान्यवर, वे वाकई में सच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और एक पुरोधा थे। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन को वापस लेने का कष्ट करें और उन्हें खुले मन से इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

डा0 अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक संशोधन उपस्थित किया मैं अभी सुन रहा था माननीय सदस्य को जब वे संशोधन के प्रस्ताव पर बोल रहे थे, मैं समझता हूं कि उनका इस विधेयक से कोई सीधा वास्ता नहीं है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि माननीय स्वर्गीय चन्द्रभानु गुप्त जी का उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जीवन में देश की आजादी की लड़ाई में और नए लखनऊ के निर्माण में कितना बड़ा योगदान रहा है। हमें मान्यवर, उसे देखना होगा। मान्यवर, वे इस सदन के कई बार सदस्य रहे हैं और चार बार यहां के मुख्य मंत्री रहे हैं और उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश और लखनऊ की सेवा की है वह आज किसी से छिपी नहीं है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहा है। उन्होंने इतने बड़े-बड़े संस्थान बनाये थे और इतने महान कार्य किये हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता है मान्यवर, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में उच्च पदों पर रहते हुए उसके एक पैसे का भी उपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं किया। उन्होंने सदैव राजनीतिक मर्यादाओं का पालन किया, उनकी लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। उन्होंने जो लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित किए उस पर देश को गर्व है। एक ऐसा महापुरुष जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपने प्रारम्भिक जीवन से ही बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया हो। काकोरी काण्ड की घटना देश की आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर है और उसके समय उन्होंने वकालत की हो। आजादी के बाद विभिन्न पदों पर रहकर देश को आगे बढ़ाने में जो उनकी भूमिका है वह किसी भी सामाजिक व्यक्ति से, किसी भी सामाजिक कार्यकता से छिपी नहीं है। माननीय सदस्य जब संशोधन पर बोल रहे थे तो यह स्पष्ट है कि शायद उनके दल का कोई व्यक्ति उनकी बात का समर्थन करने के लिए

उपस्थित नहीं था। इतने हल्के तरीके से इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया और आपत्ति की कि इस तरीके से महापुरुषों के नाम पर किसी संस्था का नाम परिवर्तित न किया जाय। मान्यवर, महापुरुष के नाम पर उत्तर प्रदेश में ऐसे भी दृष्टांत मौजूद हैं कि ऐसे-ऐसे नाम पर जिलों के नाम और मंडलों के नाम, विश्वविद्यालयों के नाम स्थापित कर दिये गये कि कोई उस नाम को जानता भी नहीं था और जिनका किसी सार्वजनिक जीवन से कभी कोई वास्ता नहीं रहा और अखबारों में नाम पढ़ने के बाद पहली बार सुना गया। आप ही की सरकार में यह सारे निर्णय लिये गये। जिलों के नाम, विश्वविद्यालयों के नाम, मंडलों के नाम, बड़ी-बड़ी संस्थाओं के नाम परिवर्तित किये गये। जहां तक राजनीतिकरण की बात है चन्द्रभानु गुप्त हमारे समाजवादी पार्टी की कोई राजनीतिक हस्ती नहीं थे लेकिन वह ऐसे महापुरुष थे जो इस प्रदेश के 4 बार मुख्य मंत्री रहे और इस देश की आजादी की लड़ाई के महान योद्धा थे। उन्होंने विभिन्न रूपों में इस प्रदेश की सेवा की है और उनके जैसा व्यक्ति, जिसने जीवन में अविवाहित रहकर अपनी एक-एक चीज ट्रस्ट के नाम देकर समाज के नाम समर्पित कर दिया हो, जिसका सारा चिन्तन, सारी सोच समाज के लिए था, सारे प्रदेश के लिए थी। उस व्यक्ति के जन्म-दिन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके, लखनऊ विश्वविद्यालय से चूंकि वह बहुत समय तक जुड़े हुए थे, उनका नाम जोड़ने की बात कही। आज लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए जो उन्होंने काम किया है, जो स्वरूप है उससे माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। वह लम्बे अन्तराल तक कोषाध्यक्ष रहे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय की महान सेवा की है और विश्वविद्यालय में अगर चन्द्रभानु गुप्त जी का नाम जोड़ा गया है तो मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य के आपत्ति का कारण क्या हो सकता है ? आपकी सरकार में आपने स्वयं माना कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया गया आपकी सरकार में आगरा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया गया, कानपुर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित किया गया, आपकी सरकार में यहां के0 जी0 मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम परिवर्तित किया गया और न जाने कितने नामों को परिवर्तित किया गया, न जाने कितने जिलों के नाम अजनबी लोगों के नामों से जोड़ दिया गया, जिनसे यहां की जनता परिचित नहीं थी और आप उस सरकार के एक बड़े पार्टनर के रूप में थे। आपने उस समय कभी कोई आपत्ति नहीं की, आप कभी भी संशोधन लेकर नहीं आये कभी बिल पर आपत्ति नहीं की लेकिन जब एक नेक काम इस सरकार ने किया है एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया है, और उसको नई पीढ़ी से जोड़ने का काम किया गया है, तो आपको आपत्ति है।

लखनऊ विश्वविद्यालय जो उनकी कार्यस्थली रही है उस महान व्यक्ति के नाम से विश्वविद्यालय का नाम चले यह आपको आपत्ति हो रही है। मान्यवर, आज भी लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं लखनऊ के तमाम संस्थान, लखनऊ चारबाग स्टेशन से जब चलते हैं तो रवीन्द्रालय, बाल संग्रहालय, बाल विद्या मंदिर, हरविलास अस्पताल, नवचेतना केन्द्र, नेशनल डिग्री कालेज, नेशनल इंटरमीडिएट कालेज, बख्शी का तालाब इंटर कालेज यह सब माननीय गुप्ता जी की ही देन है। जिस व्यक्ति ने सारा जीवन गरीबों की सेवा की है, न जाने कितने ऐसे लोग विश्वविद्यालय में हो गये जिनको दो जून की खाना मिलना मुश्किल था उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च

उठाया और इस तरह से न जाने कितने गरीबों को एक नया रूप देने का काम किया है। ऐसे महामानव के नाम से विश्वविद्यालय का नाम जोड़ा गया है। आप तो विद्वान है शिक्षा मंत्री रहे हैं लेकिन जो आपने संशोधन प्रस्तुत किया है, मान्यवर, इनके संशोधन का इससे कोई सरोकार नहीं है। आपको तो बधाई देनी चाहिये थी, सरकार के इस प्रगतिशील कदम के लिये कि हमारी सरकार ने इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिये इतना सम्मान प्रदर्शित किया है। हमने उनके नाम को नई पीढ़ी से जोड़ने का काम किया है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि श्री चन्द्र भानु गुप्त का जीवन, उनकी बुद्धिमत्ता नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करेगी। मुझे वह दिन स्मरण है, जब इसी सदन में बहस चल रही थी और कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने कहा कि हमारा इस सरकार में विश्वास नहीं है। इस पर पीठ का इंतजार किये बिना वह मुख्य मंत्री के आसन से उठ खड़े हुये और कहा कि मैं अभी अपना इस्तीफा देता हूं। यद्यपि वह चाहते तो उस दिन सदन स्थगित हो जाता और दूसरे दिन बहुमत सिद्ध हो जाता। लेकिन वह सीधे सदन से उठकर राज्यपाल के पास गये और मुख्य मंत्री पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो मान्यवर, लोकतंत्र में उन्होंने जो मूल्य कायम किये हैं, वह लोगों को सदैव प्रेरणा देने का काम करेंगें। ऐसे महान सपूत के नाम से लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम जोड़ा गया है। हम सबको उन पर गर्व है। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर माननीय सदस्य संशोधन लाने का काम किये हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का जर्रा-जर्रा, चप्पा-चप्पा, कण-कण उनकी सेवाओं की कहानी से जुड़ा है। उनका नाम उत्तर प्रदेश के जनजीवन से, सामाजिक जीवन से, लखनऊ के सामाजिक जीवन कहीं से अछूता नहीं है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिस क्षेत्र में श्री गुप्त की सेवायें न जुड़ी हों। इसमें कहीं ऐसा भी नहीं है कि हमने किसी राजनैतिक लाभ के लिये ऐसा किया हो। क्योंकि उनकी मृत्यु को 25 वर्ष हो गये हैं और उनकी मृत्यु के 25 वर्ष हम मना रहे हैं। ऐसे महामानव के नाम को लखनऊ विश्वविद्यालय से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके लिये आपको बधाई देनी चाहिये। लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ उनके नाम को जोड़कर हमने उनके सम्मान को और बढ़ाया है। इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन भी नहीं किया गया है, सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय जो नाम है, उसके आगे चन्द्र भानु गुप्त जोड़ा गया है। यह बहुत छोटा सा विधेयक है और यह प्रवर समिति को भेजने के प्रति कितना गंभीर है, इसे आप स्वयं देख लें। जो यह संशोधन लाये हैं, वह कितना गंभीर है, यह उधर की संख्या से पता चलता है। इस सरकार ने यह विधेयक लाकर एक अच्छा निर्णय किया है। मान्यवर, इसको आप पारित करायें। श्री चन्द्र भानु गुप्त का नाम लखनऊ विश्वविद्यालय से जोड़ना उसकी गरिमा बढ़ाने का ही काम करेगा। इससे शैक्षणिक जगत की गरिमा बढ़ेगी, मेरा अनुरोध है कि आप इस विधेयक को पारित कराने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात्, 1 बजकर 37 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 52 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है। 2 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई ।)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं।

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 28 जुलाई , 2005 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिश की है कि :--

1--उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण की मदें दिनांक 28 जुलाई, 2005 को ही ली जायं।

2--सदन का दिनांक 28 जुलाई , 2005 के बाद उपवेशन दिनांक 4 अगस्त, 2005 के स्थान पर 8 अगस्त, 2005 को हो।

3--दिनांक 29 जुलाई , 2005 से 8 अगस्त, 2005 तक का सदन का कार्यक्रम निम्न प्रकार रखा जाय :--

जुलाई, 2005

29 शुक्रवार।
30 शनिवार। } सदन की बैठक न हो।
31 रविवार।

अगस्त, 2005

1 सोमवार।
2 मंगलवार।
3 बुधवार।
4 गुरुवार। } सदन की बैठक न हो।
5 शुक्रवार।
6 शनिवार।
7 रविवार।
8 सोमवार।

1--निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

2--श्री श्यामलाल रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा--एक घण्टा।

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन के इतिहास में 'चौकीदार चपाती आन्दोलन' के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किया जाय।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3--डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा --एक घण्टा।

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाई जाय।"

4--श्री प्रमोद कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा--एक घण्टा।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी जाय।"

5--"प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में " श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, डा0 विनोद तिवारी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री मलिक मसूद, श्री अब्दुल मन्नान, श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास, श्री अनीस अहमद, श्रीमती माया प्रसाद, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सदल प्रसाद, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री शिव चरण प्रजापति, चौधरी घूराम लोधी, श्री इरशाद खां, श्री जयराम विमल, श्री धर्मराज निषाद, चौधरी महेन्द्र सिंह, श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री रमेश बिन्द, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्रीमती लुइस खुर्शीद,श्रीमती अमीता सिंह, श्री उदयभान करवरिया तथा श्री मुंशी लाल गौतम, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2005 को दी गयी सूचनाओं पर चर्चा--जारी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना, जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने किया है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

अनुपूरक कार्य सूची बंटवा दी जाय।

(अनुपूरक कार्य-सूची बांटी गयी।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमागत)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम बदलने के संबंध में अपनी बात कही थी उस पर कांग्रेस पार्टी के माननीय जगदम्बिका पाल जी ने तीन बातें रखी थीं। पहली बात उन्होंने कही कि श्री चन्द्र भानु गुप्त का लखनऊ के विकास में बहुत योगदान रहा है। मुझे इस बात

पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी मानता हूं कि चन्द्र भानु गुप्त जी का उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। माननीय पाल जी ने यह भी कहा, दो पूर्व कुलपति श्री महेन्द्र सिंह सोढ़ा और सुश्री रूप रेखा वर्मा का नाम लिया और कहा कि वह हमारी विचार-धारा से जुड़े हुये हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सुश्री रूप रेखा वर्मा वामपंथी हैं और श्री महेन्द्र सिंह सोढ़ा उच्चकोटि के शिक्षा विद रहे हैं। दूसरी बात मैंने कही थी कि लखनऊ के अन्दर किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। किंग जार्ज न तो भारतीय थे और न महापुरुष हैं। मैं स्वागत करूंगा कि किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर चन्द्रभान मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दें। माननीय पाल साहब ने यह भी कहा कि के0जी0एम0यू0 का नाम दुनिया भर में है। इसी तरह लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम दुनिया भर में लखनऊ के नाम से है। पाल साहब ने इनडायरेक्टली हमारी बात का समर्थन किया है। माननीय अशोक बाजपेयी जी ने चन्द्रभानु गुप्त जी के बारे में कहा कि वह महापुरुष रहे हैं उनका उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान रहा है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। मान्यवर, महापुरुष किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे हैं। दीन दयाल उपाध्याय जी के लोहिया जी से बहुत नजदीक के संबंध रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा को हटा दिया गया तो यह विभेद क्यों है। किसी राजनीतिक दल का कोई महापुरुष हो सकता है, किसी राजनीतिक दल से उसका ज्यादा लगाव हो सकता है। हमें उसके जो एचीवमेंट्स हैं उनको मान-सम्मान देना चाहिये। मैं अपने संशोधन पर बल देते हुये कहना चाहता हूँ कि आज एकेडेमिक कम्युनिटी आन्दोलित है। समाचार-पत्रों में आ रहा है, मेरी कई शिक्षकों से बात हुयी है, वह सहमत नहीं हैं। इसीलिये मैंने कहा है कि एक महीने के लिये इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें और लखनऊ विश्वविद्यालय के परिवार को मना लीजिये तब हम अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

*उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)--

मान्यवर, लगता है कि गौर साहब ने विधेयक को ठीक से पढ़ा नहीं है। आपने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम बदलने से लखनऊ विश्वविद्यालय की पहचान नहीं मिट जायगी। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम नहीं बदला है। लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम के आगे चन्द्रभानु गुप्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ रख दिया है। इससे लखनऊ विश्वविद्यालय की पहचान बनी हुयी है। जहां तक आन्दोलन की बात है सच्चाई यह है कि आन्दोलन तो कराया जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इसके पहले भी 12 विश्वविद्यालयों में से 10 विश्वविद्यालयों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे गये हैं और इनकी सरकार में नाम बदले गये हैं। आगरा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। वर्ष 1995 में आपके समर्थन से ब0स0पा0 सरकार बनी थी और आपके समर्थन से ही आगरा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय रखा गया। तब आपने विरोध क्यों नहीं किया ? वर्ष 1997 में आपकी सरकार के समय ही गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर रख दिया गया। इसी तरह से कानपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय, कानपुर रख दिया गया तब आप सरकार में थे और शिक्षा मंत्री थे और आपका समर्थन था। इसी तरह से रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय रख दिया गया। आपने यह भी कहा कि हम इससे सहमत थे। अगर आप सहमत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं थे तो आपको मंत्रिमंडल से अलग हो जाना चाहिए था। अगर मंत्रिमंडल से अलग नहीं हो सकते थे तो आप विभाग से तो अलग हो ही सकते थे। लेकिन आपने समर्थन ही नहीं किया बल्कि विधेयक पास कराने में मदद की। श्री चन्द्र भानु गुप्त इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे उनका प्रदेश की सामाजिक और शैक्षिक विकास में बड़ा योगदान था। उनका लखनऊ विश्वविद्यालय से 60 वर्षों तक संबंध रहा है। वह एक्जीक्यूटिव कांउसिल के सदस्य थे। सीनेट के सदस्य थे इतना ही नहीं वह लखनऊ विश्वविद्यालय के अवैतनिक कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से एल-एल0बी0 करने के बाद उन्होंने वकालत की और काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए वकीलों का जो पैनल बना था उसमें वे कनिष्ठ वकील थे और पैरवी करने की मुख्य जिम्मेदारी उन पर थी। आजादी की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान रहा। प्रदेश में इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय का नाम पूर्व मुख्य मंत्री के नाम पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय रखा गया और हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधान मंत्री भी बने थे उनके नाम पर मेरठ विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। आपको नाम बदलने पर क्यों आपत्ति है। मुझे इसका जो कारण दिखाई दे रहा है वह यह है क्योंकि श्री चन्द्र भानु गुप्त आपकी विचाराधारा के नहीं थे। वह सेक्यूलर थे, समाजवादी थे, आजादी की लड़ाई में उनका योगदान था और लखनऊ के विकास में उनका बड़ा योगदान था। विरोध का यह कारण है कि वह वैश्य समुदाय से थे। जब कहीं पर मुसलमान या माइनारिटी का नाम आता है तो आप तुरन्त विरोध करने लगते हैं। आपका यह दोहरा चरित्र है। आपका विरोध निरर्थक है। मा0 गौड़ साहब आप विद्वान हैं पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने का आपका प्रस्ताव है उसे आप वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसे पास कराने में हमारी मदद करें। क्योंकि आपके विरोध से वैश्य समुदाय में गलत मैसेज गया है सारे वैश्य लोग भाजपा से नाराज हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के बारे में इसका राजनीतिकरण किया जाय। विश्वविद्यालय को शिक्षा के रूप में देखना चाहिए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कितने उदाहरण दिये। एफिलियेटिंग यूनीवर्सिटी प्रदेश के अन्दर कई हैं। इन्डीपेन्डेन्ट यूनीवर्सिटी नहीं है। लखनऊ यूनीवर्सिटी ही एक अकेली बची है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की बात नहीं करती। जब हमारी सरकार थी तो हमने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के नाम पर बनाई थी। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे वे कांग्रेस पार्टी के थे और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हिन्दी के लिये उन्होंने बहुत सेवा की थी। अगर हम चाहते तो अपनी पार्टी के किसी महापुरुष के नाम से कर सकते थे क्योंकि हमारी सरकार थी लेकिन हमारी सरकार ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के नाम से किया। इसी तरह से हमने मेरठ में सरदार पटेल के नाम से कृषि विश्वविद्यालय खोला। मैं भी चन्द्रभानु गुप्त जी के योगदान की प्रशंसा करता हूँ। मुझे केवल इतनी आपत्ति है कि आप यह जो नाम परिवर्तित करने जा रहे हैं उसके बारे में अगर आप लखनऊ यूनीवर्सिटी के फेकल्टी को मना लीजिये तो हम अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री हुकुम सिंह--

बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने टिप्पणी की थी कि वैश्य नाराज हो गये। मान्यवर, मानसिकता सामने आ गई कि काहे के लिये विधेयक लाया गया। गुप्ता जी वैश्य के नेता नहीं थे वे पूरे प्रदेश के, समाज के नेता थे। उनको वैश्य तक जोड़कर मत रखिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, यह हुकुम सिंह जी ने अच्छी सूचना दी है कि गुप्ता जी सबके नेता थे, बड़े नेता थे, पूरे प्रदेश और समाज के नेता थे लेकिन गौर साहब इसे मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि वे सबके नेता थे। यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि उनका लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिये ऐतिहासिक योगदान था। आपकी इस भावना से यह पता लगता है कि आपने यह प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है कि चाहे किसी के नाम पर हो जाय पर इस समाज के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से न हो। एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जिनके सैक्युलिरिज्म और सैकयुलर होने पर कोई शुबह नहीं किया जा सकता। वे हमारे दल के नहीं थे, हमारी पार्टी के नहीं थे। लखनऊ में लखनऊ रेलवे स्टेशन से चलकर लखनऊ की सड़कों से गुजरते चले जायं तो दाहिनें बायें आपको उनकी यादगार मिलेगी, इसी नाम से मिलेगी। मैं जान रहा हूँ कि गौर जी इलाहाबाद के रहने वाले हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम अभी तक नहीं रखा गया है। हमारे बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जिनके नाम से अभी तक नहीं रखा गया है। जिस तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम रखा जा रहा है कोई नाम यदि गौर साहब की राय में हो तो वे बता दें, इलाहाबाद युनीवर्सिटी का नाम उसी के नाम से हो जायेगा। इसलिये मेरा गौर साहब से कहना है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लें और इसे सर्वसम्मति से पास करायें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, मैंने जब औचित्य के प्रश्न के माध्यम से इस विषय को रखा था तो आपने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। जब निर्णय सुरक्षित है तो इस विधेयक पर चर्चा।

श्री अध्यक्ष--

देखिये विधेयक और घोषणा अलग चीज है। वह घोषणा की बात है और यह विधेयक है। विधेयक तो कभी भी सदन में लाया जा सकता है। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में खण्ड (8) में शब्द "लखनऊ" के स्थान पर शब्द "चन्द्र भानु गुप्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ या" रख दिए जाएंगे।

नयी धारा 72-झ का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 72-ज के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :--

लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमण कालीन व्यवस्था

"72-झ--उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ के दिनांक से इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत, संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को "चन्द्र भानु गुप्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ" के प्रति निर्देश समझा जायेगा।"

अनुसूची का संशोधन

4--मूल अधिनियम की अधिसूची में, स्तम्भ-2 में क्रम संख्या 1 के सामने शब्द "लखनऊ विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "चन्द्र भानु गुप्त लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ" रख दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उच्च मंत्री (श्री रामआसरे विश्वकर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन विधेयक, 2005 (क्रमागत)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

आप कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी--

श्रीमन्, पूरे हिन्दुस्तान में अनेक प्रदेशों में अनेक अवसरों पर आपदा की स्थिति पैदा हुई विशेष तौर पर उड़ीसा का उल्लेख करना चाहूँगा उड़ीसा में समुद्री तूफान के कारण एक ऐसी स्थिति उतपन्न हुई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसके प्रभाव स्वरूप उड़ीसा और राजस्थान में जो इतनी दूर था, तीन दिन तक, 72 घंटे तक छोटे वाहन का चलना भी संभव नहीं हुआ। दूर संचार के सारे साधन खत्म हो गये। गुजरात में भूकम्प आया, धन-जन की बड़ी हानि हुई इतनी बड़ी दैवी आपदा के प्रकोप के बाद भारत सरकार में इस पर गम्भीरता से विचार हुआ तो उन्होंने देखा जो आपदा प्रबंध का कार्य करते हैं वह कालिक होता है। सभी सरकारें जहां आपदा प्रबंध मिलता है, पैसा मिलता है। जैसा मैंने कल भी कहा था बाढ़ और सूखे पर चर्चा हुई। किसी का घर जल गया, कहीं आपदा हो गई, कहीं पेड़ गिर गया, नदी में बाढ़ आ गई, घर डूब गए। कुछ लोग मर गए लेकिन ऐसी विभीषिका के लिए सम्यक् रूप से ऑथोरिटी बनाने की जरूरत है। इसके लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता है। भारत सरकार की पहल पर विभिन्न राज्यों से आग्रह किया गया आपदा प्रबंध के लिए कोई विधेयक ऐसा बना लें जिसमें समुचित ढंग से योजना बनाई जा सके। कई अधिकारी जाकर केन्द्र स्तर पर, जिले में जिलाधिकारी स्तर पर आपदा प्रबंध के लिए ऐसा प्रबंध न करें। सिर्फ ऑथोरिटी गठित करें जो दीर्घकालिक योजनायें, आपदा प्रबंध के लिए राहत के कार्यों को देख सकें। उसको समुचित ढंग से देख सकें। प्रदेश स्तर पर इस प्राधिकरण की अध्यक्षता के लिए प्रस्ताव है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में होगा। दो मंत्री माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित किए हैं वित्त, गृह, पुलिस, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों के सचिव सदस्य होंगे और राहत आयुक्त प्राधिकरण संयोजक सचिव होंगे। जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्राधिकरण का स्वरूप होगा। प्राधिकरण का दायित्व प्रदेश में आपदा निधि की पूर्ति करना जैसे पूर्व में बनाया गया। विकेन्द्रीयकृत प्रणाली के माध्यम से मान्यवर हम सभी समुदायों को देने का काम करेंगे। विभिन्न विद्यालयों या दूसरे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित करने का काम करायें और पहली बार हमने यह प्रबन्ध किया है कि चूंकि विद्यालयों में ही छात्र-छात्राओं की इतनी बड़ी संख्या होती है, बिना उनको इसमें शामिल किये सिर्फ सरकार पर जिम्मेदारी डाल देने से यह बात होती नहीं। जब आपदा की स्थिति पैदा होती है, तब हम स्वयंसेवी संगठनों की ओर देखते हैं और लगता है कि बड़ी बेचारगी हो गई है और उसमें कोई बड़ी दया करने आ रहा है। इससे एक ऐसा माहौल बन सके और लोग अपना उत्तरदायित्व समझ करके मानवता के नाते पीड़ित व्यक्ति को कोई राहत दे सकें, इसी दृष्टि से यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका जो उद्देश्य है, इसमें कोई राजनैतिक विचारधारा को लादना या आगे करने का उद्देश्य नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा, विपक्ष से भी कि वह सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कराने की कृपा करें।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह जो विधेयक लाया गया है, बहुत जल्दी में लाया गया है। ठीक है, पास भी हो जाएगा, एजेण्डा भी इसमें संशोधित हो गया है। उचित होता, इसके अध्ययन करने का समय मिल जाता। आपातकाल क्या आ गया, जिससे आज ही इसे लाना आवश्यक था ? क्या कल, परसों, 5--10 दिन में कोई ऐसी स्थिति आ जायेगी जिससे आपको काम करने में कठिनाई आ जायेगी ? अभी आपके पास पूर्ण शक्ति प्राप्त एक सरकार है, विभागीय मंत्री हैं, राजस्व मंत्री भी हैं, आपके पास राहत आयुक्त भी है, जो शक्तियां इसमें आप दे रहे हैं वह राहत आयुक्त को पहले से ही प्राप्त है। इसमें एक प्राधिकरण बनाने की व्यवस्था है, जिसके माननीय मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष होंगे, दो मंत्री नामित होंगे और इसमें कुछ अधिकारी भी होंगे। मान्यवर, अभी भी मुख्यमंत्री जी को जो अधिकार प्राप्त है, कैबिनेट का मुखिया होने के कारण, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह अलग से प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता क्यों आ गयी। इससे कहां से आपके काम में तेजी आ गई है, बल्कि अनावश्यक रूप से आपने डुप्लीकेसी कर दिया है। यहां पर एक विभाग है, वह सक्षम है, उसकी समीक्षा आप कर सकते हैं। अब आपने एक प्राधिकरण बनाकर खड़ा कर दिया, मुख्य मंत्री जी को तो सारे प्रदेश के काम का दायित्व होता है और जो आपका काम था, राजस्व मंत्री होने के नाते, आप सीधे बैठकर समीक्षा कर सकते थे, आदेश दे सकते थे, अब उसमें भी रुकावट आयेगी क्योंकि अब प्राधिकरण होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई भयंकर घटना हो गई, क्या आप प्राधिकरण की बैठक की प्रतीक्षा करेंगे। आपको तो प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं, उस पर कार्यवाही करने और निर्णय लेने के लिए और अगर वास्तव में आप कुछ करना चाहते हैं तो हमें भी अध्ययन करने का मौका दें। क्या राहत आयुक्त को अधिकार नहीं है, सचिव को अधिकार नहीं है, जिलाधिकारी और कमिश्नर को अधिकार नहीं है और अब अलग से उन्हें अधिकार दिया जा रहा है, ऐसा इसमें कोई प्राविधान नहीं है। इसमें अलग से कोई अधिकार नहीं दिया गया है, काम उन्हें पहले से मिला था। मैं तो समझने में असमर्थ हूँ कि इतनी जल्दी इसको ड्राफ्ट करके क्यों लाये हैं, क्या आपातकाल की स्थिति आ गई है ?

आप इसे 29, 30, पहली या चार तारीख को भी ला सकते थे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गयी ? यह सामान्य बात है और मैं सामान्य बातों के सामान्य सुझाव देना चाहता था, जब कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ी है, जहां आपको सहायता देनी पड़ी है, आपने कहा है कि एक उसकी निधि होगी, आपकी जो निधि है वही तो होगी, कोई दूसरा स्रोत तो आमदनी का दिया नहीं है। मान्यवर, उसी निधि को व्यय करने के लिए राजस्व मंत्री जी को इतनी कठिनाई होती है कि जब सारा उद्देश्य ही पूरा हो जाता है तब वह निधि लोगों तक पहुंच पाती है। उसमें सरकार का मजाक बनता है, हर सरकार का मजाक बनता है। आपने राहत के लिए चेक भेजा लेकिन वह बैंक से कैश नहीं हो पा रहा है, वह इसलिए कैश नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसे भुनवाने के लिए प्रभावित गरीब व्यक्ति को बैंक में खाता खुलवाने के लिए पहले 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, वैरिफिकेशन के लिए लेखपाल भी पैसे लेगा। जिसके पास हजार रुपये ही नहीं हैं तो वह 500 रुपये का चेक कैसे कैश करा पाएगा। मैं इसका दोष सरकार को नहीं देता यह तो व्यवस्था का दोष है। एक बार हमारे समय में सूखे की आपदा आई थी। उस समय बहुत से लोगों को चेक 50 रुपये का बन रहा था अगर वह हम भेज देते तो वह रुपये उस आदमी को नहीं मिल सकते थे। अगर हम वास्तव में राहत देना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते हैं तो इस प्रकार से राहत दें कि वह रुपया उसकी जेब में तो जाये। अगर आप अनाज वगैरह दे दें तो उसका गुजारा चल जाएगा। मैं सोच रहा था कि आप नई व्यवस्था ला रहे हैं लेकिन लाये क्या कि राहत कार्यों के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है। आप लोग तो प्राधिकरणों की लाइन लगा रहे हैं। यह एक और प्राधिकरण तैयार है।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिंह)--

आयोग भी है।

श्री हुकुम सिंह--

हां आयोग भी है। मेरा कहना है कि शायद कुछ लोगों ने मिलकर एक नई ज्योति इस प्रदेश में प्रज्ज्वलित की है। मैं कहना चाहता हूं कि श्री अम्बिका चौधरी जी आप धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको यह सुझाव दिया है उनसे भी पूछ लें। राहत कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार की ओर से रहता है और उस 100 करोड़ रुपयों को भी राहत के रूप में देने में लाले पड़ जाते हैं। यदि यह प्राधिकरण बन गया तब तो आप एक पैसा भी नहीं दे पाएंगे। आप अपने अधिकार और किसी को मत दीजिए। एक समिति बने और उस समिति में खोए रहो। पचासों समितियां तो अभी भी बनी हुयी हैं। यहां पर इतने विधायक, मंत्री बैठे हैं आप किसी भी अधिकारी को फोन करके देख लीजिए वह किसी न किसी समिति की बैठक में मिलेगा। एक समिति और बन गयी। पहले हमने निश्चय किया था कि अधिकारी सप्ताह में कम से कम दो दिन जनता से जरूर मिलेगा और वह उस दिन कार्यालय से बाहर नहीं जाएगा वह जनता को उपलब्ध रहेगा। यह संख्या मत बढ़ाइये, यह आयोग, प्राधिकरण, निगम जो हैं उसमें आप कमी कर दीजिए। इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें। आज इसे लम्बित रहने दीजिए। अगर आवश्यकता हो तो इसे आप बाद में पास करा लीजिएगा।

श्री अम्बिका चौधरी--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी से हमने वाक्चातुर्य सीखा है। आज उन्होंने जो बातें कहीं हैं वह सीखने लायक है। संसदीय ज्ञान होने के कारण वह अपनी बातों को इस तरीके से लाते हैं कि कहां किस बात की आवश्यकता है। मैं इनसे सीखता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि आज की स्थिति में और पूर्व की स्थिति में क्या भेद है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपदा आ नहीं जाए और उस आपदा से लोग प्रभावित न हो जायें तब तक लोगों को राहत का लाभ पहुंचाने में कोई भी अधिकारी अभी तक सक्षम नहीं है। भारत सरकार की गाइड लाइन के तहत आपदा आ जाये और वह आपदा आकर लोगों को तबाह और प्रभावित कर दे तो उससे हम लोग प्रभावित होते हैं लेकिन आपदा प्रबंधन का कार्य नहीं कर सकते। मान्यवर, इसीलिए हमने इसमें यह व्यवस्था की है। इससे बचने के लिए कोई दूसरी चीज कर सकें, उस फण्ड से जो सी0आर0एफ0 है। राज्य सरकार स्वयं अपने संसाधनों से कितना कर सकती है यह तो आप भी जानते हैं। तो जो हमारी विषम कठिनाइयां थीं, जो पहले से हम प्रबंधन नहीं कर सकते थे, वह इस ऐक्ट के पास हो जाने के बाद सबसे पहले जो परिवर्तन होगा वह आपदा प्रबंधन का कार्य हम ढंग से कर सकेंगे। जब आपदा आयेगी तो हम पहले से तैयार रहेंगे। दूसरा इसमें हमने रिहेबिलिटेशन का इसमें किया है। इसमें हम लोगों को पुनर्वासित कर सकेंगे। आपने कहा कि तात्कालिकता तो तात्कालिकता कुछ भी नहीं थी।

तात्कालिकता यह है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है ऐक्ट लाने के मामले में। केन्द्र ने प्रारूप बनाकर भेजा है। हम बाढ़ से प्रभावित होने वाले हैं, बांदा में तो आ गयी है, अन्य जगहों पर आने वाली है इसलिए इस विधेयक को सदन के सम्मुख रखा है। हुकुम सिंह जी ने जो आशंका रखी है, तो मैं उसके संबंध में यह बताना चाहूँगा कि यह कोई ऐसा प्राधिकरण नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को.....

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहूंगा जो आपने बात कही वह सच है केन्द्र सरकार ने इसका प्रारूप बनाकर सब राज्यों में भेज रखा है कि इसमें विचार करें। विषय केवल इतना है कि आपका और केन्द्र सरकार का रिश्ता साहूकार और कर्जदार का है। आपको केन्द्र सरकार की बात माननी पड़ेगी, उनके आदेशों का पालन करना होगा।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी विद्वान सदस्य हैं, उनकी बात काटना उचित नहीं है। हमारे केन्द्र सरकार से साहूकार का रिश्ता नहीं है। संघीय व्यवस्था में केन्द्र सरकार अपनी जगह है और राज्य सरकार अपनी जगह है। हमारे अपने अधिकार संविधान में प्रदत्त हैं। हम उनके कोई लेनदार या देनदार नहीं हैं। हम राज्य सरकार हैं इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी बनती है। केन्द्र सरकार से जो अंश मिलता है सौ करोड़ का, तो यह केवल सौ करोड़ नहीं है। हमने सूखा राहत में 341 करोड़ दिया है, यह सिर्फ सौ करोड़ का नहीं है। एक बात मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि प्राधिकरण का सवाल किया गया तो हम इसमें किसी एक व्यक्ति को ओबलाइज नहीं करना चाहते हैं। आपकी आशंकायें निर्मूल हैं। हम प्रदेश का आपदा प्रबंधन अच्छे ढंग से कर सकें इसलिए इस विधेयक को लेकर आये हैं और आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करायें।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न रख रहा हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से खण्ड 49 तक खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005

उत्तर प्रदेश राज्य में आपदा के प्रभावी प्रबंध की व्यवस्था करने, आपदा के प्रभावों को कम करने, आपदाओं के घटित होने के दौरान तथा बाद में आपात राहत का प्रबंध करने, उसे सुसाध्य बनाने, उसका समन्वय करने और अनुश्रवण करने का प्रबंध और आपदाओं के परिणामस्वरूप पुनर्निर्माण और पुनर्वास के उपायों को अपनाने करने, उसका अनुश्रवण करने तथा समन्वय करने के लिए और इन प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए और अन्य अभिकरणों को विनिर्दिष्ट करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत कर।

परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

(क) 'प्रभावित क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो धारा 32 की उप धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस रूप में घोषित हो,

(ख) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण से है,

(ग) 'क्षमता निर्माण' का तात्पर्य किसी आपदा से निपटने की क्षमता निर्मित करने से है और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :--

(एक) किसी आपदा से सुसंगत विद्यमान संसाधनों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अर्जित किये जाने वाले संसाधनों की पहचान ;

(दो) संसाधनों का अर्जन एवं सृजन, स्थानीय समुदाय में जनसमूह का संगठन एवं प्रशिक्षण ;

(तीन) ऐसे प्रशिक्षण का समन्वय ;

(घ) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है ;

(ङ) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' का तात्पर्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है ;

(च) 'आयुक्त' का तात्पर्य धारा 11 के अधीन नियुक्त राज्य राहत आयुक्त से है ;

(छ) 'आपदा' का तात्पर्य राज्य के किसी भाग में प्राकृतिक या अन्यथा घटित होने वाली ऐसी वास्तविक या आसन्न घटना संकट, आपदा, घोर विपत्ति, अनर्थ, दुर्भाग्य, अभाग्य या विनाश से है जिससे निम्नलिखित कारित होता हो या कारित होने की आकांक्षा हो :--

(एक) स्थावर और जंगम दोनों सम्पत्ति की व्यापक क्षति या नुकसान या

(दो) मानव जीवन की व्यापक हानि व मानवों की क्षति या बीमारी ; या

(तीन) पर्यावरण की क्षति या उसका ह्रास और उप खण्ड (एक) से (तीन) में विर्निदिष्ट कोई प्रभाव ऐसा हो, जो अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए सामना करना प्रभावित जनसमुदाय की क्षमता से परे हो और जनसमुदाय की सामान्य कार्यप्रणाली को विच्छिन्न करता हो ;

(ज) 'आपदा प्रबंध' का तात्पर्य निम्नलिखित दृष्टि से नियोजन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया तथा उसके उपायों के क्रियान्वयन से है :--

(एक) आपदाओं के जोखिम में न्यूनीकरण या कमी करना ;

(दो) आपदाओं की कठोरता या परिणाम में कमी करना ;

(तीन) क्षमता निर्माण ;

(चार) आपात तैयारी ;

(पांच) आपदाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करना ;

(छः) आपात राहत और बचाव उपलब्ध कराना ; और

(सात) आपदा के बाद पुनर्वास का पुनर्निर्माण ;

(झ) 'आपात तैयारी' का तात्पर्य की उस स्थिति से है, जो आसन्न या वास्तविक आपदा या आपदा के प्रभावों से निपटने हेतु राहत को गतिशील करने, संचालित करने और उपबंधित करने के लिए स्टेकहोल्डरों को समर्थ बनाती है ;

(ञ) 'सदस्य' का तात्पर्य प्राधिकरण के किसी सदस्य से है ;

(ट) 'शमन' का तात्पर्य किसी आपदा के समाघात या प्रभावों को कम करने के लक्षित उपायों से है ;

(ठ) 'निवारण' का तात्पर्य उन उपायों से है, जिनका लक्ष्य किसी आपदा के लिए घटित होने को रोकने से है ;

(ड) 'पुनर्निर्माण' का तात्पर्य किसी आपदा के पश्चात् जिम्मेदारी में ली गयी किसी सम्पत्ति के मरम्मत और निर्माण से है ;

(ढ) 'विनियमों' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;

(ण) 'पुनर्वास' का तात्पर्य ऐसी किसी क्रिया-कलाप से है जिसका उद्देश्य किसी आपदा के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों में प्रसामान्यता बहाल करना है।

(त) 'राहत' का तात्पर्य आपदा के कारण हुई किसी यातना पीड़ा, क्षति या आपत्ति या कठिनाई को कम करने या उनका निराकरण करने के लिए आपदा के दौरान या उसके तत्काल पश्चात् किये गये उपायों से है ;

(थ) 'स्टेकहोल्डर' के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं :--

(एक) राज्य सरकार ;

(दो) कोई कानूनी कृत्यकारी ;

(तीन) स्वैच्छिक अभिकरण जिसमें विदेशी स्वैच्छिक अभिकरण सम्मिलित है ; और

(चार) ऐसे प्राधिकरण द्वारा परिलक्षित कोई अन्य व्यक्ति जो आपदा प्रबंध से संबंधित क्रियाकलापों में किसी रीति से सहभागिता करता हो।

अध्याय-दो

आपदा प्रबन्धन के लिये प्राधिकरण

3-इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-- आपदा प्रबन्धन के लिये प्राधिकरण

(क) राज्य सरकार

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(ग) सरकारी विभागों के प्रमुख

(घ) आयुक्त

(ङ) किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट

(च) स्थानीय प्राधिकारी

(छ) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण, संघटन या निकाय

अध्याय-तीन

राज्य सरकार के कृत्य

4-(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि धारा 3 में विनिर्दिष्ट समस्त प्राधिकारी और स्टेकहोल्डर ऐसे समस्त उपाय करेंगे, जो किसी आपदा का प्रबन्ध करने और उसके प्रभावों को कम करने के प्रयोजन से आवश्यक और समीचीन हों। राज्य सरकार के कृत्य

(2) विशेष रूप से और उप धारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हो सकते हैं, अर्थात् :--

(क) यह सुनिश्चित करना कि समुचित नीतियां और मार्गदर्शन विकसित की गयी हैं ;

(ख) संकट प्रबंध समूह नामक कोई समूह और ऐसी अन्य इकाइयां, जो आवश्यक हों, स्थापित करना और ऐसा समूह या इकाई ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हों ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि राज्य प्रशासन और स्थानीय प्राधिकारी अपने क्रिया-कलापों के नियोजन के दौरान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन पर विचार करेंगे।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि व्यापक संचार और प्रौद्योगिकी प्रणाली स्थापित है और अनुरक्षित हैं ;

(ङ) आपदा प्रबंध के सम्बन्ध में आपदा सामग्री उपस्कर और सेवा प्रबन्ध और सम्बन्धित प्रापण को सुसाध्य बनाना और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना ;

(च) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जानी हैं और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(छ) पर्याप्त जोखिम अन्तरण, जोखिम अंश और लागत अंश के क्रियाविधियों को प्रोत्साहित करना ;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंध के लिये पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं ;

(झ) समुचित प्रत्युद्धरण के उपायों को सुनिश्चित करना ; और

(ञ) ऐसे उपाय करना और ऐसे दिशा निर्देश जारी करना जो आपदा वृद्धि को रोकने के लिए या नियंत्रित करने या उनमें कमी करने के लिये आवश्यक हों।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निष्पादन करके किसी आपदा से उद्भूत होने वाली किसी आसन्न क्षति को रोकने या इसके प्रभावों को कम करने के प्रयोजन से किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को लिखित निर्देश जारी कर सकती है और ऐसा व्यक्ति या प्राधिकरण ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निष्पादन करके किसी कार्यपालक आदेश के प्रवर्तन को निलम्बित कर सकती है, यदि ऐसा आदेश से आपदा का समाना करने में कोई आवश्यक कार्यवाही अवरुद्ध होती हो या उसमें व्यवधान पड़ता हो या विलम्ब होता हो।

अध्याय-चार

राज्य सरकार के विभागों के कृत्य

राज्य सरकार के विभागों के कृत्य

5-(1) राज्य के सरकारी विभाग--

(क) संचार केन्द्र स्थापित करने, आकस्मिक योजना बनाने, क्षमता निर्माण, आंकड़ा संग्रह कार्मिकों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षत करने में प्राधिकरण, आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय प्राधिकारी को सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(ख) आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में राहत कार्य सम्पादित करेंगे।

(ग) क्षति का मूल्यांकन करेंगे और प्राधिकरण द्वारा बनाये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण और पुनर्वास क्रियाकलापों को सम्पादित करेंगे, और

(घ) ऐसे उपाय करेंगे और प्राधिकरण, आयुक्त, और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी सहायता की व्यवस्था करेंगे जो आपदा प्रबंध के लिये आवश्यक हों,

(2) प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन सरकार का प्रत्येक विभाग--

(क) निम्नलिखित को उल्लिखित करते हुए आपदा प्रबंध योजना तैयार करेगा :--

(एक) रीति, जिसमें आपदा प्रबंध की अवधारण और उसके सिद्धान्त लागू होंगे ;

(दो) राज्य आपदा प्रबंध के सम्बन्ध में भूमिका एवं उत्तरदायित्व;

(तीन) आपात राहत और आपदा के पश्चात् प्रत्युद्धरण और पुनर्वास के सम्बन्ध में विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व ;

(चार) विभागों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की क्षमता ;

(पांच) आपदा प्रबंध से सम्बन्धित युक्तियों की विशिष्टियां ; और

(छः) आपदा की स्थिति में युक्तियों को वित्त पोषित करने के उपायों सहित युक्तियां और प्रक्रियाएं।

(ख) अन्य विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, समुदायों और स्टेकहोल्डरों के साथ योजना की तैयारी और उसके क्रियान्वयन में समन्वय करना ;

(ग) योजना का नियमित पुनरीक्षण करना और उसे अद्यतन करना ; तथा

(घ) प्राधिकरण को आपदा प्रबंध योजना तथा उससे सम्बन्धित कोई संशोधन प्रस्तुत करना।

अध्याय-पांच

प्राधिकरण की स्थापना एवं उसका निगमन

प्राधिकरण की स्थापना एवं उसका निगमन

6-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना, ऐसे दिनांक से करेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रदेश में या प्रदेश के बाहर ऐसे अन्य स्थानों पर कार्यालयों की स्थापना कर सकता है जैसा प्राधिकरण उचित समझता है।

प्राधिकरण का गठन

7-(1) प्राधिकरण में अध्यक्ष व चौदह से अनाधिक अन्य सदस्य निम्न प्रकार होंगे :--

(क) मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश जो अध्यक्ष होंगे,

(ख) मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा नाम विनिर्दिष्ट दो मंत्री,

(ग) प्रदेश के मुख्य सचिव,

(घ) प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त,

(ङ) प्रमुख सचिव (राजस्व),

(च) प्रमुख सचिव (वित्त),

(छ) प्रमुख सचिव (गृह),

(ज) प्रमुख सचिव (ऊर्जा),

(झ) प्रमुख सचिव (नगर विकास),

(ञ) प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य),

(ट) अन्य कोई सचिव जिसे समय-समय पर आमेलित किया जाये,

(ठ) महानिदेशक, पुलिस,

(ड) राहत आयुक्त, जो प्राधिकरण का संयोजक/सचिव होगा :

परन्तु जब संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन की गयी कोई उद्घोषणा राज्य में प्रवृत्त हो, तो केन्द्र सरकार मुख्य मंत्री और मंत्रियों के स्थान पर तीन व्यक्तियों को प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा के प्रतिसंहरण या उसके प्रवर्तन में न रहने पर अपने पद छोड़ देंगे।

(2) प्राधिकरण के सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जो विहित किया जाये।

प्राधिकरण की बैठकें

8-(1) प्राधिकरण ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी बैठकों में (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों का कोरम भी है) कारबार के संव्यवहार के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाये।

(2) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, यदि वह बैठक करने के नियत समय पर उपस्थित हो और, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो वरिष्ठ मंत्री द्वारा की जायेगी या उसकी अनुपस्थिति में अन्य मंत्री द्वारा की जायेगी और मंत्रियों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी, जिसे बैठक द्वारा उस अवसर के लिये अध्यक्ष चुना जाये।

(3) प्राधिकरण की बैठक में सभी प्रश्नो पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतों की बहुमत द्वारा लिया जायेगा और मतों के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(4) (क) प्रत्येक सदस्य जो प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा या व्यवस्था या प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध रखता हो या हितबद्ध हो तो वह प्राधिकरण की बैठक के पूर्व या बैठक में अपने संबंध और इच्छा की प्रकृति को व्यक्त करेगा।

(ख) कोई भी सदस्य प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गयी या की जाने वाली किसी संविदा या व्यवस्था पर चर्चा या मतदान में भाग नहीं लेगा, यदि वह संविदा या व्यवस्था में किसी भी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता हो या हितबद्ध हो :

परन्तु किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं समझा जायेगा यदि वह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से ऐसी संविदा या व्यवस्था में संबंधित या हितबद्ध किसी कम्पनी की समादत साधारण अंशपूंजी की कुल दो प्रतिशत से कम का शेयरधारक हो।

कार्यवाहियों को ठीक व विधिमान्य समझा जाना

9--प्राधिकरण का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं मानी जायेगी :--

(क) उसमें किसी रिक्ति के होने अथवा उसके संविधान में किसी त्रुटि के होने के कारण, अथवा

(ख) उसकी प्रक्रिया में किसी अनियमितता के कारण जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती हो।

प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी

10. (1) राज्य सरकार किसी भी ऐसे अधिकारी को जो सरकार के सचिव से निम्न पंक्ति न हो, प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी नियुक्त करेगी जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(2) प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा वेतन एवं भत्ता पाने का हकदार होगा और ऐसी सेवा शर्तों से शासित होगा जैसा विहित किया जाये।

(4) उपधारा (2) के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे वेतन तथा भत्ते पाने के हकदार होंगे तथा वे सेवा की शर्तों के अधीन शासित होंगे जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये।

(5) प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेंगे जैसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लिखित रूप में निर्गत अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा सौंपे जायें।

राज्य राहत आयुक्त

11--(1) राज्य सरकार किसी ऐसे अधिकारी को जो शासन के सचिव से निम्न पंक्ति का न हो, पूरे प्रदेश के लिए राज्य राहत आयुक्त नियुक्त कर सकती है।

(2) राज्य राहत आयुक्त आपदा प्रबंध से संबंधित ऐसे कार्यों का निष्पादन करेंगे जैसा इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित है।

(3) आयुक्त ऐसा वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा और वह ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी विहित की जाये।

अध्याय--छः

प्राधिकरण के कृत्य

प्राधिकरण के कतिपय कृत्य

12--(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, प्राधिकरण की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह आपदा प्रबंध की एक समाकलित एवं समन्वित व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत राज्य, स्थानीय प्राधिकरण, स्टेकहोल्डर तथा समुदाय द्वारा आपदा के निवारण एवं शमन की व्यवस्था भी है, को प्रोत्साहित करे।

(2) प्राधिकरण--

(क) आपदा प्रबंध और आपदा के बाद पुनर्निर्माण, पुनर्वास, मूल्यांकन व निर्धारण के लिए एक केन्द्रीय योजना, समन्वयन और अनुश्रवण इकाई के रूप में कार्य करेगा ;

(ख) आपातकालीन राहत से संबंधित नीति निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करेगा, इस बात के होते हुए भी आपातकालीन राहत का क्रियान्वयन सरकार के राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों की जिम्मेदारी होगी ;

(ग) आपदा प्रबंध की प्रगति एवं समस्याओं से राज्य सरकार एवं सरकार के विभागों को सूचित करेगा ;

(घ) आपदा प्रबंध, आपातकालीन योजना एवं प्रतिक्रिया के संबंध में सामान्य शिक्षा एवं जागरुकता को विकसित करेगा ;

(य) और उससे आनुषंगिक विषयों का कार्य करेगा।

(3) प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार राज्य सरकार, मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी एवं राज्य के स्थानीय प्राधिकरण अपनी सहायता एवं सहयोग प्राधिकरण को अपने कार्यों के निष्पादन हेतु देंगे।

आंकड़ों का संग्रहण

13--(1) प्राधिकरण आपदा तथा आपदा प्रबंध के क्षेत्र से सबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने व करवाने की उचित कार्यवाही करेगा एवं इन आंकड़ों का विश्लेषण करेगा और उन घटनाओं के मुख्य प्रभावों के संबंध में शोध एवं अध्ययन करेगा जो किसी आपदा का रूप ले सकती है।

(2) प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति से उसे लिखित नोटिस देकर उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए उपयोगी कोई भी जानकारी नोटिस में वर्णित समयसीमा के भीतर देने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना का प्रयोग केवल इस अधिनियम के कार्यों के निष्पादन हेतु ही किया जाय अन्यथा नहीं।

सूचना संग्रह

14. प्राधिकरण आपदा व आपदा प्रबंध से संबंधित समस्त जानकारियों के संग्रह का कार्य करेगा और वह :--

(क) एक संस्था की स्थापना करेगा ;

(ख) राज्य में संचार माध्यम की स्थापना व आपातकालीन संचार तथा पूर्व चेतावनी व्यवस्था स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेगा ;

(ग) आपदा प्रबंध कार्यों के लिए आवश्यक सम्पूर्ण डाटाबेस सुनिश्चित करेगा ;

(घ) भारत तथा अन्य देशों की आपदा प्रबंध अभिकरणों, जिनके अन्तर्गत प्राधिकरण के कृत्यों के सदृश निष्पादन करने वाली संस्थाएं भी हैं के साथ संचार माध्यम की स्थापना सुनिश्चित करेगा ;

(ङ) सूचनाओं का आदान-प्रदान करेगा और आपदा प्रबंध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवीणता प्राप्त करने के लिए पहुंच बनाए रखेगा।

आपदा प्रबंध योजनाएं

15--(1) प्राधिकरण आपदा प्रबंध योजनाएं व रणनीतियां बनाने व उन्हें अद्यावधिक बनाये रखने हेतु दिशा-निर्देश विकसित करेगा और कराएगा और राज्य के ऐसे विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा व्यक्तियों को जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय योजनायें व रणनीति बनाने की तैयारी तथा समन्वय करने में सहयोग प्रदान करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन योजनाओं की तैयारी के समय योजना बनाने वाला प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् योजना में उचित उपबन्ध करेगा अर्थात् :--

(क) विभिन्न प्रकार की आपदायें जो घटित हो सकती हैं और उनसे होने वाला प्रभाव ;

(ख) समुदाय व सम्पत्ति जो खतरे में हो ;

(ग) उचित बचाव व अल्पीकरण का प्राविधान ;

(घ) आपदाओं से निपटने की अक्षमता और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना ;

(ङ) आपदा के बचाव व उसके प्रभाव को कम करने की रणनीति तथा विकास योजनाओं, कार्यक्रम व राज्य में अन्य संबंधित क्रियाकलापों का समाकलन करना।

(च) आपदा के प्रभाव की प्रकृति और आकार निर्धारित करने का प्राविधान ;

(छ) आपदा घटित होने पर आकस्मिक योजना जिसमें राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण की योजना सम्मिलित हो व निम्नलिखित का प्राविधान हो :--

(एक) विभिन्न स्टेकहोल्डरों की जिम्मेदारियों का आवंटन तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन में उन्हें समन्वय प्रदान करना,

(दो) आवश्यक वस्तुओं का उपाप्त करना व आवश्यक सेवायें प्रदान करना,

(तीन) अनुकूल संचार माध्यमों की स्थापना,

(चार) सूचनाओं का प्रसार, तथा

(पांच) अन्य मामले जो विनियमों में उपबंधित किए जाएं ;

(व) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अन्य मामले।

(3) प्राधिकरण राज्य के लिये महायोजना तैयार करेगा या करवायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।

जागरुकता और तैयारी

16--(1) प्राधिकरण निम्नलिखित द्वारा समुदाय एवं स्टेकहोल्डरों को जागरुकता, तैयारी, प्रशिक्षण व आवश्यक सलाह द्वारा प्रोत्साहन देगा अथवा प्रोत्साहित करवायेगा ताकि इनकी किसी भी आपदा से निपटने में क्षमता का विकास हो।

(अ) इस निमित्त दिशा-निर्देश एवं संस्तुतियों का प्रकाशन ;

(ब) इलेक्ट्रानिक डाटाबेस तक पहुंच की सुविधा ;

(स) समुदाय एवं स्टेकहोल्डरों में आपदा प्रबंध, क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना ;

(द) आपदा संवेदनशीलता को कम करने हेतु कार्यप्रणाली के विकास में सहयोग प्रदान करना ;

(य) विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य संबंधित गतिविधियों के साथ जागरुकता एवं तैयारी की कार्यप्रणाली का समायोजन ; और

(र) किसी अन्य रीति में कार्य करना जो इस निमित्त उचित समझा जाय।

(2) प्राधिकरण ऐसी नीतियों का निर्धारण करेगी जो जोखिम हस्तारण से संबंधित है, जिसमें आपदा तैयारी का बीमा भी सम्मिलित है, जो कि वह आवश्यक समझती है तथा इसे क्रियान्वित करेगी या करवायेगी।

समुचित प्राधिकरण को की जाने वाली संस्तुतियां

17--(1) प्राधिकरण नई योजनाएं तैयार करते समय, आपदा के प्रशासन हेतु विनिर्दिष्ट किये जाने वाले मामलों को विचरण में लेने के लिए समुचित प्राधिकारी को संस्तुति कर सकता है।

(2) प्राधिकरण इन विद्यमान कार्ययोजनाओं जो कि समुचित प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है, उनका निरीक्षण कर सकता है तथा इन कार्ययोजनाओं का विश्लेषण करने के उपरान्त इसमें समुचित बदलाव हेतु अपनी संस्तुति दे सकता है जिससे कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आपदा का प्रभाव कम किया जा सके।

(3) प्राधिकरण प्रदेश में किसी भी स्थानीय क्षेत्र में स्थित भवन या ढांचे के निर्माण की गुणवत्ता को निरीक्षण कर सकता है और जहां प्राधिकरण को यह लगता है कि इन भवनों और ढांचों की गुणवत्ता के कारण आपदा के उपरान्त जान और किसी सम्पत्ति की क्षति होगी, तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने की संस्तुति दे सकता है जो ऐसे परिणामों से बचाने के लिए विधि के अधीन आवश्यक हो।

राहत

18--(1) प्राधिकरण आपदा से संबंधित गतिविधियों की नीतियों के निर्धारण में राज्य सरकार को सहयोग करेगी।

(2) जहां प्राधिकरण का यह मत हो कि आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई राहत पर्याप्त नहीं है, तो प्राधिकरण सरकार को अपनी संस्तुति देगी कि इन मानकों को संशोधित करे जिनका अनुपालन आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा तथा जहां आवश्यक हो वहां अन्य राहत उपायों की संस्तुति करेगा।

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण

19--आपदा की घोषणा के समापन पर प्राधिकरण, जहां आवश्यक समझे वहां सरकार के विभागों द्वारा पुनर्वास व पुनर्निर्माण के कार्यों में सुविधा व समन्वय प्रदान करने के लिए एक अभिकरण की तरह कार्य करेगा।

अध्याय--सात

मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां एवं कृत्य

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां एवं कृत्य

20--(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों व कृत्यों का प्रयोग और निष्पादन करेगा, अर्थात् :--

(क) क्षमता विकास को सम्मिलित करते हुए आपदा के बचाव एवं प्रभावों को कम करने से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय व अनुश्रवण करना ;

(ख) पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण क्रियाकलापों का समन्वय तथा अनुश्रवण करना ;

(ग) आपदा प्रबंध योजनाओं की तैयारी की प्रगति का अनुश्रवण तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वय करना ;

(घ) प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करना तथा प्राधिकरण के समक्ष नियतकालिक रूप से प्रस्तुत करना ;

(ङ) प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन करना ;

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और कृत्यों का निर्वहन करना, जिनका प्रतिनिधायन प्राधिकरण द्वारा किया गया हो, तथा ;

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा कृत्यों का निर्वहन करना जो विनियमावली में विनिर्दिष्ट की जाय।

अध्याय--आठ

राज्य राहत आयुक्त की शक्तियां तथा कृत्य

आपातकालीन राहत

21--(1) आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आयुक्त प्रभावित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट एवं स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारियों को अधिकारिता वाले प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन राहत उपलब्ध कराने हेतु आपदा प्रबंध योजना के अनुसरण में निर्देशित कर सकता है ;

(2) निम्नलिखित प्रयोजन के लिए :--

(क) समुदाय का सहयोग देने एवं संरक्षण प्रदान करने ;

(ख) समुदाय को राहत प्रदान करने ;

(ग) विघटन को रोकने एवं रोकथाम करने ; या

(घ) आपदा के विनाशकारी व अन्य प्रभावों से निपटारा के लिए आयुक्त--

(एक) उपलब्ध संसाधनों को निर्गत करने या उपयोग करने हेतु व्यवस्था कर सकते हैं ;

(दो) प्रभावित क्षेत्र में या इसके बाहर यातायात के आवागमन को नियंत्रित या अवरुद्ध कर सकते हैं :--

(तीन) किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश या भ्रमण या बाहर जाने पर नियंत्रण या रोक लगा सकते हैं ;

(चार) मलवा हटवा सकते हैं ;

(पांच) खोज एवं बचाव अभियान चला सकते हैं ;

(छः) लावारिश शवों के निस्तारण की व्यवस्था कर सकते हैं ;

(सात) रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं ;

(आठ) भोजन, दवाइयां व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कर सकते हैं ;

(नौ) आपदा से संबंधी विशेषज्ञों एवं सलाहकारों की सेवायें ले सकते हैं तथा अपने निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में राहत उपलब्ध करा सकते हैं ;

(दस) आवश्यकतानुसार विशिष्ट एवं अधिमान साधन जैसे और जब भी आवश्यक हो, सुख सुविधाओं का अनन्य या अधिमानी उपयोग उपाप्त कर सकते हैं ;

(ग्यारह) ऐसे नियमों एवं शर्तों पर जिन्हें विहित किया जाय कोई भी सम्पत्ति, वाहन, उपकरण, भवन तथा संचार माध्यम का कब्जा ले सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं ;

(बारह) अस्थायी पुलों एवं अन्य आवश्यक ढांचों का निर्माण कर सकते हैं ;

(तेरह) ऐसे असुरक्षित निर्माणों को नष्ट कर सकते हैं, जो जनता के लिए खतरनाक हो सकते हैं ;

(चौदह) यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गैर सरकारी संगठन अपनी गतिविधियों का संचालन साम्यापूर्ण ढंग से करें ;

(पन्द्रह) आपदा से निपटने हेतु सूचनाओं को आम जनता तक प्रसारित कर सकते हैं ;

(सोलह) आपदा प्रभावित क्षेत्र से आबादी को जीवन रक्षा के प्रयोजन से खाली करा सकते हैं और यथा आवश्यक बल प्रयोग कर सकते हैं ;

(सत्रह) यदि वह समझते हैं कि जान और माल की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्यवाही आवश्यक है तो यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित है अथवा उपस्थित रहने पर ऐसे दरवाजा, द्वार या रोध को खोलने से इंकार करता है तो किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश करने या किसी दरवाजा, द्वार या रोध को खोलने या खुलवाने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं ;

(3) आयुक्त किसी व्यक्ति या सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है और ऐसे कदम उठा सकता है, जो आपदा के उतार-चढ़ाव को कम करने अथवा आपदा के प्रभावों को न्यून करने, रोकने और कम करने के लिए आवश्यक हो।

(4) आयुक्त राहत उपलब्ध कराने के लिए किये गये अपने सामान्य कार्यवाहियों की जानकारी प्राधिकरण को देंगे और विशेषत: जो कार्यवाही उपधारा (1) से (3) के अधीन की गई हो।

आयुक्त के अन्य कृत्य

22--(1) आयुक्त :--

(क) प्राधिकरण को आपदा प्रबंध से संबंधित विविध पक्षों की सूचनाएं देंगे, जैसे पूर्व चेतावनी और तैयारी की स्थिति ;

(ख) प्रत्येक जिलों की विशिष्ट परिस्थितियों एवं संस्थागत क्षमता में कमी और राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के परामर्श से राज्य के लिए उपयुक्त राहत क्रियान्वयन नीति विकसित करेंगे ;

(ग) राज्य स्तरीय आपातकालीन योजनाओं और दिशानिर्देशों को तैयार करेंगे, समीक्षा करेंगे और अद्यावधिक रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला स्तरीय योजनाएं तैयार पुनरीक्षित और अद्यावधिक की गई है ;

घ) आपदा प्रबंध से संबंधित आकस्मिक योजनाओं का समय-समय पर पुनर्निर्धारण करेंगे ;

(ङ) यह सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रबंध अभ्यास नियतकालिक रूप से किये जायं ;

(च) यह सुनिश्चित करेंगे कि संचार व्यवस्था सुचारु है एवं आकस्मिक योजनाओं में स्थानीय संस्थाओं की अधिकतम भागीदारी है ;

(छ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधानित किया जाय ;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिन्हें विनियमावली में विनिर्दिष्ट किया जाय।

अध्याय--नौ

जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कृत्य

23--(1) आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट प्रभावित क्षेत्र के सरकारी विभागों एवं स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों को आपदा प्रबंध योजना के अनुसार आपातकालीन राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर सकता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट :--

(एक) उपलब्ध संसाधनों को छोड़ने या उपयोग करने हेतु व्यवस्था कर सकेगा ;

(दो) आपदा प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत यातायात का आवागमन, नियंत्रण या अवरुद्ध कर सकेगा ;

(तीन) किसी आपदा ग्रसित क्षेत्र या भाग में प्रवेश, भ्रमण या बाहर जाने पर नियंत्रण या रोक कर सकेगा ;

(चार) मलवा हटा सकेगा ;

(पांच) खोज एवं बचाव अभियान संचालित कर सकेगा ;

(छः) लावारिश शवों का उचित माध्यम द्वारा निस्तारण कर सकेगा ;

(सात) रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेगा ;

(आठ) भोजन, दवाइयां व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कर सकेगा ;

(नौ) आपदा संबंधी विशेषज्ञों एवं सलाहकारों से उनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में राहत प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(दस) कोई भी सम्पत्ति, गाड़ी, उपकरण, भवन तथा संचार माध्यम का अधिग्रहण व नियंत्रण में ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर कर सकेगा जैसा विहित किया जाय ;

(ग्यारह) आवश्यकतानुसार विशिष्ट एवं अधिमान साधन उपलब्ध करा सकेगा ;

(बारह) अस्थायी पुलों एवं अन्य ढांचों का निर्माण करा सकेगा ;

(तेरह) असुरक्षित संरचनाओं को नष्ट करा सकेगा, जो जनता के लिए खतरनाक हो सकती हैं ;

(चौदह) अशासकीय संगठनों के साथ समन्वय कर सकेगा तथा यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ये इकाइयां अपनी गतिविधियों का निर्वाह सही ढंग से करती हैं ;

(पन्द्रह) आपदा से निपटने हेतु सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचा सकेगा ;

(सोलह) आपदा प्रभावित क्षेत्र से पूर्ण या आंशिक आबादी को निर्देशित व बलपूर्वक जीवन रक्षा हेतु अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा व अगर आवश्यक हो तो बल प्रयोग कर सकेगा ;

(सत्रह) किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है कि वह किसी भी स्थान में जा सकता है अथवा कोई भी दरवाजा, गेट या अन्य बैरियर खोल सकता है या खुलवा सकता है या अगर उस स्थान का मालिक या रहने वाला उपस्थित नहीं है अथवा दरवाजा, गेट या बैरियर खोलने से मना कर रहा है यदि वह यह समझता है यह जान व माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अन्तर्गत शक्तियों का उस सीमा तक प्रयोग कर सकता है जहां तक यह निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो :--

(क) समुदाय का सहयोग एवं रक्षा करना ;

(ख) समुदाय को राहत प्रदान करना ;

(ग) विघटन को रोकना एवं मुकाबला करना ;

(घ) आपदा के विनाशकारी व अन्य प्रभावों से निपटना।

24--(1) जिला मजिस्ट्रेट--

(क) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा से बचाव अथवा उसके प्रभावों में कमी लाना अथवा उसके प्रभावों से निपटने हेतु तैयारी, सभी किये गए ऐसा दिशा-निर्देशों के अनुसार हों, जैसा विहित किया जाए ;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकरण को आपदा प्रबंध संबंधी योगदान देंगे, जैसे कि पूर्व चेतावनी व तैयारी की स्थिति ;

(ग) सुनिश्चित करेंगे कि जिले के समस्त कर्मियों को आपदा से निपटने की विशेष जानकारी हासित करें ;

(घ) सुनिश्चित करेंगे कि जिले की आपदा प्रबंध कार्ययोजना तैयार की जाय, आवश्यकतानुसार संशोधित हो तथा समय-समय पर अद्यतन की जाय ;

(ङ) स्थानीय सरकारी निकायों को सहयोग एवं समन्वय प्रदान करेंगे ताकि जिले में आपदा से पूर्व व आपदा प्रबंध गतिविधियों का निर्वहन किया जा सके ;

(च) स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों व निजी क्षेत्र के सहयोग से समुदाय को प्रशिक्षित करना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना व आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना करेंगे ;

(छ) आपदा प्रबंध के क्षेत्र में अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करेंगे ;

(ज) आपातकालीन योजनाओं, आकस्मिक योजनाओं व दिशा-निर्देशों का पुनरावलोकन करेंगे ;

(झ) सुनिश्चित करेंगे कि जिले में स्थित स्थानीय प्राधिकारी स्वयं अपने बचाव की रणनीति तैयार करें ;

(ञ) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रबंध गतिविधियों तथा योजनाओं के बीच संबंध बने ;

(ट) सुनिश्चित करेंगे कि संचार व्यवस्था सुचारु रहे ;

(ठ) सुनिश्चित करेंगे कि अग्निशमन उपकरण व आपदा प्रबंध से संबंधित अन्य उपकरण का रख-रखाव ऐसा हो कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके ;

(ड) जिले में पुनर्वास व पुनर्निर्माण की गतिविधियों का समन्वय करेंगे ;

(ढ) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रबंध का नियतकालिक अभ्यास किया जाता है ;

(ण) पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिए प्रगति तथा उसके परिणामों के अनुश्रवण में प्राधिकरण की सहायता करेंगे ;

(त) ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो राज्य सरकार, प्राधिकरण व मंडलायुक्त द्वारा प्रत्यायोजित किया गया हो ;

(थ) इसके अतिरिक्त उन सभी शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि विहित किया जाये।

अध्याय--दस

स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य

25--(1) आपदा प्रबंध के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा प्राधिकरण दें और जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन--

(क) प्राधिकरण, मण्डलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को सहायता करेगा ;

(ख) सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारीवृन्द प्रशिक्षित हैं ;

(ग) सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंध से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार से अनुरक्षण किया जाय कि वे उपयोग के लिए तैयार हों ;

(घ) सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय क्षेत्र में समस्त भवनों और अन्य संरचनाओं को सरकार के विभागों और प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त निर्धारित विनिर्देश के अनुसार पूरा किया जाना है ;

(ङ) मण्डलायुक्त के निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य चलायेगा ;

(च) प्राधिकरण द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण और पुनर्वास क्रियाकलापों को चलायेगा ;

(छ) निम्नलिखित के लिये एक आपदा प्रबंध योजना तैयार करेगा, अर्थात् :--

(एक) स्थानीय क्षेत्र में लागू किये जाने वाले आपदा प्रबंध की संकल्पना और सिद्धान्तों की रीति ;

(दो) राज्य की आपदा प्रबंध योजना के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका और दायित्व ;

(तीन) भूमिका और दायित्व को पूरा करने की स्थानीय प्राधिकारी की क्षमता ;

(चार) आपदा प्रबंध रणनीति की विशिष्टियां ;

(पांच) किसी आपदा की स्थिति में, आकस्मिक रणनीति और आपात प्रक्रियायें जिसके अन्तर्गत रणनीति को वित्तपोषित करना भी है ;

(ज) राज्य के संगठनों और स्टेकहोल्डरों के साथ योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन का समन्वय करना ;

(झ) योजना का नियमित पुनरावलोकन और उसको अद्यतन करना ;

(ञ) आपदा प्रबंध को समय-समय पर संचालित करना ; और

(ट) प्राधिकरण, मंण्डलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी सहायता उपलब्ध कराना और ऐसे अन्य कदम उठाना जो आपदा प्रबंध के लिए आवश्यक हों।

(2) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, प्राधिकरण और मंण्डलायुक्त को उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित अपने आपदा प्रबंध योजना और उसमें किये गये संशोधन की प्रति प्रस्तुत करेगा।

26--(1) जिले में सरकार के प्रत्येक विभाग जिले के लिये एक आपदा प्रबंध योजना तैयार करेगा और जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी योजना सम्पूर्ण जिले के लिये आपदा प्रबंध योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

(2) सरकार के विभाग, उपधारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय,--

(क) आपदा, जो जिले में घटित हो सकती है, के प्रकारों और उसके संभावित प्रभावों का पूर्वानुमान करेगा ;

(ख) खतरे में आने वाले समुदायों और सम्पत्तियों को चिन्हित करेगा ;

(ग) समुचित रोकथाम और कमी करने के लिये रणनीति व्यवस्था करेगा ;

(घ) संभावित आपदाओं से निपटने की अक्षमता की पहचान करना और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करेगा ;

(ङ) अधिकतम आपात तैयारी को बनायेगा ; और

(च) किसी आपदा के घटित होने पर आकस्मिक योजनाओं और विहित आपात प्रक्रियाओं को, जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था हो, रखेगा--

(एक) विभिन्न स्टेकहोल्डरों के दायित्वों का आवंटन करना और उनके दायित्वों के निर्वहन का समन्वय करना ;

(दो) आपदा प्रतिक्रियों और राहत में तत्परता ;

(तीन) आवश्यक वस्तुओं का प्रापण और आवश्यक सेवायें प्रदान करना ;

(चार) युक्तिपूर्ण संचार व्यवस्था को स्थापित करना ;

(पांच) सूचनाओं का प्रसार करना ; और

(छः) ऐसे अन्य मामले, जैसा विनियमों में उपबंधित हों, और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित हों ;

(3) जिले में सरकार का कोई भी विभाग, जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में,--

(क) एक आपदा प्रबंध योजना तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(एक) ऐसी रीति जिससे आपदा प्रबंध की संकल्पना और सिद्धान्तों जिसे जिले में लागू किया जायेगा ;

(दो) राज्य के आपदा प्रबंध योजना की शर्तों के अनुसार सरकारी विभाग की भूमिका और उसके दायित्व ;

(तीन) आपात राहत और आपदा के पश्चात् पुनरुत्थान और पुनर्वास के संबंध में सरकारी विभाग की भूमिका और उसके दायित्व ;

(चार) सरकारी विभाग की, अपने भूमिकाओं और दायित्वों को पूरा करने की क्षमता ;

(पांच) आपदा प्रबंध की रणनीतियों का विवरण ; और

(छः) आपदा के घटित होने की दशा में आकस्मिक युक्तियां और आपात प्रक्रियाएं जिसके अन्तर्गत युक्ति को वित्त पोषित करने के उपाय भी हैं :

(ख) राज्य के अन्य संगठनों, समुदायों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ अपनी योजना की तैयारी, कार्यान्वयन का समन्वयन करना ;

(ग) योजना का नियमित पुनरावलोकन और अद्यतन करना ;

(घ) अपने आपदा प्रबंध योजना और उसमें किसी संशोधन की प्रति उप मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करना ;

(4) जिला मजिस्ट्रेट, जिले की आपदा प्रबंध योजना और उसमें किसी संशोधन की प्रति प्राधिकरण और मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेगा।

(5) सरकार का प्रत्येक विभाग, इस निमित्त तैयार की गयी अपनी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

अध्याय--ग्यारह

पुलिस बल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन सेवाओं के कर्तव्य

27--(1) जहां धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन कोई क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है वहां,--

(क) पुलिस बल के सदस्य,

(ख) होमगार्ड के सदस्य,

(ग) नागरिक सुरक्षा के सदस्य, और

(घ) अग्निशमन सेवाओं के सदस्य,

मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात् :--

(एक) चेतावनी देना,

(दो) तलाशी एवं बचाव अभियान चलाना, तथा

(तीन) राहत एवं पुनर्वास अभियान चलाना।

(2) यदि किसी क्षेत्र में आपदा घटित होती है तो ऐसे क्षेत्र के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संगठनों के सदस्य, स्थानीय प्राधिकारी और सरकारी विभागों में से वरिष्ठतम अधिकारी जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार आपातकालीन राहत उपलब्ध करायेंगे।

(3) राज्य में सरकार के विभाग आपदा प्रबंध योजना में विनिर्दिष्ट कृत्यों को जिलाधिकारी के निर्देशन में करेंगे तथा विशेष रूप से--

(क) सुनिश्चित करेंगे कि संचार व्यवस्था सुचारु रहे जिसे किसी आपदा से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान में उपयोग किये जाने के लिये निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा ;

(ख) स्थानीय कार्मिकों को चिन्हित करेंगे तथा आपदा प्रबंध के प्रयोजनों के लिए समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध करायेंगे जिससे ऐसे कार्मिकों की सेवायें समय पर उपलब्ध रहें ;

(ग) आपदा प्रबंध ड्रिल का समय-समय पर करायेंगे ; तथा

(घ) प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी की सहायता करेंगे तथा आपदा प्रबंध के लिए यथा आवश्यक कदम उठायेंगे।

अध्याय—बारह

समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्यमों और अन्य अभिकरणों या व्यक्तियों के कर्तव्य

28—प्रत्येक समुदाय समूह व प्रत्येक युवा संगठन यथा राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना व नेहरू युवा केन्द्र निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं :—

(क) सभी आपदा प्रबंध गतिविधियों में राज्य सरकार, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी को सहयोग प्रदान करना ;

(ख) क्षमता निर्माण, संवेदनशीलता कम करने के कार्यक्रम व प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेना ;

(ग) मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में राहत कार्यों में सहायता करना ;

(घ) क्षति के विस्तृत मूल्यांकन में सहायता करना व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण व पुनर्वास के क्रियाकलापों को चलाना ; तथा

(ङ) प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी की सहायता करना तथा आपदा प्रबंध के लिए यथा आवश्यक कदम उठाना।

29—(1) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन परिभाषित प्रत्येक कारखाना :—

(क) राज्य सरकार, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को सभी आपदा प्रबंध संबंधी क्रियाकलापों में सहयोग प्रदान करेंगे ;

(ख) सुनिश्चित करेंगे कि उनके कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं ;

(ग) सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक संसाधन उपयोग हेतु हैं ;

(घ) सुनिश्चित करेंगे कि इसके भवन और अन्य निर्माण सरकार के विभागों व प्राधिकरण द्वारा अनुबद्ध विनिर्दिष्ट के अनुसार हैं ;

(ङ) मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में राहत कार्यों का संचालन करेंगे ;

(च) क्षति के मूल्यांकन में सहयोग देंगे और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण व पुनर्वास क्रियाकलापों को चलायेंगे ;

(छ) आपदा प्रबंध योजना को स्थानीय प्राधिकारी व राज्य सरकार के अन्य आपदा प्रबंध योजनाओं के अनुरूप प्राधिकरण के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार करेंगे ;

(ज) अन्य सभी कदम उठायेंगे और प्राधिकरण, मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी को सहायता करेंगे तथा अन्य ऐसे कदम उठायेंगे जो आपदा प्रबंध के लिए आवश्यक हों।

(2) प्रत्येक कारखाना अपने द्वारा इस निमित्त बनाई गई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) प्रत्येक निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को सहायता प्रदान करेंगी तथा ऐसे अन्य कदम उठायेंगी जो आपदा प्रबंध के लिए आवश्यक हों।

30—समस्त स्वैच्छिक अभिकरण जिसमें स्वयंसेवी संगठन सम्मिलित हैं, जो आपदा प्रबंध गतिविधियों में भाग लेने की इच्छुक हैं, वे :—

(क) क्षमता निर्माण, संवेदनशीलता कम करने के कार्यक्रम व प्रशिक्षण क्रियाकलापों में भाग ले सकती हैं ;

(ख) सरकार, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में राहत कार्यों में सहायता प्रदान कर सकती हैं ;

(ग) क्षति के मूल्यांकन में और प्राधिकरण द्वारा विरचित दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण व पुनर्वास क्रियाकलापों में भाग ले सकती हैं ; तथा

(घ) प्रभावी आपदा प्रबंध के लिए यथा आवश्यक प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को सहायता कर सकती हैं।

31—प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी या ऐसे अन्य कोई व्यक्ति जिसे आपदा प्रबंध की जिम्मेदारी दी गई हो अथवा उसमें लगाया गया हो, जब कभी भी, सामान्यतया आपदा प्रबंध के प्रयोजन से और विशेष रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों से उसकी सहायता की आवश्यकता पड़े, सहायता करे—

(क) निवारण,

(ख) प्रतिक्रिया,

(ग) चेतावनी,

(घ) आपातकालीन अभियान, तथा

(ङ) प्रत्युद्धरण, तथा।

अध्याय--तेरह

किसी क्षेत्र को आपदा उन्मुख क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करना

32--(1) जहां कहीं भी आपदा के घटित होने की आशंका हो या आपदा घटित हुई हो :--

(क) यदि एक से अधिक जिले के क्षेत्र में हो तो मण्डलायुक्त ; और

(ख) यदि एक जिले तक सीमित क्षेत्र में हो तो जिलाधिकारी ;

तुरन्त इस आशय की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

(2) (क) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन मण्डलायुक्त अथवा जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह विचार रखती है कि राज्य के किसी क्षेत्र में आपदा घटित होने का खतरा है अथवा आपदा घटित हो गयी है और ऐसी आपदा के निवारण के लिए अथवा उसके प्रभाव से निपटने के प्रयोजनार्थ ऐसा करना समीचीन है तो वह गजट में और किसी एक या अधिक ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जिसका उस क्षेत्र का व्यापक प्रसार हो, उस क्षेत्र को आपदा उन्मुख क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी जिसे इस धारा में "प्रभावित क्षेत्र" निर्दिष्ट किया गया है ;

(ख) राज्य सरकार खण्ड (क) के अधीन घोषणा न करने का विनिश्चय करती है वहां वह आयुक्त अथवा जिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को तद्नुसार सूचित करेगी।

(3) किसी भी क्षेत्र के संबंध में उपधारा (2) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि विनिर्दिष्ट की जायेगी तथा इस अवधि में इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र माना जायेगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसी अवधि को समय-समय पर किसी एक समय में पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकती है यदि राज्य सरकार की, यथास्थिति, मण्डलायुक्त या जिलाधिकारी द्वारा इस निमित्त की गयी रिपोर्ट के आधार पर यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है।

(4) ऐसे अवधि के दौरान जब कोई क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र हो--

(क) प्राधिकरण ऐसे क्षेत्र में निम्नलिखित से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगा या करवायेगा :--

(एक) आपदा का निवारण ;

(दो) (क) आपदा के प्रभावों को कम करना।

(ख) आपातकालीन राहत का सुगमीकरण, समन्वय एवं अनुश्रवण,

(ग) पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास का अनुश्रवण एवं समन्वय करना, और ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन विहित हों या उपर्युक्त कृत्यों के अनुपूरक, आनुषंगी या परिणामी हों।

(ख) जहां प्रभावित क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हो तो आयुक्त और जहां प्रभावित क्षेत्र जिले तक सीमित हो तो जिलाधिकारी आपदा प्रबंध से संबंधित ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उस पर आरोपित हैं।

(5) (क) जहां आयुक्त अथवा जिलाधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट करता है तो वह रिपोर्ट करने के समय से इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन आवश्यक कृत्यों का निष्पादन प्रारम्भ करेगा तथा

(ख) वह खण्ड (क) में निर्दिष्ट कृत्यों का निष्पादन नहीं करेगा--

(1) जहां कोई क्षेत्र उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ है तो ऐसी अवधि के अवसान पर, या

(2) जहां उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन समय-समय पर ऐसी अवधि बढ़ायी गयी हो तो अंतिम बार बढ़ाई गई अवधि के बीत जाने पर, या

(3) जहां कोई क्षेत्र इस प्रकार घोषित नहीं किया गया हो वहां उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने पर,

(6) प्राधिकारी, आयुक्त तथा सभी अन्य प्रभावित क्षेत्र में उपधारा (5) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) अथवा (2) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान पर इन कार्यों का निष्पादन नहीं करेगा।

अध्याय--चौदह

वित्त, लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

33--(1) प्राधिकरण का स्वयं का एक निधि होगी जो आपदा प्रबंध निधि कहलायेगी और उसमें प्राधिकरण द्वारा समस्त प्राप्तियां जमा की जायेंगी और उससे प्राधिकरण द्वारा समस्त भुगतान किये जायेंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्राधिकरण केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा निकाय से अनुदान, आर्थिक सहायता, दान और उपहार ले सकता है।

(3) निधि से धन का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान हेतु किया जा सकता है :--

(एक) इस अधिनियम के अधीन कार्यों के सम्पादन में प्राधिकरण द्वारा उपगत व्यय,

(दो) सदस्यों को पारिश्रमिक,

(तीन) प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्ते,

(चार) अधिनियम के ऐसे अन्य प्रयोजनों हेतु व्यय जो विहित किये जायं।

(4) (क) प्राधिकरण की निधि की समस्त धनराशि को ऐसे बैंक में जमा किया जायेगा जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे ;

(ख) जहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस धनराशि का उपयोग तत्काल या आने वाले शीघ्र समय में नहीं होना है वहां उसका निवेश भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 20 के खण्ड (क), (ख), (खख), (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में किया जा सकता है ;

(ग) कोई भी ब्याज जो कि ऐसे जमा या निवेश से अर्जित किया गया हो, निधि में जमा किया जायेगा।

34--राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को निष्पादित करने हेतु खुले बाजार से या अन्यथा से उधार ले सकता है।

35--(1) (क) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के किसी भी ऐसे दिनांक को उसे विहित किया जाए, अगले वित्तीय वर्ष हेतु विहित प्रपत्र में राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए बजट प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस वित्तीय वर्ष में अनुमानित प्राप्ति व व्यय तथा राज्य सरकार से अपेक्षित धनराशि का विवरण होगा।

(ख) यदि राज्य सरकार द्वारा दी गयी धनराशि का आंशिक या पूर्ण रूप से व्यय नहीं हुआ है तो उसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रनीत किया जायेगा व उस वर्ष की राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि में समायोजित कर दिया जायेगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा या उसकी तरफ से कोई भी धनाशि का व्यय नहीं किया जायेगा जिसका कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट में प्रावधान न हो।

36--(1) प्राधिकरण का लेखा ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से बनाये व रखे जायेंगे जैसा विहित किया जाये।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करायेगी विहित किया जाये।

(3) प्राधिकरण के लेखा की लेखा परीक्षा एक योग्य लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अन्तर्गत लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आई हो।

(4) उक्त लेखा परीक्षक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(5) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किये गये प्रत्येक लेखा परीक्षक का यह अधिकार होगा कि वह लेखा पुस्तकों, इससे संबंधित वाउचरों व अन्य दस्तावेजों और पत्रों की मांग कर सके, प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण कर सके और प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांग सकता है जो वह लेखा परीक्षक के कर्तव्य के सम्पादन में आवश्यक समझते हों।

(6) लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट को यथाशीघ्र लेखा के लेखा परीक्षित प्रति के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करेगा, जो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(7) राज्य सरकार उपधारा (6) के अधीन प्राप्त की गयी लेखा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवायेगा।

37--(1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्रारूप में और वर्ष के ऐसे समय पर जैसा कि विहित किया जाय :--

(क) विगत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करायेगा जिसमें उस वर्ष की समस्त गतिविधियों का पूर्ण, सत्य व उचित लेखा विवरण होगा ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा अगले वर्ष किये जाने वाले कार्यों का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, और ऐसे रिपोर्ट एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखेगी।

(3) इसके अतिरिक्त प्राधिकरण का लेखा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षा के अध्यधीन होगा।

अध्याय--पन्द्रह

अपराध एवं शास्तियां

38--(1) जो कोई भी :--

(क) बिना किसी युक्तियुक्त कारण के इस अधिनियम के अधीन कार्यों के सम्पादन में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकरण या आयुक्त या जिलाधिकारी के किसी अधिकारी को कार्य करने से रोकता है अथवा बाधा डालता है ; या

(ख) बिना किसी युक्तियुक्त कारण के इस अधिनियम के अधीन कार्यों के सम्पादन में किसी भी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकरण या आयुक्त या जिलाधिकारी के अधिकारी के निर्देशों का पालन करने से इन्कार करता है ; या

(ग) बिना किसी ठोस वैज्ञानिक आधार के किसी आपदा के घटित होने की पूर्वानुमान की झूठी खबर फैलाता है जिसके कारण समुदाय में दहशत पैदा हो ; या

(घ) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के या प्राधिकरण या आयुक्त या जिलाधिकारी के अधिकारी से पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए सहायता के रूप में झूठा दावा करता है ; वह दोषी पाये जाने पर उसे कारावास में जो, छः माह की अवधि तक हो सकता है या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

39--(1) कोई भी मजिस्ट्रेट धारा 38 के अन्तर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय जब सामान्यत: यह विशिष्टत: प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा आयुक्त अथवा जिलाधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत की गई हो।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अपराध के संबंध में जब लिखित शिकायत पेश की जाती है तो प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी, आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट का परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

40--(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय प्रभारी या उनकी जिम्मेदारी, कम्पनी के कार्यों के सम्पादन हेतु तथा कम्पनी भी इस उल्लंघन के दोषी करार दिये जायेंगे तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी व दण्डित किये जायेंगे :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को इस उपधारा के अन्तर्गत दण्डित नहीं किया जायेगा यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि यह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है अथवा उसने इस अपराध के रोकने हेतु भरसक प्रयास किये थे।

(2) इस अधिनियम के उपधारा (1) के अधीन कम्पनी द्वारा किये गये किसी भी अपराध में यह सिद्ध होता है कि यह अपराध कम्पनी के निदेशक, प्रबंध, सचिव अथवा किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, तो उनकी उपेक्षा के फलस्वरूप हुआ है, तो कम्पनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी व दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन परिभाषित कोई कम्पनी या फर्म या व्यक्तियों का समूह भी है, और

(ख) "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के संबंध में फर्म के साझेदार से है।

अध्याय--सोलह

विविध

41--(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकृत मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त या जिलाधिकारी सभी युक्तियुक्त समय में किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं व ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि इस अधिनियम के अधीन उन पर आरोपित कृत्यों के विधिसम्मत निष्पादन हेतु समुचित रूप से आवश्यक हों।

(2) इस निमित्त सामान्य या विशेष रूप में प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी, उचित समय में किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उन पर आरोपित कार्यों के वैधानिक सम्पादन हेतु अनिवार्य हो।

42--(1) प्राधिकरण सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या अन्य किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों के सम्पादन हेतु उन्हें अधिकृत कर सकता है जैसा कि इस आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(2) प्राधिकरण सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा अपने सदस्यों की एक या अधिक समितियों को गठित कर सकता है तथा इन समितियों को प्राधिकरण के ऐसे कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत कर सकता है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(3) आयुक्त लिखित आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसे आरोपित ऐसे कृत्यों के सम्पादन हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, जैसा आदेश में वर्णित हो।

(4) जिलाधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी भी अधिकारी, जिसका स्तर अपर जिलाधिकारी से कम न हो, को इस अधिनियम के अधीन उसे आरोपित ऐसे कृत्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत कर सकता है जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(5) उपधारा (1), (3) व (4) के अन्तर्गत आदेश में ऐसी शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिसके अध्यधीन रहते हुए उसमें विनिर्दिष्ट कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा।

43--(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के सम्पादन में, प्राधिकरण, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय लिखित रूप में दिये जायें, बाध्य होगा :

परन्तु यह कि प्राधिकरण को इस उपधारा के अधीन निर्देश दिये जाने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार का विनिश्चय चाहे कोई प्रश्न, नीति का हो या नहीं, अंतिम होगा।

44--(1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण, मण्डलायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट कृत्यों के सम्पादन के प्रयोजनार्थ तथा कारणों का लिखित में अभिलिखित करते हुए किसी भी व्यक्ति को आदेश द्वारा प्रभावित क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कार्य को करने अथवा न करने हेतु निर्देश कर सकते हैं, जहां कि आपातकालीन राहत उपाय किया जा रहा हो।

(2) कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेशों की प्राप्ति पर उनका पालन करेगा।

45--इस अधिनियम अथवा इसके द्वारा बनाये गये किसी भी नियम व विनियमन के प्रयोजनों के अनुसरण में प्रत्येक सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त तथा प्राधिकरण के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक होंगे।

46--इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम व विनियमन या आदेशों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गए या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये प्राधिकरण या उसके प्रत्येक सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मण्डलायुक्त तथा प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी मुकदमा, अभियोजन व अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

47--(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादनार्थ स्वयं को समर्थ करने के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशेषत: तथा पूर्वगामी शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुमन्य सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था के लिये जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें, विनियम बनाये जा सकते हैं।

48--(1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किये गये प्रत्येक आदेश शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जायेंगे।

49--प्राधिकरण, उसके अधिकारी और कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आरोपित कार्य का सम्पादन, राज्य सरकार या उसके किन्हीं अधिकारियों द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसरण में किये गये या राज्य की कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करके आपदा घटित होने से रोकने, आपदा के प्रभाव को कम करने, आपातकालिक राहत को सुगम करने, समन्वय करने और अनुश्रवण और आपदा के पश्चात् राज्य के पुनर्निर्माण और पुनर्वास या उसके संबंध में सम्पादित कृत्यों के अतिरिक्त करेंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-49 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंध विधेयक, 2005 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

जिलाधिकारी महराजगंज, उप जिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी सदर, कोतवाल सदर, महराजगंज एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध श्री शिवेन्द्र सिंह आदि द्वारा दिये गये विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना

पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना के सम्बन्ध में, मैंने एक निर्णय दिया था जिसके बारे में माननीय सदन को मैं अब सूचना दे रहा हूं।

माननीय श्री शिवेन्द्र सिंह, श्री चन्द्र किशोर एवं श्री ज्ञानेन्द्र सिंह सदस्यगण, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत जिलाधिकारी महराजगंज, उप जिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी सदर, कोतवाल सदर, महाराजगंज और अराजक तत्वों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना, दिनांक 17 फरवरी, 2004 अग्राह्य कर दी गयी है। इस सूचना पर मेरे द्वारा दिया गया निर्णय सदन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा। जो कि निम्नवत् है--

["माननीय श्री शिवेन्द्र सिंह, श्री चन्द्र किशोर एवं श्री ज्ञानेन्द्र सिंह सदस्यगण, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत जिलाधिकारी महाराजगंज और अराजक तत्वों के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना दिनांक 17 फरवरी, 2004 को दी थी।

माननीय सदस्यगण श्री शिवेन्द्र सिंह, श्री चन्द्र किशोर तथा श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ने अपनी सूचना में यह कहा था कि दिनांक 24 जनवरी, 2004 को जिला योजना की बैठक के साथ-साथ भाजपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्धारित प्रदेशव्यापी धरने का कार्यक्रम था। उक्त बैठक में भाग लेने के साथ-साथ धरने में सम्मिलित होने हेतु जब वे लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे तो कोतवाल, महराजगंज, उप जिलाधिकारी, सदर एवं क्षेत्राधिकारी सदर ने उन्हें बैठक में जाने एवं कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने से रोका, जिससे उन्हें नंगे फर्श पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ा। धरना 04 घण्टे तक चला, इस बीच कुछ अराजक तत्वों के साथ कोतवाल, उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी ने उक्त धरने को विफल

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करने का प्रयास किया। उन लोगों पर गोली चलाने की धमकी देते हुए कोतवाल ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और कहा कि विधान सभा में बहुत बक-बक करते हो तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि विधान सभा में भाग ले सको। कोतवाल, महराजगंज ने माननीय सदन के प्रति भी अशोभनीय टिप्पणी की। पत्रक लेने आये जिलाधिकारी ने भी धरना की जानकारी होने के बाद भी खेद व्यक्त नहीं किया। माननीय सदस्यों को जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेने से रोकने, नंगे फर्श पर बैठने के लिए मजबूर करने, गोली मारने की धमकी देने एवं सदन के लिये अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दोषी प्रभारी मंत्री, जिलाधिकारी, कोतवाल, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं अन्य अराजक तत्वों के विरुद्ध उक्त तीनों मा0 सदस्यों ने विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया था।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री की ओर से उनके पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2005 के माध्यम से प्राप्त हुयी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण में आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर की आख्या दिनांक 19 अगस्त, 2004 के अनुसार मण्डलायुक्त गोरखपुर द्वारा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महराजगंज एवं तत्कालीन जिलाधिकारी, महराजगंज से तथ्यात्मक आख्या मांगी गयी इस सन्दर्भ में पुलिस अधीक्षक, महराजगंज ने अपने पत्र दिनांक 25 जून, 2004 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 24 जनवरी, 2004 को महराजगंज कलेक्ट्रेट में जिला योजना की बैठक थी और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशव्यापी धरने का कार्यक्रम भी था जिसके परिप्रेक्ष्य में शान्ति-व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये मौके पर पुलिस बल लगाया गया था। माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर उपस्थित थे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की बैठक में सम्मिलित होने के लिये किसी भी सदस्य को स्थानीय पुलिस द्वारा रोका नहीं गया और न ही उन्हें रोके जाने का कोई औचित्य था। जहां तक घटना स्थल पर उपस्थित माननीय विधायकगण से दुर्व्यवहार करने, नंगे फर्श पर बैठने के लिये उन्हें मजबूर करने, गोली मारने की धमकी दिये जाने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

तत्कालीन जिलाधिकारी, महराजगंज ने भी अपने पत्र, दिनांक 25 अगस्त, 2004 द्वारा अवगत कराया है कि माननीय विधायकगण द्वारा एक पत्रक दिया गया था, जिसे मूल रूप में महामहिम राज्यपाल को भेज दिया गया था। तत्समय माननीय विधायकगण द्वारा किसी अप्रिय व्यवहार आदि का उल्लेख नहीं किया गया था। अत: खेद व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं था। आयुक्त, गोरखपुर मण्डल द्वारा यह भी कहा गया है कि जिलाधिकारी के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि उनकी मंशा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माननीय विधायकगण की अवमानना करने की नहीं थी अन्यथा वे स्थल पर ही स्थिति स्पष्ट कर क्षमा प्रार्थना कर लेते।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष-पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1990-95 के क्रम संख्या 785 अवलोकनीय है जिसके अनुसार "सदन तथा उसकी समिति के कार्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने पर विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न उठाया जा सकता है।" माननीय सदस्यगण द्वारा उनकी सूचना में उल्लिखित कार्य यथा जिला योजना की बैठक में भाग लेना, भाजपा नेतृत्व द्वारा निर्धारित प्रदेश व्यापी धरने में सम्मिलित होना इत्यादि न तो सदन

का कार्य था और न ही विधान सभा की किसी समिति का कार्य था, जिसके निर्वहन में माननीय विधायकों को असुविधा हुयी हो। जहां तक माननीय सदस्यों एवं सदन के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी एवं अशोभनीय भाषा के प्रयोग की बात है, इस विषय में पुलिस अधीक्षक की आख्या में इस बात के संकेत नहीं मिलते हैं जिससे माननीय विधायकों अथवा सदन का अपमान किया गया हो या उनकी उपेक्षा की गयी हो। आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के अनुसार तत्कालीन जिलाधिकारी की भी मंशा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माननीय सदस्यों की अवमानना करने की नहीं थी अन्यथा वे मौके पर ही क्षमा प्रार्थना कर लेते। इस विषय में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष-पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1985-89 के क्रम संख्या 600 अवलोकनीय है जिसके अनुसार "प्रत्येक अनुचित बात को विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन की अवमानना का आधार नहीं बनाया जा सकता है।"

प्रश्नगत प्रकरण के सभी पहलुओं पर समग्र विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है। अत: मैं इस प्रकरण को अग्राह्य करता हूं।]

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं। दिनांक 08 अगस्त, 2005 को पूर्वाह्न 11:00 बजे हम फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 2 बजकर 45 मिनट पर सोमवार 8 अगस्त, 2005 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
दिनांक 28 जुलाई, 2005

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारां0 प्र0 सं0-7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 5 पर)

संलग्नक-एक

कृषकों को सूखा राहत (कृषि निवेश अनुदान) वितरण हेतु बनायी गयी योजना।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों में निर्धारित मानकों एवं दरों के आधार पर प्रभावितों को सूखा राहत वितरण हेतु जिलाधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :--

1--जनपदों में कराये गए सर्वेक्षण के आधार पर जिन कृषकों की फसल 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हुई है उन्हें कृषि निवेश अनुदान निम्नांकित दरों से वितरित किया जाय :--

लघु एवं सीमान्त कृषकों को (कृषि, औद्यानिक तथा वार्षिक फसलों हेतु)	असिंचित क्षेत्र के लिये रु0 1,000/- प्रति हे0। सिंचित क्षेत्र के लिये रु0 2,500/- प्रति हे0।
अन्य कृषकों, जिनकी उक्त फसल पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी देवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुई , को	रु0 1,000/- प्रति हे0 की दर से अधिकतम दो हे0 तक प्रति कृषक।
रेशम कृषकों को	रु0 2,000/- प्रति हे0 मूगा के लिये रु0 1,500/- प्रति हे0 एरी और मलबेरी के लिये

2--यदि राहत की धनराशि रु0 500/- से कम है तो उसे 'बीयरर चेक' के रूप में अन्यथा 'एकाउन्ट पेयी' चेक के रूप में उपलब्ध कराई जाए।

3--कृषि निवेश अनुदान का वितरण गांवों में विशेष कैम्प लगाकर किया जाए। कैम्प का कार्यक्रम पहले से निर्धारित कर इसका स्थानीय समाचार पत्रों/रेडियो/टी0वी0 के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि कृषक लाभार्थी पूरी संख्या में कैम्प में उपस्थित हो सकें।

4--अनुदान सम्बन्धी चेक का वितरण पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। यह भी प्रयास किया जाय कि राहत वितरण के कार्यक्रमों में यथासंभव जनपद के माननीय प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद एवं विधायक भी सुविधानुसार शामिल हो सकें।

5--धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाए।

6--वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़ कर सुनाया भी जाए।

7--जिलाधिकारी प्रत्येक ग्राम के कैम्प के लिए एक पर्यवेक्षकीय अधिकारी (भूलेख निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी आदि) की तैनाती करने के साथ-साथ पूरे जनपद को 20-25 सेक्टरों में बांट कर उसका प्रभार जनपद या तहसील स्तरीय अधिकारियों को दिया जाये जो राहत वितरण कार्य पर आकस्मिक निरीक्षण द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण रखेंगे तथा प्रतिदिन अपनी संक्षिप्त आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

8--देवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाए तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

9--सभी पात्र कृषकों को अनुदान वितरण के पश्चात् इस धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से यथाशीघ्र राहत आयुक्त को उपलब्ध करा दिया जाय।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 6 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2005 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित श्री हुकुम सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-8 का संलग्नक

उत्तर प्रदेश स्टेट रोड प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण में सम्मिलित मार्गों की सूची

क्र0 सं0	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई	
			उच्चीकरण (कि0मी0)	वृहद् रख-रखाव (कि0मी0)
1	2	3	4	5
1	पीलीभीत-पुरनपुर-खुटार-बहराइच मार्ग	एस0एच0-26	72.807	191.80
2	बांगरमऊ -आशोवान-मोहान-लखनऊ मार्ग	एस0एच0-40	73.229	-
3	सीतापुर-बहराइच मार्ग	एस0एच0-30	88.330 तथा घाघरा नदी पर एक सेतु	-
4	आजमगढ़-मऊ -रसरा-फेफना मार्ग	एस0एच0-34	100.926	14.10
5	गोरखपुर-शाहगंज मार्ग	एम0डी0आर0-49 ओ0डी0आर0- एम0डी0आर0-97 एस0एच0-34	97.856 तथा घाघरा नदी पर एक सेतु तथा अहिरौला एवं बूढ़नपुर बाईपास का निर्माण	-
6	मुरादाबाद-बाजपुर मार्ग उ0प्र0 सीमा तक	एम0डी0आर0-65 एम0डी0आर0-49 एम0डी0आर0-10	36.355	-
7	देवरिया-बलिया मार्ग	एस0एच0-01	109.447	3.00
8	बदायूं-मथुरा उ0 प्र0 बार्डर तक	एस0एच0-33	-	188.30
9	जगदीशपुर-प्रतापगढ़ मार्ग	एम0डी0आर0-154ई	-	78.50
10	ढाका-पट्टी-प्रतापगढ़ (बेला) मार्ग	एम0डी0आर0-98ई	-	45.00

1	2	3	4	5
11	मथुरा-वृन्दावन-नवझील मार्ग	एम0डी0आर0-123 डब्ल्यू0	-	45.30
12	शाहजहांपुर-फर्रुखाबाद मार्ग	एस0एच0-29	-	52.40
13	एटा-शिकोहाबाद मार्ग	एम0डी0आर0-73	-	53.00
14	जालौन -भिण्ड मार्ग	एस0एच0-70	-	31.00
15	फैजाबाद-रायबरेली मार्ग	एस0एच0-15	-	108.60
16	मेरठ-बुलन्दशहर-नरौरा मार्ग	एस0एच0-18	-	135.00
17	बस्ती-मेहदावल-रावतगंज-तमकुही मार्ग	एस0एच0- 64	-	168.60
18	कन्नौज-उरई मार्ग	एस0एच0-21	-	144.40
19	फतेहपुर-बांदा मार्ग	एस0एच0-13	-	76.50
20	मेरठ-गढ़ मार्ग	एस0एच0-14	-	42.00
21	बुलन्दशहर-स्याना-गढ़ मार्ग	एस0एच0-65	-	50.50
22	बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग	एस0एच0-13	-	50.25
23	हैदरगढ़-बछरांवा मार्ग	एस0एच0-13	-	28.00
24	रामसनेही घाट-हैदरगढ़ मार्ग	एम0डी0आर0-1 सी	-	17.25
25	छाता-शेरगढ़ घाट-बाजना-गोमत मार्ग	एम0डी0आर0-139 डब्ल्यू	1 नं0 यमुना नदी पर वृहद् सेतु	-
26	लखनऊ -रायबरेली-इलाहाबाद मार्ग	एस0एच0-35 एस0एच0-36ए एस0एच0-38	-	186.60
27	बरेली-बदायूं मार्ग का बरेली कैन्टूमेन्ट का भाग	एस0एच0-33	-	5.10
28	कैराना-मुजफ्फरनगर-जानसठ मार्ग पर बाईपास का भाग	एस0एच0-12	-	7.45
29	मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग पर बाईपास का भाग	एस0एच0-59	-	1.15
	योग		578.95 बाईपास एवं तीन दीर्घ सेतुओं को छोड़कर	1765.80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21पर)

संलग्नक--1

वर्ष 2004-05 में आपदा राहत निधि से जनपदों को आवंटित धनराशि--

क्र0सं0	जनपद का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)	क्र0सं0	जनपद का नाम	धनराशि (लाख रु0 में)
1	2	3	1	2	3
1	आगरा	222.84	36	अम्बेडकरनगर	36.00
2	अलीगढ़	201.16	37	बाराबंकी	37.00
3	एटा	505.55	38	सुल्तानपुर	81.10
4	फिरोजाबाद	1114.10	39	गोंडा	175.78
5	मैनपुरी	1458.39	40	बहराइच	40.00
6	मथुरा	178.29	41	श्रावस्ती	50.24
7	महामायानगर	103.70	42	बलरामपुर	42.00
8	आजमगढ़	3144.45	43	बरेली	43.00
9	बलिया	3648.25	44	बदायूं	44.00
10	मऊ	10.00	45	पीलीभीत	45.00
11	इलाहाबाद	401.82	46	शाहजहांपुर	46.00
12	कौशाम्बी	50.84	47	मुरादाबाद	1140.58
13	फ़तेहपुर	1070.61	48	ज्योतिबाफूले नगर	634.78
14	प्रतापगढ़	1226.99	49	बिजनौर	49.00
15	कानपुर नगर	15.00	50	रामपुर	16.36
16	कानपुर देहात	16.00	51	मेरठ	51.00
17	इटावा	17.00	52	बुलन्दशहर	52.00
18	औरैया	661.60	53	गाजियाबाद	53.00
19	फर्रुखाबाद	137.93	54	गौतमबुद्धनगर	54.00
20	कन्नौज	322.57	55	बागपत	55.00
21	गोरखपुर	883.62	56	मुजफ्फरनगर	56.00
22	कुशीनगर	825.70	57	सहारनपुर	57.00
23	देवरिया	1050.89	58	लखनऊ	58.00
24	महाराजगंज	365.12	59	हरदोई	59.00
25	बस्ती	25.00	60	सीतापुर	60.00
26	सिद्धार्थनगर	1225.89	61	लखीमपुर खीरी	61.00
27	संतकबीरनगर	1007.62	62	रायबरेली	62.00
28	बांदा	28.00	63	उन्नाव	63.00
29	चित्रकूट	302.53	64	वाराणसी	750.80
30	हमीरपुर	30.00	65	गाजीपुर	3046.86
31	महोबा	511.54	66	चन्दौली	2060.61
32	झांसी	32.00	67	जौनपुर	67.00
33	जालौन	368.94	68	मिर्जापुर	68.00
34	ललितपुर	835.07	69	सोनभद्र	69.00
35	फैजाबाद	35.00	70	संत रविदास नगर	308.40

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित श्री चौ0 महेन्द्र सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-137 का उत्तर का संलग्नक :--

क्र0सं0	योजना का नाम	मार्गों का नाम
1	2	3
1	प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग	1– अलीगढ़ राम घाट
		2– अलीगढ़ जंबर टप्पल
		3– जट्टारी गौरांला
		4– टप्पल मानगढ़ी
		5– गोण्डा खेर
		6– गौमत बाजना
		7– अकबरपुर टेंटी गांव खेर
		8– खेर सोमना
		9– गभाना बरौली पहासू
		10– गौमत मोड़ से चण्डौस वाया न0 पदम
		11– दौरऊ मोड़ पिपावा
		12– दादों सांकरा
		13– नानों दादों
		14– पनेटी गंगीरी
		15– भीकमपुर मलसई
		16– गोपी भिलावती
		17– सासनी अकराबाद
		18– छैछऊ हरोथ
		19– बेसवां गोरई
		20– सासनी इगलास
		21– मुरसान इगलास
		22– इगलास गोण्डा
		23– गोण्डा गोरई मार्ग से जमो
		24– टेंटी गांव से नगला बिरखू
		25– अलीगढ़ बरौली
		26– गभाना बरौली पहासू
		27– अलीगढ़ गोण्डा मार्ग
		28– साधू आश्रम से पनेठी
		29– सासनी नानऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्री चौ0 महेन्द्र सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-137 का उत्तर का संलग्नक :--

क्र0सं0	योजना का नाम	मार्गों का नाम
1	2	3
1	ग्रामीण मार्ग	1– पी0टी0ए0 मार्ग से खैर वारा खण्डया बजांता
		2– जट्टारी पिवासा मार्ग के किमी0 6 से प्रेमपुर
		3– सालपुर करनपुर
		4– चण्डोस रामपुर शाहपुर
		5– दौरऊ मोड़ पिसावा से डेटा खुर्द
		6– खैर सोमना से वीरपुरा
		7– पी0टी0ए0 मार्ग से राजपुर
		8– अण्डला से भानोली
		9– किला मार्ग से किला
		10– जवां से सुमेरपुर होते हुए अलीगढ़
		11– अनुपशहर मार्ग से इकरा स्कूल
		12– कासिमपुर सुनामई
		13– अतरौली रेलवे स्टेशन से सिखराना
		14– भवीगढ़ लिंक मार्ग
		15– अतरौली पालीमुकीमपुर मार्ग से बढ़ौल डिटौली
		16– रामपुर चंदियाना से दत्ताचोली खुर्द
		17– बेसवां गोरई मार्ग से अमरपुर तारापुर
		18– गोरई भांट मार्ग से कूबरा
		19– मुरसान अगलास मार्ग रैयतपुर इमलिया
		20– ए0आर0एन0 मार्ग से भौरा गौरवां इण्टर कालेज
		21– हस्तपुर से बहू का नगला
		22– अलीगढ़ राया मथुरा मार्ग से पला एसिया
		23– पी0टी0ए0 मार्ग से बढ़ौन
		24– कासगंज अतरौली मार्ग से सनपहरा एदलपुर
		25– सासनी दादों मार्ग से फुसावली से परोरा
		26– नानों दादों से बाई कलां
		27– सासनी दादों मार्ग से गोलरा
		28– अकराबाद शाहगढ़ से जुझरपुर
		29– सासनी अकराबाद से बरा कलां
		30– सासनी अकराबाद से कीरतपुर
		31– दिल्ली कानपुर मार्ग से गुरु सिखरन
		32– साधु आश्रम से भदनगढ़ी
		33– गोण्डा खैर मार्ग से मजूपुर सुवकरा
		34– मलेरोज बाईपास
		35– जलालपुर से खैर बाईपास

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी-'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-169 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर।)

संलग्नक-1

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई कि0मी0	स्वीकृत लागत (लाख रु0)	स्वीकृत वर्ष	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	नहरपुर, लक्षीपुर, गढ़वा, पुरे रामदेव, नरसिंहपुर, पुरे निमहा, पुरेफरमान	6.80	50.00	1998-99	कार्य पूर्ण
2	चिलौंदिया मधुपुर-सराय हरजई से बोमी गांव तक	0.650	4.90	1998-99	तदेव
3	ढकवा-कौशलपुर पट्टी मार्ग	3.20	14.88	1999-00	तदेव
4	रस्तोपुर से नगर सराय भिखारी मार्ग	2.00	10.74	1999-00	तदेव
5	बिरौली-सराय मघईदादपुर मार्ग	5.50	41.47	2000-01	तदेव
6	सगहा-रेड़ीगारापुर-महादेव नगर मार्ग	4.50	33.93	2000-01	1.40 कि0मी0 में लेपन स्तर तक पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर।
7	उसरौरा-ढेगुहा-धुई-रेड़ीगारपुर मार्ग	8.00	60.32	2000-01	4.50 कि0मी0 में टापकोट तक एवं 2.50 कि0मी0 में सतह लेपन कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
8	नगर-नौमा देवरखा-भोजपुर-ढकवा-इब्राहीमपुर-अतरौरा-मीरपुर मार्ग	6.50	66.03	2001-02	4.25 कि0मी0 लम्बाई में सतह लेपन पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर है।
9	ढिढुई-भाटपट्टी-बरदहा-गोंसपुर-अतरौला सोराई मार्ग	5.00	53.40	2001-02	धनाभाव के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।
10	महदहा-बरहपुर-ढिढुई-बारीकला-शेखपुर आधार गंज मार्ग	7.00	73.78	2001-02	तदेव
11	पट्टी-कोहंडौर मार्ग पर अतरसण्ड से कोनी	3.00	32.04	2001-02	तदेव
12	रामगंज बाजार से नौमा नहर मार्ग	5.00	50.35	2002-03	4.00 कि0मी0 में लम्बाई में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण शेष कार्य 3/06 तक पूर्ण।

पी0 एस0 यू0 पी0--एल0 182 विधान सभा (500)--26-10-05--200 (डी0टीपी0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा